महानगर नई दिल्ली मंगलवार 16 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

तकनीकी खामी के कारण

चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण टला

श्रीहरिकोटा, 15 जुलाई (भाषा)।

भारत ने सोमवार तड़के होने वाले चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण को तकनीकी खामी की वजह से टाल दिया। इसके लिए अब नई तारीख की घोषणा की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ट्वीट किया, 'प्रक्षेपण यान प्रणाली में टी-56 मिनट पर तकनीकी खामी दिखी। एहतियात के तौर पर चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण सोमवार के लिए टाल दिया गया है। नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।'

सोमवार तड़के 2: 51 बजे होने वाले प्रक्षेपण की उल्टी गिनती 56 मिनट 24 सेकेंड पहले मिशन नियंत्रण कक्ष से घोषणा के बाद रात 1.55 बजे रोक दी गई।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रक्षेपण देखने के लिए श्रीहरिकोटा में ही थे। इसरो की ओर से प्रक्षेपण टालने की की आधिकारिक पुष्टि किए जाने से पहले भ्रम की स्थिति बनी रही। इसरो के सह-निदेशक (जनसंपर्क) बीआर गुरुप्रसाद ने कहा कि प्रक्षेपण यान प्रणाली में टी-56 मिनट पर एक तकनीकी खामी दिखी। एहतियात के तौर पर चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण सोमवार के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसरो के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि तकनीकी खामी की वजह से प्रक्षेपण टाला जाता है। (लांच) विंडो के अंदर प्रक्षेपण करना संभव नहीं है। प्रक्षेपण की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। *प्रक्षेपण* देखने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे थे श्रीहरिकोटा।

अंतरिक्ष एजंसी ने इससे पहले प्रक्षेपण की तारीख जनवरी के पहले सप्ताह में रखी थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 15 जुलाई कर दिया था। चंद्रयान-2 को जीएसएलवी मार्क-3-एम-1 रॉकेट के जरिए चांद पर ले जाया जाना था। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज तड़के होने वाले प्रक्षेपण पर पूरे देश की निगाहें लगी थीं। इस 3,850 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष यान को अपने साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लेकर जाना था।

अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान जीएसएलवी मार्क-3-एम-1 रॉकेट के साथ 978 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण होने की स्थिति में इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 54 दिन लगते।

सिद्धू के इस्तीफे से सरकार को परेशानी नहीं : अमरिंदर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब मंत्रिमंडल से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सोमवार को कहा कि इससे उनकी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

सिद्धू का त्यागपत्र मिलने के बाद कैप्टन ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद जिस तरह अन्य मंत्रियों ने अपने नए विभाग का कामकाज संभाल लिया, उसी तरह उन्हें भी (सिद्धू को) अपने नए विभाग का कार्यभार संभाल लेना चाहिए था। लेकिन यदि वह नए महकमे में काम नहीं करना चाहते तो, इसमें वह (अमरिंदर) कुछ नहीं कर सकते।

कैप्टन अमरिंदर ने संसद भवन परिसर में इस बात से इनकार किया कि उनका सिद्धू से कोई झगड़ा है। अपने फैसले को सार्वजनिक करने के अगले दिन सिद्धू द्वारा अपना त्यागपत्र उन्हें भेजने के विषय पर कैप्टन ने कहा कि उन्होंने अब तक सिद्धू के त्यागपत्र को पढ़ा नहीं है और चंडीगढ़ लौटने के बाद ही वह उसे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा- नहीं, यह सरकार के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन संगठन में कुछ अनुशासन तो हो ही। अपने मंत्रियों के कामकाज को देखने के बाद ही मुझे जो व्यक्ति जिस काम के लिए अच्छा जान बाकी पेज 8 पर

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, उनका नवजोत सिंह सिद्धू से कोई झगड़ा नहीं *कोई जनरल* कहीं भी अपनी तैनाती से कैसे मना कर सकता है

आचार्य देवव्रत गुजरात भेजे गए

कलराज मिश्र हिमाचल के राज्यपाल

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

कलराज मिश्र

आचार्य देवव्रत

भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को सोमवार को हिमाचल प्रदेश का जबकि आचार्य देवव्रत को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मिश्र और देवव्रत जिस दिन से कार्यभार संभालेंगे, उसी दिन से दोनों का कार्यकाल शुरू होगा। मिश्र ने 2017 में 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 78 वर्षीय मिश्र उस वक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री थे। मिश्र ने 2019 लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था।

देवव्रत (60) को 2015 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब वे गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली की जगह लेंगे। कोहली सोमवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

अगर डर जेहन में है तो क्या करें : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

लोकसभा में सोमवार को एनआइए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआइएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक देखने को मिली। ओवैसी ने कहा कि आप गृह मंत्री हैं तो डराइए मत, जिस पर शाह ने कहा कि वह डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डर जेहन में है तो क्या किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक 2019 पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सत्यपाल सिंह ने कहा कि हैदराबाद के एक पुलिस प्रमुख को एक नेता ने एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था और कहा कि वह कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस पर एआइएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहा कि भाजपा सदस्य जिस निजी वार्तालाप का उल्लेख कर रहे हैं और जिनकी बात कर रहे हैं वो यहां मौजूद नहीं हैं। क्या भाजपा सदस्य इसके सबूत सदन के पटल पर रख सकते हैं?

एनआइए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह और एआइएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुई नोकझोंक

सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कहा कि जब द्रमुक सदस्य ए राजा बोल रहे थे तो ओवैसी ने क्यों नहीं टोका? वह भाजपा के सदस्य को क्यों टोक रहे हैं? अलग-अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। दोबारा कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के बोलने पर शाह खड़े होकर विपक्ष से भाषण के दौरान न बोलने को कहने को कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। थोड़े समय के शोर-शराबा के बाद अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद सदन में शांति हुई।

संबंधित खबरें पेज 8 पर

लोकसभा में चर्चा के दौरान जवाब देते हुए अमित शाह।

एनआइए ने तमिलनाडु में 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

चेन्नई, 15 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने तमिलनाडु में आतंकवादी संगठन 'अंसारूल्ला' गठित करने के कथित प्रयास में जुटे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें हाल ही में सऊदी अरब ने भारत को सौंपा था। एनआइए अदालत के अधिकारियों ने सोमवार को बताया बाकी पेज 8 पर

हाई कोर्ट के कहने पर साक्षी, अजितेश को मिली सुरक्षा

प्रयागराज, 15 जुलाई (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बरेली के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश को पुलिस सुरक्षा प्रदान की। अदालत कक्ष से बाहर निकलते समय कुछ वकीलों ने उनके साथ मारपीट की।

साक्षी और पति अजितेश ने राजेश मिश्रा से अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वे अपने शांतिपूर्ण जीवन में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। एक वकील ने बताया कि अदालत के इस आदेश की तामील आदेश की प्रति पर हस्ताक्षर होने के बाद और इसे जिला प्रशासन को मुहैया कराने के बाद होगी। साक्षी और उसके पति सोमवार को हुई सुनवाई के समय अदालत में मौजूद थे। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने साक्षी और उसके पति को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। दंपति ने दलील दी थी कि अजितेश के दलित होने के कारण राजेश मिश्रा उनके विवाह से नाखुश बाकी पेज 8 पर

प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा में साक्षी मिश्रा

विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं बागी विधायक

बंगलुरु/मुंबई, 15 जुलाई (भाषा)।

एचडी कुमारस्वामी

मुंबई के एक होटल में रुके हुए कर्नाटक के विधायक मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से लाए गए विश्वासमत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई होने वाली चर्चा के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं। विधायकों को यहां ठहराने के कामकाज से जुड़े एक सूत्र बाकी पेज 8 पर

पांच विधायकों की याचिका

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता में एक पीठ ने बागी विधायकों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी की अर्जी पर संज्ञान लिया। याचिका में कहा गया है कि इन बाकी पेज 8 पर

बिहार में बाढ़ से अब तक 24 की मौत, पंजाब-हरियाणा में होगी बरसात

पश्चिम विक्षोभ ने दिलाई राहत, दिल्ली में बारिश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सोमवार दोपहर तक भीषण उमस के बाद कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। बादल इतने घने थे कि दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलीं और इसके बाद थोड़ी ही देर मध्य व पूर्वोत्तर दिल्ली में तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

शाम तक 27 डिग्री पर आ गया। हालांकि पश्चिमी व दक्षिणी दिल्ली में बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि यह मानसूनी बारिश नहीं है बल्कि पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी गर्त (ट्रफ) का नतीजा है। व्यापक व मानसूनी बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा।

इस बीच, देश के बाकी कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार के 12 जिलों में आई बाढ़ से अब तक 24 लोगों की मौत हो बाकी पेज 8 पर

दिल्ली में दोपहर बाद तेज बरसात हुई।

फोटो : अरुण चोपड़ा

पूर्व व पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश के कारण बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

सार्वजनिक वाईफाई में सिर्फ एक बार करना होगा लॉगिन

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

सरकार जगह-जगह दी जा रही सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की व्यवस्था को मंजूरी देने की योजना बना रही है। इस सुविधा से सार्वजनिक वाईफाई इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता को केवल एक बार लॉगिन करना होगा और वह देशभर में वायरलेस इंटरनेट सेवाएओं से जुड़ा रहेगा। उसे हर बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी।

एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'सार्वजनिक वाईफाई को एक दूसरे से आपस में जोड़ने यानी इंटरऑपरेबिलिटी पर विचार हो रहा है। यह उपयोगकर्ता को जब भी वह इसके दायरे में आएंगे देशभर के सभी सार्वजनिक वाई-फाई क्षेत्रों से जुड़े रहने में मदद करेगा। उपयोगकर्ता को एक बार लॉगिन करना होगा और दूसरे वाईफाई नेटवर्क जैसे बीएसएनएल, एअरटेल, जियो इत्यादि डिवाइस को पहचान लेंगे और उसे नेटवर्क से जोड़ देंगे।

सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव को डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) की अंतर मंत्रालयी समिति की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। यह बैठक पहल मंगलवार को होनी थी लेकिन अब इसे टाल दिया गया है।

दरअसल

जीवन शैली

खूबसूरती ही नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने में भी कारगर

30 फीसद की दर से बढ़ रहा है प्लास्टिक सर्जरी का बाजार

भारत में प्लास्टिक सर्जरी की तरफ रुझान बढ़ा

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो इसे अमूमन सुंदरता बढ़ाने और चेहरा बदलने का जरिया माना जाता है। हालांकि हकीकत में यह किसी दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण चेहरा बिगड़ने से अपना आत्मविश्वास गंवा चुके लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भारत प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में दुनिया का विश्वसनीय स्थान बनता जा रहा है। हाल यह है कि प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर है। विशेषज्ञों के अनुसार कई मामलों में प्लास्टिक सर्जरी जीवनदान का काम करती है।

जेपी अस्पताल, नोएडा में एस्थेटिक एंड रिकंसट्रक्टिव सर्जरी के एसोसिएट डायरेक्टर डाक्टर आशीष राय ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में अमेरिका, ब्राजील और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है। भारत में प्लास्टिक सर्जरी का बाजार 30 फीसद की दर से बढ़ रहा है और यहां प्लास्टिक सर्जरी करवाने वालों में 10 फीसद विदेशी होते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि चिकित्सा विज्ञान की इस महत्वपूर्ण विधा के बारे में लोगों को सही जानकारी मिले। लोगों में प्लास्टिक सर्जरी और इसकी उपयोगिता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है।

डाक्टर आशीष राय ने बताया कि कई बार गंभीर दुर्घटना होने पर चेहरे और चमड़ी को नुकसान पहुंचता है, जिसे ठीक करने के लिए डाक्टर प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं और चेहरे की बनावट के अनुसार सर्जरी करते हैं। इसे 'फेसिअल रिकंसट्रक्टिव सर्जरी' भी कहा जाता है। इसके अलावा किसी दुर्घटनावश चमड़ी के जलने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर प्लास्टिक सर्जरी के जरिये उस हिस्से को ठीक किया जाता है। ऐसी सर्जरी कई चरणों में की जाती है। डाक्टर राय बताते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सीजेरिजन प्रसव के टांके के निशान को हटाया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर अथवा शरीर के किसी हिस्से को विकृत कर देने वाली किसी अन्य बीमारी की स्थिति में और किसी जन्मजात विकृति को दूर करने के लिए रिकंसट्रक्टिव अथवा पुनर्निर्माण सर्जरी की जाती है। कुछ मामलों में लिंग परिवर्तन की स्थिति में प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से शरीर की 'क्राफ्टिंग' होती है।

श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट में प्लास्टिक एंड कास्मेटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डाक्टर शिशिर अग्रवाल ने बताया कि कहने को कास्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक हिस्सा है, लेकिन इन दोनों में फर्क की बात करें तो कास्मेटिक सर्जरी पूरी तरह शरीर के किसी अंग के सौंदर्य पर केंद्रित होती है। इसमें इन अंगों को मनचाहा आकार देना शामिल है। यह लंबी और दुरूह प्रक्रिया होती है जिसमें सही परिणामों के लिए सर्जन का सिद्धहस्त होना जरूरी होता है। प्लास्टिक सर्जरी की बढ़ती जरूरत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली/एनसीआर के लगभग सभी अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information I, Ajaj Ahmad S/o Abdur Rauf R/o. H. No. X-13C, DDA-Flats, New Ranjeet-Nagar, New Delhi-110008. Declare that name of mine has been wrongly written as Ejaz Ahmad in my minor daughter's Sadia Ejaz aged 11 school educational documents the actual name of mine is Ajaj Ahmad Which May Be Amended Accordingly. 0040503293-7

I, Mukesh Kumar S/O Ram Avtar Gupta R/O G-277, Preet-Vihar, Delhi-110092 Changed My Name to Mukesh Gupta. 0040503273-10

I,Vikrant S/O Om Pal Singh R/O Rz-02,Main Road, Rithala, Delhi-110085.Have Changed My Name To Vikrant Kumar Singh. 0040503264-7

I,Ritu Kumar W/O-Manoj Kumar R/O-E-32,M.K. Residency,Road No-203,Sec-11,Dwarka,Delhi-110075 Have Changed My Name To Ritu Singh. 0040503259-8

I,Rashid, S/o Mehboob AliR/o H.no.62,Kavita colony nangloi delhi-110041,Have changed my name to Rashid Ali for all future purposes. 0040503310-1

I, Pankaj Kumar Tiwari s/o Shambhu Nath Tiwari R/o.O-703, Ajnara Grand Heritage, Sector-74, Noida, G.B.Nagar U.P., have changed my name to Pankaj Kumar Tiwary for all Purposes. 0040503253-2

I, Nivedita Tej Sood and Nivedita Harish Kumar W/o Sood Tej R/o. C-1602, Prateek Stylome, Sector-45, Noida, G.B.Nagar, U.P., have changed my name to Nivedita Kumar for all Purposes. 0040503253-1

I,Charu Verma,D/o-Narender Kumar R/o-B-1/243,Paschim-Vihar New-Delhi-63,do hereby solemnly affirm and declare that Charu & Charu Verma is one and same person.In future I shall be known as Charu Verma,for all purposes. 0040503279-6

I,Chandra Devi@Santra Widow of Ex.SEP Sushil Kumar Mathur Service No-14584012H R/o-H.No-302,Bazar Pana,Karala,Delhi-110081, state that as per Army Service record my date of birth was-01/07/1967,but my Correct date of birth is-20/07/1966,and also that I,have Changed my name to Santra for all Purposes. 0040502944-4

I,Anita Singh,W/O Shri.Pritpal Singh Lakkha,R/O-C-185, G/F, Greater-Kailash Part-I, New-Delhi-110048,Hereby Declare That My Name Has Been Wrongly-Mentioned In My Old Passport No. H4822154 As Anita Pritpal Singh Lakkha.My Correct Name Is Anita Singh And Amendment May Be Made Accordingly. 0040503279-5

I, Vinod Kumar S/o Chet Ram R/o 16/341-E, Bapa Nagar, Tank Road, Jamun Wali Gali Karol Bagh New Delhi-110005 have changed my name to Chaman Lal Vinod Kumar for all Purposes. 0040503247-1

I, Vijay Kumari Chugh W/o Harish Chander Chugh R/o Flat no-112, Arunodaya Appt. Vikas Puri Delhi-110018 Have Changed My Name to Vijay Chugh. 0070664942-1

I, Vijay Kumar S/O Om Prakash Mittal R/O-C-504, First Floor, Saraswati-Vihar, Delhi-110034.Changed My Name To Vijay Kumar Mittal. 0040503264-5

I, Taran Pal Kaur/Taran Pal Makan W/O-Gagandeep Singh R/O-A-3/141, Sector-16, Rohini, Delhi-85, Changed My Name Taranpal Kaur Makan. 0040503293-4

I, Sushma Kumari W/O Dinesh Chauhan R/O G-103 Part-1 Qutub Vihar Delhi-110071 Have Changed My Name To Sushma Chauhan. 0070664943-1

I, Sushil S/O Kehar Singh R/O-D-154, Ganesh-Nagar, Pandav-Nagar Complex, Delhi-110092. Changed My Name To Sushil Singh. 0040503273-9

I, Sunny Dev Raikwar s/o S.L.Raikwar R/o-A-34, Minto-Road Complex, NewDelhi-110002,have changed my name to Sunny Dev s/o Shyam Lal.Permanently. 0040503259-4

I, Sourabh Singh Phogat S/o Yashvir Singh R/o House No-102, Maidan Garhi Delhi-110068 Have Changed My Name To Saurabh Singh. 0070664938-1

I, Snigdha D/O Mukul Gupta R/O C-507, Saraswati Vihar New Delhi-110034 Have Changed My Name To Snigdha Gupta. 0040503259-9

I,Pinki Dubey,W/o Mr.Jagdish Dubey, R/o.H.No.85, Surya-Vihar-Colony,Village-Sehatpur, Sector-91, Faridabad, Haryana-121013, declare that name of mine has been wrongly-written as Kalpana Dwivedi in my LIC-Policy.No.231293743, Kalpana Kumari in my School-Leaving-Certificate and Kalpana Devi in my Election-Identity-Card.The actual-name of mine is Pinki Dubey which may be amended accordingly. 0040503293-6

व्यक्तिगत

I, Smitha Singh W/O Abhay Kumar Singh R/O-Vill&Post-Kelahi, Ghazipur.U.P.have changed my name to Smita Singh. 0040503259-3

I, Shriniwas R/o, 6/636, Vats Colony, Line Paar, Nahra-Nahri Road, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana 124507. have changed my name to Shriniwas Solanki. 0070664934-1

I, Shivam S/O Mukesh Gupta,R/O-Sadar-Bazar, Makhanpur, Firozabad, U.P-283145.Changed My Name To Shivam Gupta. 0040503273-7

I, Shalan Morris S/O Emmanuel Morris R/o E-274/B, Sector-22 Noida-201301 Have Changed My Name To Shailen Morris. 0070664945-1

I, Sanjay Kumar Minocha s/o Jagdish Chander Minocha r/o 3rd floor, J-7/46, Rajouri Garden, Delhi-110027 have changed my name to SANJAY MINOCHA. 0040503214-1

I, Sandeep S/O G.C Thakur R/O village Supokhara, PO- Bisa Bajer, District -Pithoragarh, Uttrakhand, have changed my name to Sandeep Chand. 0070664929-1

I, Rishabh Podder S/o Sankar Kumar Podder R/oH.No.8, Ground-Floor, Landmark-Avenue, Block-C-1, Sushant-Lok-1, Gurgaon,Haryana-122009.have changed my name to Rishabh Poddar. 0040503279-1

I, Rakesh Kumar S/o Sh. Hardev Singh R/o B-273, Palam extn. Sec-7, Dwarka New Delhi-110077 have changed my minor daughter's name from Dimpal to Dimple Sain for all Purposes. 0040503246-2

I, Rajesh Kumar R/o A-307, New Seemapuri, Delhi-95 have changed my minor daughter's name from Riya to Bhumika for all purposes. 0040503293-2

I, Rajakumar Arangote S/o Velayudhan Nair R/o 17-E Pocket- B7 M.V.3 Delhi-110096 changed my name from Rajakumar Arangote to Raja Kumar Nair for all future Purposes. 0040503212-1

I, Raj Dulari, W/o Bhure Singh R/o F-II/55, 3rd Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, have changed my name to Raj Meena permanently. 0040503224-2

I, Radhey Shyam Verma S/o Ram Prashad Soni R/o-C-1, Subhavna-Niketan Appartment Pitam pura, Delhi.have changed my name to Radhey Shyam Soni.for all purposes. 0040503259-7

I, Pawan Sardhana S/O Girraj Sardhana R/O-267/3, Tirkha-Colony,Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004.Changed My Name To Pawan. 0040503273-8

I, Parimal S/O Surinder Singh R/O M-81, 1st Foor , Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar Delhi-110087 Have Changed My Name to Parimal Narang. 0070664944-1

I, Paramjit Singh S/o Jarnail Singh R/o-113A, Arjun-Nagar, Safdarjung-Enclave, Delhi-110029.Have Changed My Name To Paramjeet Singh. 0040503264-4

I, Nikita D/O Ravinder Singh R/O 160/30, Garhi Brahman, Sonipat-131001 Have Changed My Name To Nikita Khatri. 0040503264-6

I, Nidhi Ravindrakumar Singh D/o-Ravindrakumar Singh,W/o Mr.Pranav Priyadarshi,R/o-1501, Tower-7, Vipul-Belmonte, Sector-53,Golf-Course-Road, Gurugram (Haryana)122011,have changed my name to Nidhi Singh. 0040503259-5

I, Neeraj S/O Radhey Shyam Address-V-7, 3rd-Floor Green-Park Main, Delhi-110016 .Changed My Name To Neeraj Bhanot. 0040503264-1

I, Naresh Kumar S/O Mohar Pal H.No-656, Kumhar Prajapati Mohalla, Tughlakabad-Village, N.Delhi-110044.Changed My Name To Naresh 0040503279-2

I, Mohammad Mukhtar Ansari S/o-Ali Hussain Ansari R/o-Briti Tola Mauje Sirisiya Gopalgunj, Bihar-841505,have changed my name to Gulab Husen. 0040503259-6

I, Meenakshi W/O Lokesh Kumar Sharma R/O-D-3, Plot.No.695, ShaktiKhand-3, Indirapuram,Ghaziabad, U.P-201014,Changed My Name To Meenakshi Shrivastava Sharma. 0040503273-3

I, Manoj Agarwal S/o Ashok Kumar Agarwal R/o-310/304, Naulakkha, Sadar-Bazar, Agra-Cantt, Agra.have changed my name to Manoj Kumar Agarwal. 0040503264-2

I, Lalit Gandas S/o Gian Singh R/o 33-A Ward No.1 Mehrauli New Delhi-110030 changed my name to Lalit Kumar 0040503293-5

I, Nikita Sureka R/o House No. 411,Sector 1,Gurgaon,122001 have changed my name to Nikita Jain. 0070664930-1

I Manpreet Kaur Salh, D/O Guljeet Singh H.No.1415-A/13,GovindPuri Kalkaji NewDelhi-19. Changed My Name To Manpreet Kaur. 0040503259-10

I Gyan Chand S/o Kundan Lal R/o H.No.1664, Baba Nagar, Old Faridabad, Haryana declare that Gyan Chand & Gian Chand both are same person & my correct name is Gyan Chand for all future purposes. 0040503293-1

I, Lalit Gandas S/o Gian Singh R/o 33-A Ward No.1 Mehrauli New Delhi-110030 changed my name to Lalit Kumar 0040503293-5

I, Kshitij Negi S/o Yogendra Singh Negi R/o RZ-F-903/2, Kh No - 48/6, UGF, Lal Bahadur Shastri Marg, Raj Nagar-2 Palam Colony Delhi-110077 Have Changed My Name To Kshitij Singh Negi. 0070664936-1

I, Jyotsna W/o Som Dutt R/o A-143, Raju Park , Devli Road Khanpur Delhi-110062 Have Changed My Name To Jyoti Sharma. 0070664941-1

I, Isha Arora w/o Abbhiinav Narullaa R/o WZ 3236 Mahindra Park, Delhi 34, have changed my name to Anayaa N Narula for all purposes. 0040503278-1

I, Harvender Singh S/o Surjeet Singh R/o-94/5 N.H. Bhagat Singh colony NIT Faridabad, have changed my name to Harvinder Singh 0040503216-1

I, Gaurav S/o Bhim Sen, R/o G-712, Malka Mohalla Jundla Gate, Karnal Haryana-132001, have changed my name from Gaurav to Gaurav Singh for all future purposes. 0040503211-1

I, Dimpal Valecha S/W/D Hukam Chand R/o-H.No-752,Model Town, Panipat, Haryana,have changed my name Dimple Valecha to Dimpal Valecha for all purpose. 0040503253-3

I, Dewanshu Kumar S/o Rakesh Kumar R/o B-273, Palam extn. Sec-7, dwarka New Delhi-110077 have changed my name from Dewanshu Kumar to Devanshu Kumar for all Purposes. 0040503246-1

I, Devendra Singh S/o Bhoop Singh Tomar R/o 605/2,2, Dayanand Colony, Muradnagar Ghaziabad-201206 Have Changed My Name To Devendra Tomar. 0070664940-1

I, Daljeet Singh S/O Harmohinder Singh R/O 129-130, 2nd Floor, Pkt-12, Sec-24, Rohini, Delhi-85, Changed My Name To Daljit Singh. 0040503279-4

I, Bunty Mathur S/o Sh. Jai Singh, R/o House No. 19, Block J-3, Gali No.3, Sangam Vihar, South Delhi, New Delhi-110062, have changed the name of my minor son Rohit Mathur to Ronit Mathur, for all future purposes. 0040503221-1

I, Bhure Singh S/o Moti Lal R/o F-II/55, 3rd Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, have changed my name to Bhure Singh Meena permanently. 0040503224-1

I, Bhawana W/o Lalit Gandas R/o-33A/1 Ward.No.1 Mehrauli Delhi-110030.have changed my name to Bhawna. 0040503264-9

I, Bhawana Gandas W/o Lalit Gandas R/o-33A/1 Ward.No.1 Mehrauli Delhi-110030 have changed my name to Bhawna. 0040503273-5

I, Baksho W/o Kewal Ram R/o Talwandi Jattan-Nawanshahr Punjab-144504 have changed my name to Gurbakash Kaur. 0040503264-3

I, Ayush Goyal S/O, Pankaj Kumar Goyal R/O E-1/62 SF, Sector-11 Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Ayuesh Goel for all purposes. 0040503277-1

I, Avinash Kumar Rohilla S/o Ramesh Chander R/o WZ-123A, Chhotial Mohalla Palam Village Delhi-110045 Have Changed My Name to Avinash Kumar. 0070664937-1

I, Archna Kumari/Archana Kumari W/o Ajay Kumar Bhardwaj R/o-A-1/29, Mohalla-LaxmiNagar, Shikarpur,Bulandshahr.have changed my name to Archana Ajay Bhardwaj. 0040503273-4

I, Anu Bawa W/o Mukesh Kumar Bawa R/o H.No.-42, Arun Vihar, Sector-37 Noida (U.P.) informs that Anupama Bawa and Anu Bawa are same person's in all future Purposes as affidavite No. IN-PL17146712516224R 0040503242-1

I, Alahandi Haldar W/o Niranjan Haldar R/o-C-590, J.J.Colony, Sabda-Colony, Delhi-110081.have changed my name to Shikha Halder. 0040503273-1

I, Akshay Tanwar s/o Rajender Kumar Tanwar r/o CB-94, Naraina, Ring Road, Delhi 110028, have changed my name to Akshay Tanwar. 0040503256-1

I, Ajay Singh S/o Late. Shukhdev Singh R/o-Balaji-Vihar, Hindan-Pusta, Arthala,Mohan-Nagar, Ghaziabad (U.P)have changed my name to Ajay Kumar.for all purposes. 0040503259-1

I, Ajay S/o Umesh Chand R/o House no-1334, Block-E, Jahangir Puri Delhi-110033 Have Changed My Name To Ajay Kumar. 0070664939-1

I, Swati Prashad@Swati Rai D/o-Rajendra Prashad W/o-Nitin Kumar Rai R/o-Flat.No. 173, Pocket-C/8,Sector-8, Rohini,New Delhi.have changed my name to Swati Rai.for all purposes. 0040503273-6

I, Manoj Upadhyay Father of Sakshi Upadhyay, R/o B-175, Gali no.-7, Mukti Ashram keshav nagar, Ibrahim pur, Delhi-110036,Have Changed my Daughter's Name Diksha Upadhyay to Sakshi Upadhyay. 0040503238-1

व्यक्तिगत

I, Aditi Chopra W/o Deepak Chauhan R/o 66, St. No.4, P.P.G. Road, East Laxmi Market, Delhi-110092, have changed my name to Bhavika Chauhan for all future purposes. 0040503219-1

I, Abha Gupta W/o Samit Gupta R/o-152, Ambika-Apartments,Sector-14, Rohini, Delhi-110085.have changed my name to Abhaa Samit Guptaa. 0040503273-2

I, Abdullah S/o Ahmad Mujtaba R/o B145/8 2nd Floor Shaheen Bagh, Abul Fazal Enclave-II, Jamia Nagar ND-25 have changed my name to Abdullah Ibnemujtaba for all purposes. 0040503293-3

I, Abdul Saleem S/o Abdul Sattar R/o 1528, Gali Kotana, Suiwalan Darya Ganj, Delhi-110002, have changed my name to Abdul Salim for all purposes. 0040503243-1

I hitherto known as Maan Bahadur S/O Late.Padam Bahadur R/O-188/44 DID-Colony Safdarjung-Road,New Delhi-110003.have changed my name and shall hereafter be known as Monti Chettri. 0040503279-3

I Ritu Dahiya D/o Sukhbir Singh Dahiya R/o House No 1019, 2nd floor, Sector 21, Pocket-C, Gurgaon 122016, have finally changed my name to Ritoo S Dahiya 0070664935-1

I Ram Chander S/O Channamal R/O-31, Tarun-Enclave, Pitampura, North-West Delhi-110034,Changed my name to Ram Chander Garg. 0040503259-2

I Phoola Devi W/O Bhim Singh R/O Purviyon ka Mohalla, chota-Bazaar, Sambhar-Lake, Jaipur, Rajasthan-303604 Have Changed My Name to Phoolan Devi. 0040503264-10

I, Lata W/O Vikrant Kumar Singh R/O Rz-02, Main Road, Rithala Delhi- 110085 Have Changed My Name To Lata Singh. 0040503264-8

खोया+पाया

I, PRASHA H singh,D/o Ashok kumar singh R/o-Flat No-301, Tower.No-13 Commonwealth-Games-Village, Akshardham-Delhi-110092.Have lost my original-certificate & mark-sheet class-10th year-2017 Rollno-8234882 C.B.S.E.Delhi 0040503279-8

I, VANSHIKA RAJPUT D/O Virender kumar R/o-1/11204 St.no-11 Subhash-park Shahdara, Delhi-32. Have lost my original-Marksheet/certificate-Class-10th year-2016 Rollno-8647352 C.B.S.E-Delhi. 0040503279-9

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of year 2017 and Roll No. 8654809 issued by CBSE, has been actually lost. Name of the Candidate: Garima Khurana, full Address/Tel. 2566, Punjabi Basti, Subzi Mandi, Delhi-110007, 9999597808 (M). 0040503291-1

It is notified for the information that my orignial qualifying Examination Certificate of main Secondary Senior Secondary Examination of year 2014, 2017 and Roll no. 8203382, 9737511, issued by CBSE has been lost. Contact: Nitesh 8368542681. 0040503217-2

Lost my original 12th class Senior secondary certificate Roll no- 6638663 of the year 2002 issued by CBSE, finder pls contact to Puneet S/O Jai Parkash, Mobile-9717408889. 0040503293-9

All the Previous Chain Documents of Property No. H-27, Ground Floor, Kirti Nagar, New Delhi-110015 has been lost. Finder may Contact Sanjay Chadha, H-27, Ground Floor, Kirti Nagar, New Delhi-110015 Ph: 9811060995. 0040503229-1

I Vaishnavi D/o Suresh Kashyap R/o H.No.H-2/99 Sultanpuri Delhi-86,Lost My Original Marksheet Class-10th & 12th Roll.No.8734342 & 9704932. Year-2012 & 2014 CBSE-DELHI 0040503279-7

I, NAVEEN Kumar s/o-Laxman R/o S-64 Parampuri uttam-nagar N.D-59. Have lost my original-certificate/mark-sheet class-10th year-2017 Rollno-8209663 C.B .S.E-Delhi. 0040503279-10

It is notified for the information that my orignial qualifying Examination Certificate of main Secondary, Senior Secondary Examination of year 2011, 2013 and Roll no. 8196705, 9170763 issued by CBSE has been lost. Contact: Ankit 9716421936. 0040503217-1

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नितीश सिन्हा पुत्र निर्मल चन्द्र निवासी 503, कार्लटन टावर, ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ की आई.आई.टी. कानपुर द्वारा जारी की गयी वास्तविक एम. टेक. डिग्री सर्टिफिकेट दिनांक 20.06.2019 से 15.07.2019 के बीच में कहीं खो गयी है। जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस स्टेशन, महानगर, लखनऊ में दर्ज की गयी है। जिसका एल.ए. आर. नं. 368942/2019 दिनांक 16.07.2019 है।

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I CHANDA JHA W/O Shri VIVEKANAND JHA R/O WZ-15, CHHOTIYAL MOHALLA, PALAM VILLAGE, SOUTH WEST DELHI, DELHI-110045 declare that name of mine has been wrongly written as SUJATA JHA in my minor daughters ANANYA JHA aged 13 years and NANDANI JHA aged about 10 years in her birth certificates and school record. The actual name of mine is CHANDA JHA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHANDA JHA [Signature]

PUBLIC NOTICE

This is to general public inform that my client Sh. Ashok Gupta S/o Fool Chand and Mrs. Saroj Gupta W/o Ashok Gupta, R/o C-69, Phase-2, Vikas Nagar Road, Uttam Nagar, West Delhi-110 059 disowned their Sons Raju Gupta & Wife Renu Gupta and Mukesh Gupta & Wife Neha Gupta from all his movable & immovable assets, because of their unfamiliar, cruel and unfair attitude and behaviour anybody whosoever deal with them in any manner shall do so on his/her sole responsibility.

Sd/- Adv. Keshaw Prasad

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS **NARENDER SINGH & HIS WIFE MRS. KOMAL BOTH R/O FLAT NO: 540, POCKET-6, DDA FLATS, MIG SECTOR-A-10, NARELA, DELHI,** SEVERE ALL RELATIONS, DEBAR HER SON **LOVENDER, HIS WIFE SMT. RACHNA AND GRANDCHILDREN NAMELY YASH & GARIMA** FROM ALL MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTY(S) DUE TO THEIR MISCONDUCT, CRIMINAL ACTIVITIES AND BEING OUT OF CONTROL OF MY CLIENTS. MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ANY ACTS IN FUTURE.

Sd/- **VIKASH BHARDWAJ ADVOCATE En. D/2044/09**

PUBLIC NOTICE

Whereas my clients Mange Ram S/o Sh. Bhudhan Singh & Smt. Mithlesh W/o Sh. Mange Ram both R/o B-66, Qutub Vihar Phase-I, New Delhi-110071 have severed all their relations and have debarred and disowned their sons namely (1) Krishan and his wife Manisha and (2) Kuldeep and his wife Smt. Renu from all their movable /immovable properties. Anybody is dealing with our above two sons may deal at their own costs and risk and my clients shall not be responsible for any of their deeds & misdeeds in future.

R.S. Mishra, Advocate
Ch. No.1, Opposite Ch no. 211, Near Central Hall, Patiala House Courts, New Delhi-110001
Mob: 9811047405

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely **Mrs. Shakuntala W/o Late Shri Rohan Lal, R/o A-389, Bunkar Colony, Ashok Vihar, Phase-IV, Delhi-110052,** wants to disown his/her son namely **Mr. Than Singh and his wife namely Mrs. Sapna,** from all acquired movable and immovable property for future all actions, and above said statements are true & correct in the best of my knowledge & belief.

Place: **New Delhi**
Date: **12.07.2019**

Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

PUBLIC NOTICE

I, for and on behalf of my clients Shri Om Prakash S/o late Shri Harkesh Singh & Smt. Vimla Devi W/o Shri Om Prakash both R/o House No.E-28-2-353, Gali No.28, East Gokalpur, Delhi, hereby inform to the General Public at large that my Clients have severed off/disconnected all their relations with their son namely "VINAY KUMAR ATTRI" and his wife "PRIYANKA" and their dependents/ legal heirs including their minor son Nikhil Attri, and have debarred/disowned them from their all movable and immovable properties for all intents and purposes as they are out of their control for the last one year. If anybody deals with them he/she shall be liable and responsible for the consequences.

DEVENDRA PAL SINGH (Advocate)
Flat No.RU-365, Pitampura, Delhi-110088
Enrl. No.D/2621/06

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Purshottam Sharma S/o Late Sh. Lekh Ram Sharma & Smt. Usha Rani W/o Sh. Purshottam Sharma both R/O-4625/14, Jai Mata Market, Tri Nagar, Delhi-110035 has severed their relations with their son Vitul Sharma and his wife Manisha Sharma due to their rude & dishonest behavior and illegal threatening to my clients. They shall have no right, claim in my client's movable and immovable properties. Anybody dealing with them shall be doing so at their risk and costs.

MR. MOHAN SHARMA (ADVOCATE)
Chamber No. 702, Lawyer's chamber
Rohini Courts Complex, Delhi-55
Mobile No. 09811137173

Public Notice

It is for general information that I, DEEPAK SOLANKI S/o-RAMESHWAR residing at E-702,Camp No.2, Nangloi, Delhi-110041 declare that name of mine has been wrongly written as DEEPAK in my Caste Certificate No. SC/03/31/18421/18/8/2009/8931001731 dated 26/11/2009. The actual name of mine is DEEPAK SOLANKI,which may be amened accordingly. It is Certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

DEEPAK SOLANKI

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that Plot No. 2671 (old No. U-132) in Sector A, Greenfields Colony stood allotted in the name of Shri Charti Lal Goel S/o Late Shri Khem Chand Goel R/o 60, Banarasi Dass Estate, Timarpur, New Delhi-110054 since 1981. The Company received a letter dated 11th Feb. 2017 from Shri Shashank Rai Goel Grandson of Shri Charti Lal Goel informing the company about the death of his grandfather Shri Charti Lal Goel, the allottee of above in August 2016 and further requested the company to substitute the above plot in his name on the basis of nomination and registered will of his late grandfather. Shri Charti Lal Goel, vide nomination dated 20.04.2015 appointed Shri Shashank Rai Goel, his grandson as nominee of above plot, which was confirmed by the company vide letter dated 19.05.2015. Anyone having any objection to the above said substitution in favour of above said Shri Shashank Rai Goel, may submit their objection within 30 days to Urban Improvement Co. (P) Ltd, F-32, Connaught Place, New Delhi.

Public Notice

I, Subhash Chand, S/o Late Sh. Girwar Singh R/o I-1703/20, Sangam Vihar, New Delhi-110062 hereby disown my son Kapil Kumar, aged 26 years, his wife Aarti and their son Prathyush from all my movable and immovable property for their gross misconduct, harassment and torture inflicted upon me. Anybody transacting any business with said Kapil Kumar and his wife will do so at their own risk and responsibility."

Subhash Chand (Father)
Lalit Nagar Advocate En.No. D/4205/2016
Ch 116,Saket Court, N.D. Mob 9968303030

Public Notice

My clients Shri Basu Dev S/o Sh. Chiranji Lal, his wife Kela Devi both are R/o C-127,Shiv Park, Nangloi,Delhi-41 hereby remove their relationship and expel their son Ram Kumar S/o Basu Dev and his wife Saroj from all their moveable and immoveable property because they are out of their control.if anybody deals with them ,then he/she will do so on his/her own risk. **Vijay Laxmi, Advocate** (Delhi High Court),113,CLJ Lawyer Chambers,Tis-Hazari,Delhi-54.

PUBLIC NOTICE

Be known to all public at large that my clients Mr. Jyotish Kumar S/o Sh. Ram Chander and his wife Mrs. Meena Devi both R/o Q-13, Sharma Colony, Phase-2 Delhi-110083 have disowned and debarred their son Mr. Pradeep Kumar Maurya along with his wife Mrs. Pooja Maurya from all their movable and immovable properties with immediate effect. My clients have ceased all relations with them, anybody dealing with them he/she/they shall do at his own cost and risk, and my clients shall not be liable and responsible for the same in any manner whatsoever.

Pawan Kumar Verma, Advocate,
Ch. No.1104, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client **Smt. SUMITRA DEVI W/O LATE SH. NANAK CHAND R/O H. No. B-1/356, SULTANPURI, DELHI-110086,** has severed all her relations with her son **"DEEPAK KUMAR AND HIS WIFE RENU and their children KARTIK and MANEET"** Who are quarrelsome and disobedient to my client and is leading his/her life as per their wishes and against the wishes of my client. Henceforth, neither my client nor any of their other family members has/have any relation or connection with her son **DEEPAK KUMAR AND HIS WIFE RENU** and thus my client hereby debar them from all her movable and immovable properties.

Sd/-
(SUBHASH BAGHEL)
(ADVOCATE)
ENRL. NO. D-116/13
DELHI HIGH COURT

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the general public that my client Sh. Kishore Kumar S/o Late Sh. Duli Chand and Smt. Maya Devi W/o Sh. Kishore Kumar both R/o 3778, Kucha Mohtar Kha, Mori Gate, Delhi, severed all their relations with their daughter Smt. Neetu W/o Sh. Praveen Kumar and son in low Sh. Praveen Kumar S/o Late Sh. Hari Kishan both R/o 3878, Kucha Mohtar Kha, Mori Gate, Delhi and in this regard, the public notice was published in the newspaper Jansatta and Indian Express on 02.03.2019

Now my clients have settled their dispute with their daughter Smt. Neetu and therefore revoke the earlier public notice date 16.07.2019.

GULSHAN KUMAR (Advocate)
Chamber no. 52, Tehsil building,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

रिक्त स्थान

BALAJI COLLEGE OF EDUCATION

Affiliated to CRSU Jind & Approved by NRC, NCTE- Jaipur

Adarsh Nagar Ballabgarh, Faridabad, Haryana.

M.: 9310902234, 9310002234

Email : balajiedu244@gmail.com

REQUIRES FOR B.Ed.

1. Principal (01)
2. Assistant Professor in Pedagogy Courses - Mathematics (01), S. Studies (01), Commerce (01), Fine Art (01), Physical Education (01), Physical Science (01)
3. Library Attendant (01)
4. Store Keeper (01)

Salary as per Govt. Norms

Note : Please send one set of documents with application in the college address & one set of documents with application send to College CRS University, Jind within 21days.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए मोटर यान विधेयक को मंजूरी जरूरी : गडकरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को स्वीकार किया कि देश में पिछले पांच साल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में उनके विभाग को सफलता नहीं मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोटर यान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सड़क हादसों से लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। गडकरी ने लोकसभा में 'मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019' विधेयक को पेश करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि विधेयक पिछली लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। गडकरी के अनुसार उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित कर इस विषय का अध्ययन कराया जिसमें 18 राज्यों के परिवहन मंत्री शामिल रहे। मंत्री ने कहा कि विधेयक स्थाई समिति और संयुक्त प्रवर समिति दोनों में गया। सरकार ने पिछले पांच साल में बहुत प्रयास किए लेकिन विधेयक को पारित नहीं करा पाए। गडकरी ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार सभी से बातचीत को तैयार है। सड़क हादसों से लोगों की जान बचाने के लिए विधेयक को संसद की मुहर लगवाना जरूरी है। सड़क हादसों के संदर्भ में चिंता जताते हुए सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में देश में सड़क हादसों में केवल 3.5 से 4 फीसद की कमी आई है। उन्होंने कहा कि यह मेरे विभाग की सबसे बड़ी विफलता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तमिलनाडु ने सड़क दुर्घटनाओं में 15 फीसद तक कमी लाने में सफलता हासिल की है और हम वहां के प्रयोग को पूरे देश में अपनाने के बारे में विचार करेंगे।

उन्होंने विधेयक में राज्यों के अधिकार लिए जाने संबंधी कुछ विपक्षी सदस्यों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि परिवहन समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र तथा राज्य दोनों को इस संबंध में निर्णय के अधिकार हैं। विधेयक पारित होने के बाद यह किसी राज्य के लिए अनिवार्य नहीं होगा और वह चाहेगा तो इसे लागू कर सकता है।

नीरज शेखर का रास से इस्तीफा

नई दिल्ली, 15 जुलाई। सपा नेता नीरज शेखर ने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।सूत्रों के अनुसार शेखर ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। (भाषा)

ट्रेन में रेलवे अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़, डीआइजी पर मामला दर्ज

जबलपुर (मध्य प्रदेश), 15 जुलाई (भाषा)।

सोमवार तड़के चलती ट्रेन में रेलवे अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ करने के मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के उपमहानिरीक्षक विजय खातरकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उप महानिरीक्षक (डीआइजी) की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है।

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अधीक्षक सुनील जैन ने बताया, 'सीनियर डिविजनल स्तर के रेलवे अधिकारी की पत्नी अपनी छह साल की बेटी के साथ इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस से जबलपुर आ रही थी। एसी-1 कोच में उनका रिजर्वेशन था। उनके सामने वाली सीट पर जबलपुर आरपीएफ में पदस्थ डीआइजी विजय खातरकर यात्रा कर रहे थे।' उन्होंने कहा, 'आज तड़के नरसिंहपुर-श्रीधाम के बीच (गाडरवारा जीआरपी थाना इलाके में) डीआइजी ने महिला यात्री के साथ चलती ट्रेन में अश्लील हरकत की, जिसका महिला ने विरोध करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला की आवाज सुनकर यात्रा कर रहे अन्य लोग भी एकत्र हुए।'

विमान में हाथापाई करने वाले पायलट को निलंबित किया

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक विमान में चालक दल के सदस्य के साथ 'तीखी' नोंकझोंक और 'हाथापाई' में संलिप्त होने के आरोप में एअर इंडिया के एक पायलट को सोमवार को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

यह घटना 17 जून की है जब एक उड़ान बंगलुरु हवाई अड्डे से कोलकाता रवाना होने वाली थी। कैप्टन मिलिंद और चालक दल के सदस्य रजत वर्मन के बीच 'तीखी नोंकझोंक' के बाद हाथापाई हो गई थी। घटना के वक्त विमान जमीन पर ही था। सूत्रों ने बताया कि नियामक ने कारण बताओ नोटिस के जवाब को देखा जो संतोषजनक नहीं था। नतीजतन उन्हें छह माह के लिए निलंबित कर दिया गया।

सोलन इमारत हादसे में मृतकों की बढ़कर संख्या 14 हुई

शिमला, 15 जुलाई (भाषा)।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चार मंजिली एक इमारत के गिरने से सेना के 13 जवानों और रेस्तरां मालिक की पत्नी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह इमारत नाहन-कुमारहट्टी सड़क पर स्थित थी, जो रविवार शाम की भारी बारिश के बाद गिर गई। इसमें एक रेस्तरां भी था। इस घटना में 28 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मलबे से सेना के 13 जवानों और रेस्तरां मालिक की पत्नी का शव निकाला गया है। सोलन उप मंडल के मजिस्ट्रेट रोहित राठौर ने बताया कि अब भी एक व्यक्ति की मलबे में दबे होने की आशंका है।

वायुसेना के 115 एएन-32 विमानों में से 55 का उन्नयन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बताया कि भारतीय वायुसेना में मौजूद 115 एएन-32 विमानों में से 55 का उन्नयन किया जा चुका है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्हीं विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दी गई है जो मानकों को पूरा करते हैं।

सिंह ने पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि विमान दुर्घटनाओं के बाद पिछले पांच साल में कुल 34 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। इनमें से 27 की रिपोर्ट मिल गई है और उनके सुझावों पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में हादसों को टाला जा सके। रक्षा मंत्री ने बताया कि विमानों का उन्नयन सतत प्रक्रिया है। अगर किसी एएन-32 का उन्नयन नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि वह उड़ान नहीं भर सकता।

जी न्यूज व संपादक के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा जी न्यूज और इसके प्रधान संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जता दी। जी न्यूज और चौधरी ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में 'फासीवाद के सात संकेत' विषय पर जो भाषण दिया था, वह 'चोरी' किया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीति परेवा ने शिकायत का संज्ञान लिया और 20 जुलाई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। उसी दिन मोइत्रा का बयान दर्ज किया जाएगा।

2018 में 265 आतंकवादी मारे गए : नाइक

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने सोमवार को बताया कि वर्ष 2017 में आतंकवाद रोधी अभियान एवं आतंकी घटनाओं में 235 आतंकवादी मारे गए जबकि 2018 में इनकी संख्या 265 थी। रक्षा राज्य मंत्री नाइक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर में 131 आतंकवादी घटनाएं हुईं जबकि 2018 में ऐसी 318 घटनाएं हुईं उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2017 और 2018 में आठ-आठ उग्रवादी घटनाएं हुईं।

मौसम

तापमान	नई दिल्ली
अधिकतम–37.0 डि.से.	सूर्योदय– 5:34
न्यूनतम– 27.2 डि.से.	सूर्यास्त– 19:21

'सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी मैथिली'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक मैथिली भाषा वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह भी केंद्र से करेगी।

उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने बताया कि अभी जिस तरह से उर्दू भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसी तरह अब मैथिली भी पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी मैथिली विषय की कोचिंग उपलब्ध

मैथिली और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे पुरस्कार

कराएगी। इतना ही नहीं कम्प्यूटर सीखने के लिए अब मैथिली का कम्प्यूटर लिपि भी बनवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैथिली और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार पुरस्कार भी शुरू करेगी। इस योजना के तहत कुल 12 पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब मैथिली–भोजपुरी उत्सव दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध जगह कनॉट प्लेस में मनाया जाएगा। यह पूरे पांच दिनों तक चलेगा।

सिसोदिया ने कहा कि चुंकि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा अभी भोजपुरी भाषा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकेगी। हालांकि दिल्ली सरकार भोजपुरी को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह करेगी। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली मैथिली–भोजपुरी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष अजीत दूबे ने दिल्ली सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि भोजुपरी भाषा को अविलंब संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए।

प्रपत्र सं. आईएनसी–25 ए
सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. विनेय सोलर पावर लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–12/18, भूतल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में है, आवेदक के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 01 जुलाई, 2019 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा/असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजी. कार्या.:
सी–12/18, भूतल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

कृत्ते एवं के लिए
विनेय सोलर पावर लिमिटेड
हस्ता./–
राकेश कुमार अग्रवाल
निदेशक
DIN: 00248752
तिथि: 11.07.2019
स्थान: दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे कलाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 26th July 2019 को (...) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 17th September 2019 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे कलाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे कलाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
NUCLEUS SOFTWARE
सीआईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालय: 33–35, त्यागराज नगर मार्केट, नई दिल्ली–110003
फोन : +91-120-4031400, फैक्स: +91-120-4031672
ईमेल : investorrelations@nucleussoftware.com
वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 23 जुलाई 2019 को दिल्ली/एनसीआर में:
क) 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों;
ख) 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।
निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय परिणाम मंगलवार, 23 जुलाई 2019 को मंडल की बैठक की समाप्ति के उपरान्त घोषित किया जाएगा।
इस सूचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (http://www.nucleussoftware.com/investors) एवं स्टॉक एक्सचेंजों (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
हस्ता./–
पूनम भसीन
कम्पनी सचिव
दिनांक : 15 जुलाई, 2019
स्थान : नोएडा

सफाईकर्मियों को मुफ्त सुरक्षा किट देगी सरकार : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में सफाईकर्मियों को निशुल्क सुरक्षा किट मुहैया कराएगी।

तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सफाईकर्मियों की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। इस व्यवस्था को किसी तरह खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हम सफाईकर्मियों की जिंदगी को लेकर चिंतित हैं और दिल्ली में काम करने वाले सफाईकर्मियों को निशुल्क सुरक्षा किट मुहैया कराए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले, दिल्ली में सिर्फ 50 फीसदी सीवर लाइनें थीं और हमारे कार्यकाल में यह बढ़कर 80 फीसदी हो गई हैं। करीब 4000 सफाईकर्मियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने कहा कि हमने सफाईकर्मियों का कौशल बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा किट के इस्तेमाल को लेकर जागरुक बनाने के लिए एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड से करीब 12000 सफाईकर्मी जुड़े हैं।

सफाईकर्मियों की मौत की खबर से बहुत दुख होता है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को एक शपथ भी दिलवाई। सभी ने शपथ ली कि कोई भी सफाई कर्मचारी बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के सीवर में नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में देखा जाता है कि जब भी किसी शहर का विकास होता है तो प्रशासन उस विकास में गरीब जनता को भूल जाता है। हमारी कोशिश है कि हमारी दिल्ली का विकास सबको साथ लेकर हो। केजरीवाल ने कहा कि देश के अलग–अलग क्षेत्रों से दिल्ली में लोग काम की तलाश में आते हैं और यहीं बस जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी दिन पर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उसी रफ्तार से लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क नालियां, सीवर आदि की सुविधाओं का भी इंतजाम किया जा रहा है।

जेएनयू के सुरक्षाकर्मी मीणा अब रूसी भाषा की कक्षा में दिखेंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

जेएनयू में तैनात एक सुरक्षाकर्मी रामजल मीणा ने प्रवेश परीक्षा पास कर बीए रूसी भाषा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। अब वह बतौर विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ाई करेंगे।

राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले 33 साल के रामजल मीणा ने पहले प्रयास में ही जेएनयू की प्रवेश परीक्षा पास की है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले रामजल 2014 से यहां सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2002 में 12वीं पास की थी। रामजल ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीए किया है। वह राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी परीक्षा पास करना है। उनके तीन बच्चे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है।

वैभव ग्लोबल लिमिटेड
CIN: L36911RJ1989PLC004945; पंजीकृत कार्यालय– के–6बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर–302004; फोन: 91-141-2601020; फैक्स: 91-141-2605077;
ई-मेल : investor_relations@vaibhavglobal.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 (1)(ए) के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृत किया जायेगा।
यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.vaibhavglobal.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड
हस्ताक्षर
सुशील शर्मा (कंपनी सचिव)
FCS: 6535
स्थान : जयपुर
दिनांक : 15 जुलाई, 2019

CITY ACADEMY LAW COLLEGE
Tiwariganj, Chinhat, Lucknow
REQUIRED PRINCIPAL
Qualification, Experience & Percentage as per State Govt. & Lucknow University Norms. Applicants should apply within 15 day to Manager, City Academy Law College, Tiwariganj, Chinhat, Lucknow.
E-mail :info@cgclko.com

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे कलाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 19th & 29th July 2019 को (...) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 13th & 19th September 2019 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे कलाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे कलाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

SOUTH INDIAN Bank
क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1/18-20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली – 110055 फोन : 011-23610400,
Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के अधीन सूचना

[illegible]

प्रत्याभूत आस्तियों की अनुसूची
अनुसूची "क"
[illegible]
अनुसूची "ख"
[illegible]

इस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी
(मुख्य प्रबंधक)
तिथि : 16.07.2019
स्थान : नोएडा

कार्यालय वसूली अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री की उद्घोषणा

आर.सी. नं. 329/2015 दिनांक 06.06.2019

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसूली के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्री मोहम्मद करीम एवं अन्य

सेवा में, (सीडी–1) श्री मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद निजुद्दीन IX/4305, गली नं. 9, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–31
इसके साथ: IX/4009, गली नं. 17, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
(सीडी–2) श्रीमती साजिदा बेगम पत्नी श्री मोहम्मद करीम IX/4305, गली नं. 9, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
इसके साथ: IX/4009, गली नं. 17, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
(सीडी–3) श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मोहम्मद करीम IX/4305, गली नं. 9, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
इसके साथ: IX/4009, गली नं. 17, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
(सीडी–4) श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गोपी चन्द शर्मा, 4341, गली नं. 8, अजित नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031
इसके साथ: मकान नं. 10/186, गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031

चूंकि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओ.ए. नं. 323/2014/डीआरटी–III, दिल्ली में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपसी और बकाया राशि रु. 29,69,715/– (उनतीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पन्द्रह रुपए) और प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागत का भुगतान करने में असफल रहे हैं। और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र के आलोक में नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है। आप सीडी नं. 1 से 4 के पास 12.05.2014 से उस पर लागत एवं ब्याज के साथ रु. 29,69,715/– (उनतीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पन्द्रह रुपए) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आगे किसी भी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री 21.08.2019 को सायं 03:00 बजे के बीच परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, निकट पुलिस स्टेशन, करोल बाग, नई दिल्ली पर कोर्ट ऑक्शनर श्री प्रदीप चौधरी, अधिवक्ता, मोबाइल नं. 9958277201 के माध्यम से की जाएगी।

नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लॉट को बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग की बिक्री पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। बिक्री को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि पूरा लॉट समाप्त हो जाता है, कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की कीमत सहित) की अधिकारी द्वारा वसूली हो जाने का प्रमाण दिया जाता है और अधोहस्ताक्षरी के पास ऐसे प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है। कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी ड्यूटी बिक्री से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा। बिक्री पर आम जनता को व्यक्तिगत या अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नीलामी बिक्री के समय भावी खरीददार द्वारा पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और इसके अधीन बनाए गये नियमों और आगे की शर्तों का पालन करते हुए की जाएगी। सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और ईएमडी का विवरण निम्नानुसार है: अनुसूची में दिए गए विवरण अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध अधिकतम सूचना के आधार पर वर्णित किए गए हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या विवरण या भूलचूक के लिए उत्तर देने का जिम्मेदार नहीं होगा।

नियम व शर्तें:
(1) सम्पत्ति रु. 32.00 लाख (बत्तीस लाख रुपए मात्र) से कम पर नहीं बेची जाएगी।
(2) बोली राशि रु.50,000/– (पचास हजार रुपए मात्र) से बढ़ायी जाएगी और बोलीदाता की ओर बोली राशि के रूप में किसी भी विवाद की स्थिति में तो लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।
(3) सबसे ऊंची बोलीदाता को किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जाएगा और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अधोहस्ताक्षरी को यदि लगता है कि प्रस्तुत की गई बोली राशि कम है और यह राशि अनुचित है तो उसके पास ऊंची बोली को निरस्त करने/स्वीकार करने का अधिकार होगा।
(4) ईएमडी राशि 3,20,000/– (तीन लाख बीस हजार रुपए मात्र) वसूली अधिकारी–II, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्ति एवं लॉट की खरीद के लिए संबंधित सम्पत्ति की नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व नीलामी साइट पर जमा करनी होगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा।
(5) ईएमडी जमा करते समय कथित ऑक्शनर के पास पैन कार्ड, पते का प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाइल नं., और पैन कार्ड, कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा या कम्पनी के प्रतिनिधि/अटॉर्नी की पुष्टि करते एवं अन्य दस्तावेज/घोषणा पत्र आदि को जमा करना होगा।
(6) सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने के अगले बैंक कार्य दिवस को ईएमडी के समायोजन के पश्चात लगाई गई बोली की 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी–2, ऋण वसूली अधिकरण–3, दिल्ली के नाम पर डीडी/पे आर्डर के रूप में 3.00 बजे तक जमा करनी होगी।
(7) सफल खरीददार को सम्पत्ति की बिक्री की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15वें दिन को या उससे पूर्व, ऐसे तिथि को छोड़कर, या यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो इसके बाद आने वाले पहले दिन उपरोक्त पैरा 4 में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, खरीददार को रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी के रूप में रु. 1000/– तक 2 प्रतिशत की दर से और रु. 1000/– से अधिक राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउंडेज शुल्क वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III के पास जमा करना होगा।
(8) यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होती है तो जमा की गई राशि, बिक्री के व्यय, जैसा अधोहस्ताक्षरी जैसा उचित समझे को सरकारी खाते में जब्त कर दिया जाएगा और चूककर्ता खरीददार जमा की गई राशि या सम्पत्ति के संबंध में कोई भी दावा नहीं कर पायेगा। सम्पत्ति को नई बिक्री उद्घोषणा जारी करने के बाद पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा खरीददार अपनी अंतिम बोली राशि और बाद में अनुवर्ती बेची गई कीमत के बीच में कमी या अंतर के लिए भी जिम्मेदार होगा।
(9) वसूली अधिकारी किसी या सभी बोली, यदि वह अनुचित समझे तो उसे निरस्त करने या किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं।
(10) सम्पत्ति "जैसा है जहां है एवं जो है जैसा है" आधार पर बेची जाएगी।
(11) असफल बोलीदाताओं को अपने ईएमडी की वापसी के लिए आरसी पर सुनवाई की तिथि को या उससे पूर्व रजिस्ट्रार, डीआरटी–3 के पास पहचान प्रमाणपत्र के साथ एक आवेदन जमा करना है जिसे आरसी पर सुनवाई की तिथि/अनुवर्ती तिथि को वापिस कर दिया जाएगा।
(12) अधोहस्ताक्षरी किसी या सभी बोली, यदि वह अनुचित समझे तो उसे निरस्त करने या किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं।

लॉट	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी	कोर्ट ऑक्शनर का नाम
1.	सम्पत्ति यानि सम्पत्ति सं IX/4009, गली नं. 17, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली–110031, परिमाप 50 वर्ग यार्ड, दिल्ली–110031	रू.32.00 लाख रू.3.20 लाख	श्री प्रदीप चौधरी, अधिवक्ता मोबाइल: 9958277201

सम्पत्ति या इसके किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्व: उपलब्ध नहीं
सम्पत्ति पर अधिभार बकाया, यदि कोई हो, का विवरण: उपलब्ध नहीं
दावे, यदि कोई हो, जो सम्पत्ति के साथ जुड़े हैं और इसके प्रकार एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण: उपलब्ध नहीं

आज 06 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ जारी
कोर्ट की मोहर
(विकास जेटली)
वसूली अधिकारी–2, डीआरटी–3, दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक!
शाखा कार्यालय : मॉडल टाऊन रोहतक,
फोन : 9053084427, Mail : bo3341@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित) के तहत पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने ऋणी/बन्धककर्ता श्री संजय आहूजा मैसर्ज निर्मल मैडिकोज को दिनांक 01.04.2019 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें नोटिस की तिथि से 60 के दिन के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान की मांग की।

ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान न करने पर, आम जनता व ऋणी को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 तथा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का दिनांक 10.07.2019 को कब्जा ले लिया है।

सुरक्षित सम्पत्तियों को मुक्त कराने हेतु उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर ऋणी/गारंटर/बन्धककर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

एतद् द्वारा ऋणी को विशेष रूप से व आम जनता को सामान्यता से सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति के साथ कोई भी व्यवहार न करें, सम्पत्ति के साथ कोई भी व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को निम्न वर्णित देय राशि, ब्याज व अन्य खर्चों सहित राशि के प्रभार के अधीन होगा।

बंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशि
कुल सम्पत्ति का वह हिस्सा जोकि प्लॉट नं./प्लॉट नं. 2481, सैक्टर-1 हुडा, रोहतक में स्थित है जिसका सेल डीड नं. 998, बही नं. 1 खंड नं 734 पेज नं. 202 दिनांक 08.05.2006 है।	रु. 12775086.60 + 01.04.2019 से आगे का ब्याज व अन्य खर्चे।

दिनांक: 15.07.2019 स्थान: रोहतक प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी–II
ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 572/2018 बिक्री उद्घोषणा दिनांकित : 17.06.2019

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स महादुर्गा एग्रोटेक

[illegible]

10. सम्पत्ति को बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

[illegible]

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 17 जून, 2019 को दिया गया। (विकास जेटली) वसूली अधिकारी–II, ऋणवसूली अधिकरण–III, दिल्ली

खबरों में शहर

कारखाने में भीषण आग से लाखों का नुकसान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

केशवपुरम के लॉरेंस रोड पर सोमवार सुबह एक जूता-चप्पल के कारखाना में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने सुबह करीब आठ बजे मौके पर 10 दमकल को रवाना किया गया। बाद में 12 और दमकलों को भेजा गया। करीब 10 बजे आग पर काबू पा लिया था। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग की चपेट में आने से लाखों का सामान खाक हो गया।

पुलिसकर्मी से बदसलूकी का वीडियो वायरल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

सोशल मीडिया पर सोमवार को वायरल एक वीडियो में दो युवक यातायात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की के अलावा उन्हें गालियां देते दिखाई दे रहे हैं। एक युवक पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिल के साथ तोड़फोड़ कर रहा है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि युवकों की पहचान के बाद उनका चालान किया गया है। वीडियो दो दिन पुराना है। बताया जा रहा है कि वीडियो उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस का है।

एजंटों के खिलाफ कार्रवाई करें : गौतम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेटों को आधार पंजीकरण केंद्रों के ऐसे एजंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो आधार में अपने निजी ब्योरों को अपडेट करने वालों को परेशान करते हैं। मंत्री ने कहा कि डाक विभाग, बैंक एवं जिला कार्यालय आधार पंजीकरण और दस्तावेज में सूचना अपडेट करने के लिए अनुबंध के आधार पर स्टाफ रखते हैं जो पैसे लेकर काम करते हैं।

फलोत्सव में बुजुर्गों ने फलों का उठाया लुत्फ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

आदर्श नगर में रविवार को रोटी बैंक टीम ने फलोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान बुजुर्गों ने मौसमी फलों का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का आयोजन रोटी बैंक के संस्थापक राज कुमार भाटिया ने किया था। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग समाज के लिए बरगद की तरह होते हैं। उनके पास अनुभव का भंडार है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता पवन शर्मा, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, संत अजय भाई समेत कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।

शिक्षकों ने केंद्र सरकार को भेजा ज्ञापन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को 21 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की है। दिल्ली में भी सभी जिला कार्यालय में शिक्षक महासंघ ने ज्ञापन सौंपा।

मुर्गा मार्केट के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के सुंदर नगरी एफ-1 ब्लॉक में मीट व्यापारियों द्वारा चलाई जा रही अवैध मुर्गा मार्केट को बंद करवाने के लिए यूनाईटेड हिंदू फ्रंट ने उपायुक्त कार्यालय नंद नगरी के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल में प्रचार सचिव मदन लाल माहौर बैठे है।

सूर्यप्रकाश अध्यक्ष और छिकारा राष्ट्रीय महासचिव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें एस सूर्यप्रकाश को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियवृत छिकारा को दोबारा राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी चुने गए।

'अस्पताल के सिलेंडर हादसे को दावत दे रहे'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के अरुणा आसफ अली अस्पताल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर बेसमेंट में रखे हैं जो मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हैं।

कलस्टर बस की कई वाहनों से टक्कर, महिला की मौत

- देशबंधु गुप्ता रोड पर सुबह हुआ हादसा
- पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होने की बात कही

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

देशबंधु गुप्ता रोड (जीडीबी) थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक कलस्टर बस चालक ने कई वाहनों में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल एक बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

करोलबाग में तेज रफ्तार बस ने तीन ऑटो, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी के अलावा एक ई-रिक्शा में टक्कर मार दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे कर घायलों को निजी वाहनों, पीसीआर और एंबुलेंस की मदद से आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान भागो देवी (65) की मौत हो गई। वहीं, घायल अनिल (22), मनोज (23), सिद्धार्थ (22) और एक अन्य शख्स का जीवन माला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं, हादसे में घायल अन्य चार लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि कलस्टर बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके बाद चालक अपना नियंत्रण खो बैठा था। वहीं, मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि चालक हादसा के समय नशे में था। फिलहाल पुलिस डीबीजी रोड़ थाना पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और चालक जोगिंदर सिंह (48) को गिरफ्तार कर लिया है और बस जब्त कर ली है।

जानकारी के मुताबिक नंद नगरी टर्मिनल से आनंद पर्वत के बीच चलने वाली रूट संख्या-212 की क्लस्टर बस सोमवार सुबह नंद नगरी टर्मिनल से आनंद पर्वत जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब आठ बजकर 20 मिनट पर बस करोलबाग एमसीडी जोन के पास पहुंची, तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गए। इस बाद बस चालक ने सामने के कई वाहनों में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शी रमेश कुमार ने बताया कि हादसे के दौरान बस की रफ्तार तेज थी। वाहनों से टकराने के बाद बस करीब 100 मीटर दूर एक एक डिवाइडर से टकराने के बाद रुकी। हादसे के दौरान बस चालक और कंडक्टर मौके से भागने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पड़क उसकी जमकर पिटाई करने के बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। राहगीर हरीराम ने बताया कि हादसे के बाद घटनास्थल चीखों से गूंज उठा। हादसे के बाद करोल बाग से लेकर तीस हजारी कोर्ट तक जाम का असर देखने को मिला। वाहन चालक करीब एक घंटे तक जाम से जूझते रहे। बाद में यातायात पुलिस ने स्थानीय पुलिस व लोगों की मदद स्थिति पर काबू पाया।

बदला मौसम

दिल्ली में सोमवार को हुई झमाझम बारिश के दौरान छाता लगाकर जाता व्यक्ति। फोटो : अरुण चोपड़ा

दिल्ली कांग्रेस में घमासान जारी

तीन पूर्व मेयर के साथ कई निगम नेता चाको से मिले

- राहुल गांधी से मिलने का मांगा समय
- शीला दीक्षित की कार्यशैली से नाराजगी की चर्चा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित द्वारा दिल्ली के सभी 280 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को पद से हटाने के फरमान के बाद से दिल्ली कांग्रेस में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर दीक्षित ने नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है तो दूसरी ओर उनके इस कदम की मुखालफत भी जारी है। प्रदेश के कई पूर्व विधायकों द्वारा दीक्षित के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद किए जाने के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों से ताल्लुक रखने वाले नेता भी सक्रिय हो गए हैं।

दिल्ली के कई पूर्व विधायकों सहित प्रदेश के अन्य नेताओं ने शनिवार को दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको से मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रदेश कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। उसके बाद सोमवार को दिल्ली के तीन पूर्व मेयर सहित दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल के कई वरिष्ठ नेताओं सहित 12 से अधिक कांग्रेसियों ने चाको से उनके निवास पर मुलाकात कर अपनी बात रखी। नई दिल्ली जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद वीरेन्द्र कसाना ने मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका दीक्षित से कोई विरोध नहीं है लेकिन उनकी कार्यशैली से वे कतई खुश नहीं हैं। मुलाकात का मकसद विरोध को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाना था। हालांकि पूर्व महापौर फरहाद सूरी ने कहा कि वे चाको से मिले जरूर हैं लेकिन यह एक सामान्य मुलाकात थी और इसे किसी के विरोध से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

दिलचस्प यह है कि दिल्ली नगर निगम में अहम पद पर काबिज कांग्रेस के कई नेता दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी चाको से मिलने उनके घर जरूर गए लेकिन उन्होंने इस मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। उनके साथ गए कसाना और सूरी ने माना कि नगर निगमों के प्रमुख नेता भी उनके साथ थे लेकिन जब इन नेताओं से संपर्क साधा गया तो एक नेता ने कहा कि वे तो सदन की कार्यवाही में व्यस्त थे। सूत्रों की मानें तो इन तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दफ्तर में फोन कर इन नेताओं की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया और आग्रह किया कि इन नेताओं को गांधी से मिलने का समय दिया जाए। बताया गया कि गांधी मंगलवार को इन नेताओं से मिल सकते हैं।

कांग्रेस पार्षद ने मेयर व आयुक्त के कमरे के बाहर फेंका कूड़ा

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सदन बैठक के दौरान सोमवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब कांग्रेस पार्षद गुड्डी देवी ने विरोध प्रदर्शन का विचित्र तरीका अपनाते हुए मेयर और आयुक्त के कार्यालयों के बाहर कूड़ा फेंका और अपने वार्ड में गंदगी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। बाद में निगम कर्मचारियों ने कूड़ा हटाकर साफ सफाई की और पार्षदों को उनके इलाके में सफाई अभियान दुरुस्त करने का आश्वासन दिया।

सदन की कार्यवाही शालीमार बाग उत्तरी के पार्षद रेणु जाजू के निधन के मद्देनजर सोमवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। रेणु जाजू निगम की हिंदी समिति के उपाध्यक्ष पद पर भी रहीं थीं। बैठक स्थगित कर लोग जाजू की भाजपा में योगदान की चर्चा कर रहे थे तभी मलकागंज से पार्षद गुड्डी देवी ने पहले उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह के कार्यालय के बाहर सूखा कूड़ा फेंका और फिर आयुक्त वर्षा जोशी के कार्यालय के दरवाजे के ठीक सामने कूड़ा फेंककर विरोध प्रकट किया। कूड़ा फेंकने के दौरान हंगामा हो गया। हंगामे के बाद आयुक्त वर्षा जोशी अपने कार्यालय से बाहर आईं और इलाके की सफाई का आदेश दिया। पार्षद गुड्डी देवी ने आरोप लगाया कि वह एक बच्चे के अंतिम संस्कार में गई थीं, जिसका शोकाकुल परिवार कूड़े के ढेर के पास बैठा हुआ था। अगर मेरे वार्ड में लोग कूड़े के ढेर के करीब रह सकते हैं तो इन बड़े अधिकारियों को भी पता चलना चाहिए।

'अस्पताल में पंखा गिरने से पहले ही चेताया था'

उत्तरी दिल्ली निगम में विपक्ष के नेता सुरजीत सिंह पवार ने हिंदू राव अस्पताल में छत से पंखा गिरने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही निगम अधिकारियों को चेताया था। उन्होंने बताया कि विपक्ष की नेता ही हैसियत से अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवाओं की कमी, पीने के पानी और भ्रष्टाचार देखा। अस्पताल की जर्जर हालत के लिए निगम आयुक्त व मेयर को भी अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी स्कूलों में पंखा गिरने से विचलित दिखे थे तो अब निगम अस्पताल की बदहाली पर वे चुप क्यों बैठे हैं।

एक्सप्रेस-वे : डायल 100 की तर्ज पर काम करेगा रोडवेज नियंत्रण कक्ष

डायल 149

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 15 जुलाई।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर गत दिनों हुए बस हादसे के बाद परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पहल की है। एक्सप्रेस-वे पर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने समेत अन्य सड़क दुर्घटना होने पर रोडवेज के नियंत्रण कक्ष नंबर 149 पर शिकायत दर्ज कराते ही मदद पहुंचेगी।

इसके लिए निगम ने इंटरसेप्टर वाहन के प्रवर्तन को सतर्क रहने और सूचना मिलने पर तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा परिवहन निगम के नियंत्रण कक्ष नंबर 149 को डायल 100 और महिला हेल्पलाइन 1090 से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। ताकि निगम के प्रवर्तन दल के साथ नजदीकी थाना पुलिस के सदस्य घटना स्थल पर पहुंचकर यात्रियों की मदद कर सकें।

परिवहन निगम के नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय से नोएडा डिपो के अलावा मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, कोटद्वार डिपो संबद्ध हैं। नोएडा में करीब तीन महीने पहले उपलब्ध कराई गई पिंक परिवहन बसों की जांच के लिए दो इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इंटरसेप्टर वाहनों में प्रवर्तन दल की तैनाती की गई। जिसमें यातायात निरीक्षक और एक महिला सदस्य को शामिल किया गया है। नोएडा डिपो के एआरएम अनुराग यादव के मुताबिक इंटरसेप्टर वाहन में प्रवर्तन दल पहले से तैनात है।

बिजली चोरी से जुड़े मामलों के लिए अब अलग थाना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 15 जुलाई।

बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल वसूली के लिए शहर का पहला बिजली थाना सेक्टर-63 में शुरू होगा। करीब एक महीने बाद शुरू होने वाले इस थाने के लिए मेरठ मुख्यालय ने प्रदेश सरकार से दो साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर पुलिस बल लिया है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। इस वजह से जहां शहरी क्षेत्र में लाइन लॉस पांच से सात फीसद है। वहीं गांवों में यह 20-30 फीसद तक है।

नोएडा में बिजली थाना शुरू होने के बाद पश्चिमांचल के गाजियाबाद और मेरठ में भी इन्हें खोला जाएगा। सीओ सतर्कता (विजिलेंस) अनीता उपाध्याय ने बताया एक प्रभारी निरीक्षक, दो से तीन उप निरीक्षक समेत चार सिपाही आदि बिजली थाने में तैनात किए जाएंगे। बिजली थाना क्षेत्राधिकारी सतर्कता, एसपी सतर्कता, मुख्य अभियंता व प्रबंध निदेशक को बिजली चोरी के मामलों की रिपोर्ट सौंपेंगे। अधिकारियों ने बताया कि छिजारसी, चोटपुर, गढ़ी चौखंडी, सर्फाबाद, सोहरखा, कुलेसरा, बरौला, सदरपुर, छलेरा, सलारपुर, भंगेल समेत दादरी, जेवर व दनकौर में बिजली चोरी चरम पर है। शहर में बिजली चोरी के औसतन 60-70 मामले हर महीने प्रकाश में आते हैं। जिन्हें स्थानीय थाने में बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया जाता है। स्थानीय पुलिस स्तर पर कार्रवाई न होने पर बिजली चोरी के मामले लंबित रहते हैं।

बिल्डर-खरीदार विवाद का समाधान नोएडा सीईओ की प्राथमिकता

रितु महेश्वरी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 15 जुलाई।

प्राधिकरण के सीईओ के रूप में तेज तर्रार छवि वाली आइएएस रितु महेश्वरी ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। सेक्टर- 6 स्थित प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन का निरीक्षण करने के बाद सीईओ ने सभी फाइलों को ब्यौरे को कंप्यूटरीकृत और इमारत के अग्निशमन और इलेक्ट्रिक सुरक्षा के लिहाज से दुरुस्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। शहर के प्रत्येक घर से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा व निस्तारण, जल संचयन, यातायात, ढांचागत सुधार और विकासशील परियोजनाओं को समय से पूरा करने की प्राथमिकता बताई। अवैध निर्माण परअधिसूचित जमीन पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही शहर में बिल्डर-खरीदार समस्या को अहम बताते हुए मामले के निस्तारण को प्राथमिकता बताई है।

आर्थिक लिहाज से प्राधिकरण को मजबूती प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के लिए के लिए संपत्तियां आबंटित करने की जल्द योजना निकालने की मंशा जताई। बकाया वसूली पर सख्ती, शहर के सभी 900 पार्कों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया। आबंटियों की समस्याओं पर मॉनीटरिंग मोबाइल एप शुरू करने के निर्देश दिए।

हरियाणा : ऑनलाइन व्यवस्था से हजारों विद्यार्थी नहीं पा सके प्रवेश

फरीदाबाद,15 जुलाई (जनसत्ता)।

शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में दाखिला पाने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। दाखिले मई माह के अंत तक ही खुले थे। ऐसे में अकेले फरीदाबाद जिले में ही हजारों छात्र दाखिले से वंचित रह गए हैं। हरियाणा में बेटियां भी अब स्कूल में दाखिला न मिलने के कारण घर बैठने को मजबूर हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के चलते छात्र-छात्राएं दाखिला प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। सरकारी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथी 31 मई थी।

नौंवी, दसवीं, ग्यारहवी और बारहवीं कक्षा के लिए प्रवेश के लिए ज्यादातर छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के ही हैं। इसराय ख्वाजा स्कूल में दाखिले के लिए 200 से अधिक छात्र चक्कर काट कर रहे हैं। ऐसा ही हाल ओल्ड गर्ल्स स्कूल और बल्लभगढ़ के राजकीय विघालय का है। जिले में हजारों स्कूल के छात्र अपने अभिभावकों के साथ सरकारी स्कूलों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन दाखिले की तारीख न होने के कारण अधिकारियों के भी हाथ बंधे हुए हैं।

बताया जा रहा है कि दाखिला प्रक्रिया की जटिलता के चलते हजारों छात्र समय रहते दाखिला नहीं ले पाए। हालांकि इनमें ज्यादातर ने समय रहते स्कूल में दाखिले के आवेदन दे दिए थे। शिक्षा मंत्री रामबिलाश शर्मा ने बीते साल भी दावा किया था कि किसी भी गरीब छात्र को परिस्थितिवश सरकारी स्कूल में दाखिले से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

गंदे पानी को साफ कर इस्तेमाल कर रहा है डीटीयू

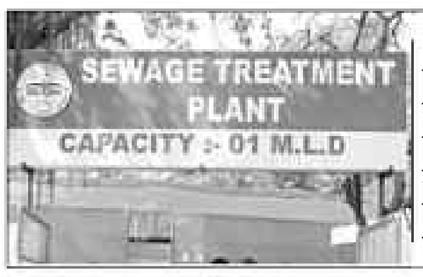

ऐसे होता है पानी का शुद्धीकरण

संयंत्र में गंदे जल को फिल्टर कर प्लास्टिक को अलग किया जाता है। उसके बाद गंदे जल को फव्वारों से 6 ट्रे-स्टैग में डाला जाता है। उनमें पापुलर की लकड़ी की कतरनें होती हैं। उनके नीचे बारीक और मध्यम आकार की बजरी और मोटे पत्थर की तह बनाई गई है। इन सब के बाद पानी साफ होकर एक बायो फिल्टर पिट में एकत्रित हो जाता है

सुशील राघव
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ ही जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। नालों में बहता गंदा जल जहां बदबू फैलाता है, वहीं भू-जल को भी प्रदूषित कर रहा है। इस समस्या के निदान के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ने एक कोशिश शुरू की है। विवि आधुनिक और परंपरागत तकनीकों से मल-जल का शुद्धिकरण करके उसका उपयोग पौधों में करने के साथ ही पानी से बचे अपशिष्ट से केंचुए की जैविक खाद भी तैयार कर रहा है।

डीटीयू के कुलपति प्रो योगेश सिंह ने बताया कि हमारी सोच है कि प्रदूषण को कम करने के अधिक से अधिक उपाय किए जाएं और यह प्लांट इसी सोच पर आधारित है। विवि के मुख्य द्वार के साथ बने मल-जल शोधन सयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) में विवि परिसर से जमा हुए गंदे पानी व सीवरेज के पानी को शुद्ध करके पौधों में देने के काबिल बनाया जाता है। तकरीबन 1.90 करोड़ रुपए की लागत से बने एक एमएलडी प्रतिदिन की क्षमता वाले इस संयंत्र में जल शोधन की वैज्ञानिक विधियों के साथ ही परंपरागत विधियों का भी उपयोग किया गया है।

ओजोन गैस से होता है जिवाणुओं का खात्मा

जल के शुद्धिकरण के बावजूद भी उसमें 10 फीसद तक जिवाणु और बदबू जैसी अशुद्धियां रह जाती हैं। इनको हटाने के लिए इस पानी को ओजोन टैंक में लाया जाता है। यहां लैब में ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ कर तैयार की जा रही ओजोन को 300 मिलीलीटर प्रति घंटा की दर से इस पानी में मिलाया जाता है। इसके बाद यह पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। फिलहाल इस साफ पानी को संयंत्र के आस-पास के पौधों व पार्को में उपयोग किया जा रहा है।

केंचुए की खाद भी बनाई जाती है

पापुलर की लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों में आस्ट्रेलियन केंचुए भी छोड़े गए हैं। ये केंचुए पानी में मौजूद जिवाणुओं को खत्म करते हैं। आस्ट्रेलियन केंचुओं का इस्तेमाल इस लिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत जल्दी प्रजनन करते हैं और लकड़ी के टुकड़ों के गलने के बाद उन्हें जैविक खाद में परिवर्तित कर देते हैं। खाद बनने की इस प्रक्रिया में 6 से 8 महीने का समय लगता है। उसके बाद इस खाद को पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

राहुल देव को हरिदत्त शर्मा पुरस्कार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,15 जुलाई।

वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को एक समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार दिया। समारोह में डॉ हर्षवर्धन के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु, कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी, विवेकानंद योग विवि के डॉ एचआर नागेंद्र, पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, लेखक और कवि अशोक चक्रधर, एशियाई फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष संदीप मारवाह और आयोजक राज कुमार शर्मा भी मौजूद थे। पंडित हरिदत्त शर्मा जयंती पुरस्कार समिति हर साल किसी योग्य पत्रकार को सम्मान देती है। पंडित शर्मा, पत्रकार लेखक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता, कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे।

नई दिल्ली

बाबरी ध्वंस : सुनवाई पूरी करने के लिए विशेष जज ने छह महीने का वक्त मांगा

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

अयोध्या में विवादास्पद बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने इसकी सुनवाई पूरी करने के लिये छह महीने का समय और उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक आवेदन दायर किया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और कई अन्य नेताओं पर मुकदमा चल रहा है। विशेष न्यायाधीश ने मई में शीर्ष अदालत को एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह 30 सितंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष यह मामला सोमवार को विचार के लिए सूचीबद्ध था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से 19 जुलाई तक जानना चाहा है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है, जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा इस मामले में फैसला सुनाए जाने तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सके।

आसाराम को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में कथावाचक आसाराम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के पीठ को गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि इस मामले में मुकदमे की सुनवाई चल रही है और अभी 10 गवाहों की गवाही होनी बाकी है।

सूरत की रहने वाली दो बहनों ने 2001 से 2006 के दौरान अमदाबाद के निकट स्थित आश्रम में आसराम और उनके बेटे नारायण साई द्वारा उनके साथ बलात्कार करने और उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुये शिकायत दर्ज कराई थी।

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (6) के विषय में तथा बेस्ट प्रोविल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल–54, द्वितीय तल, [illegible], अशोक विहार फेज–1, दिल्ली –110052, भारत में स्थित है, के विषय में

आवेदक

[illegible]

हस्ता./–
राकेश कुमार
निदेशक
डीआईएन – 08222053
69–ए, [illegible] कालोनी,
पटपड़ विहार–1, दिल्ली–110057

तिथि : 00–00–2019
स्थान : दिल्ली

Trusted Since 1906

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता–700071

CIN : U10200WB1906GOI001713

IRDAI Reg. No. 58

फोन / फैक्स : (033) 2283-1717

ई–मेल : ncd.coordinator@nic.co.in

वेबसाइट : https://nationalinsurance.nic.co.in

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के नियम 47 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **वृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2019** को अपराह्न 2.00 बजे कंपनी के प्रधान कार्यालय, 3 मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता – 700 071 में होगी, जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के वार्षिक–लेखा एवं अन्य बातों के साथ–साथ उनके अनुमोदन व अपनाने हेतु विचार विमर्श किया जाएगा।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट https://nationalinsurance.nic.co.in और बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**
हस्ता/–
रीना माडिया
कंपनी सचिव

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 12.07.2019

Ad UIN : 017/19-20

SOUTH INDIAN Bank

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1/18–20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 फोन : 011–23610400, Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के अधीन सूचना

[illegible]

प्रत्याभूत आस्तियों की अनुसूची
अनुसूची "क"

[illegible]

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
(मुख्य प्रबंधक)

तिथि : 16.07.2019
स्थान : नोएडा

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 as amended, for information purposes only

SHRIRAM
Transport Finance Company Limited

A WINNING RELATIONSHIP

Shriram Transport Finance Company Limited

Shriram Transport Finance Company Limited (our "**Company**"), a public limited company was incorporated under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated June 30, 1979, issued by the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu (Registered as a deposit taking Non-Banking Financial Company within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)). Our Company has obtained a certificate of registration dated September 4, 2000 bearing registration no. A-07-00459 issued by the RBI to carry on the activities of a NBFC under section 45 IA of the RBI Act, 1934, which has been renewed on April 17, 2007, (bearing registration no. 07-00459). Our Company is a Deposit taking Non-Banking Financial Company. For further details, please see "General Information" and "History, Main Objects and Key Agreements" on pages 42 and 123 respectively of the Shelf Prospectus.

Corporate Identification Number: L65191TN1979PLC007874; **Registered Office:** Mookambika Complex, 3rd Floor, No. 4, Lady Desika Road, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu- 600 004. **Tel No:** +91 44 2499 0356, **Fax:** +91 44 2499 3272, **Corporate Office:** Wockhardt Towers, West Wing, Level-3, C-2, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. **Tel No:** +91 22 4095 9595, **Fax:** +91 22 4095 9596/97; **Website:** www.stfc.in

Compliance Officer and Contact Person: Mr. Vivek Madhukar Achwal; **E-mail:** stfcncd9t1comp@stfc.in

Our Promoter is Shriram Capital Limited. For details of our Promoter, please see "Our Promoter" on page 140 of the Shelf Prospectus.

PUBLIC ISSUE BY SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED, ("COMPANY" OR "ISSUER") OF 10,00,00,000 SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 EACH, ("NCDs"), FOR AN AMOUNT OF ₹ 30,000 LACS ("BASE ISSUE SIZE") WITH AN OPTION TO RETAIN OVER SUBSCRIPTION AGGREGATING UP TO ₹ 10,00,000 LACS ("THE SHELF LIMIT") AND IS BEING OFFERED BY WAY OF THE TRANCHE 1 PROSPECTUS DATED JULY 12, 2019 CONTAINING, INTER ALIA, THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANCHE 1 ISSUE ("TRANCHE 1 PROSPECTUS"), WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED JULY 9, 2019 ("SHELF PROSPECTUS") FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES, CHENNAI, TAMIL NADU, DESIGNATED STOCK EXCHANGE AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 AS AMENDED (THE "DEBT REGULATIONS") AND THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED. THE SHELF PROSPECTUS TOGETHER WITH THE TRANCHE 1 PROSPECTUS CONSTITUTES THE PROSPECTUS ("PROSPECTUS").

Credit Rating : 'CARE AA+; Stable' by CARE Ratings Limited ("CARE"), 'IND AA+; Outlook Stable' by India Ratings and Research Private Limited ("India Ratings") and 'CRISIL AA+/Stable' by CRISIL Limited ("CRISIL")

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS IN CONNECTION WITH EACH SERIES/TRANCHE OF NCDs

Series*	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Interest type	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Interest reset process	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frequency of Interest Payment	Monthly	Monthly	Monthly	Annual	Annual	Annual	Annual	Cumulative	Cumulative	Cumulative
Tenor	42 months	60 months	84 months	30 months	42 months	60 months	84 months	42 months	60 months	84 months
Coupon (%) for all categories of investors	9.12%	9.22%	9.31%	9.30%	9.50%	9.60%	9.70%	NA	NA	NA
Effective Yield (% per annum) (Approx) for all investor categories**	9.50%	9.61%	9.71%	9.33%	9.52%	9.59%	9.68%	9.50%	9.60%	9.70%
Redemption amount (₹ per NCD)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,374.75	1,582.25	1,912.80
Put and call option	NA									
Redemption Date (Months from the Deemed Date of Allotment)	42 months	60 months	84 months	30 months	42 months	60 months	84 months	42 months	60 months	84 months
Minimum Application	₹ 10,000 (10 NCDs) across all Series collectively									
In multiples of thereafter	₹ 1,000 (1 NCD)									
Face Value / Issue Price (₹ / NCD)	₹ 1,000 (1 NCD)									
Mode of Interest Payment	Through various options available									

*Our Company shall allocate and allot Series VII NCDs wherein the Applicants have not indicated their choice of the relevant NCD Series. Therefore, instructions will be given to the Designated Intermediaries to indicate Series VII as the Applicant's choice of the relevant NCD Series wherein the Applicants have not indicated their choice. If the Deemed Date of Allotment undergoes a change, the coupon payment dates, Redemption Dates, Redemption Amounts and other cash flow workings shall be changed accordingly.

** The initial allottees under Category III and Category IV in the proposed Tranche 1 Issue who are Senior Citizens on the Deemed Date of Allotment shall be eligible for an additional incentive of 0.25% p.a. provided the NCDs issued under the proposed Tranche 1 Issue are continued to be held by such investors under Category III and Category IV on the relevant Record Date for the relevant Interest Payment Date for Series I, Series II, Series III, Series IV, Series V, Series VI and/or Series VII. Accordingly, the amount payable on redemption to such Senior Citizens for NCDs under Series VIII, Series IX and Series X is ₹ 1,385.80, ₹ 1,600.40 and ₹ 1,943.55 per NCD respectively provided the NCDs issued under the proposed Tranche 1 Issue are continued to be held by such investors under Category III and Category IV on the relevant Record Date for the relevant Redemption Date for the Series VIII, Series IX and Series X.

TRANCHE 1 ISSUE SCHEDULE*

TRANCHE 1 ISSUE OPENS ON: WEDNESDAY, JULY 17, 2019

TRANCHE 1 ISSUE CLOSES ON: FRIDAY, AUGUST 16, 2019

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application

* Application supported by Blocked amount ("ASBA") is better way of applying to issues by simple blocking the fund in the bank account. For future details, check section on ASBA.
Mandatory in public issues from October 01, 2018. No Cheques will be accepted.

*The Tranche 1 Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10 a.m. to 5 p.m. (Indian Standard Time) during the period indicated above, except that the Tranche 1 Issue may close on such earlier date or extended date as may be decided by the Board of Directors of our Company or duly constituted Debt Issuance Committee - Public NCDs thereof, subject to necessary approvals. In the event of an early closure or extension of the Issue, our Company shall ensure that notice of the same is provided to the prospective investors in all those newspapers in which an advertisement for opening or closure of the Tranche 1 Issue have been given on or before such earlier or initial date of Tranche 1 Issue closure. On the Tranche 1 Issue Closing Date, the Application Forms for Tranche 1 Issue will be accepted only between 10 a.m. and 3 p.m. (Indian Standard Time) and uploaded until 5 p.m. or such extended time as may be permitted by the Stock Exchanges. For further details, please refer to the section titled "General Information" on page 15 of the Tranche 1 Prospectus.

Information required under Section 30 of the Companies Act, 2013: Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see "History, Main Objects and Key Agreements" on page 123 of the Shelf Prospectus. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "**MATERIAL CONTRACTS AND DOCUMENTS FOR INSPECTION**" on page 98 of the of the Tranche 1 Prospectus.

Liability of Members: Limited

Amount of share capital of the Company and Capital Structure as at the date of the Prospectus is: The authorised share capital of our Company is ₹ 1,59,700 lakhs divided into 64,70,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each and 9,50,00,000 Preference Shares of ₹ 100 each. The issued and subscribed capital is divided into 226,886,877 Equity Shares of ₹ 10 each and 226,882,736 Equity Shares of ₹ 10 each, respectively. The paid-up capital is divided into 22,68,82,736 Equity Shares of ₹ 10 each. For further details, see the section titled "**Capital Structure**" on page 72 of the Shelf Prospectus.

Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed by them at the time of signing the Memorandum of Association: R. Thyagarajan, L. S. Gopalan, Ravi C. Talwar, A.V.S. Raja, M. V. Seethapathy, R. Venkataswamy and C. N. Mohan Raj were allotted 1 equity share each at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company aggregating to 7 Equity Shares of face value ₹ 10 each.

LISTING: The NCDs offered through the Tranche 1 Issue are proposed to be listed on the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and the BSE Limited ("**BSE**"). Our Company has obtained an 'in-principle' approval for the Issue from the NSE vide their letter dated July 8, 2019 and from the BSE vide their letter dated July 8, 2019. For the purposes of the Issue, NSE shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE to use their network and software of the Online system should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory requirements approved by the Exchange; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company.

It is also to be distinctly understood that the approval given by BSE is only to use the software for participating in system of making application process.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of the NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF NSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE to use their network and Online Platform for facilitating applications for public issue of NCDs shall not in any way be deemed or construed as compliance with statutory and other requirements by the Company, LMs are cleared or approved by NSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its promoters, its management or any scheme or project of this Issuer.

DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The company is having a valid certificate of registration dated April 17, 2007 issued by the Reserve Bank of India under section 45-IA of the Reserve Bank of India act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the Company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the Company.

CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued under this Issue have been rated 'CARE AA+; Stable' by CARE Ratings Limited ("**CARE**") for an amount of up to ₹ 10,00,000 lacs vide its letter dated June 28, 2019, 'CRISIL AA+/Stable' by CRISIL Limited ("**CRISIL**") for an amount of up to ₹ 10,00,000 lacs vide its letter dated June 26, 2019 and 'IND AA+; Outlook Stable' by India Ratings and Research Private Limited ("**India Ratings**") for an amount of up to ₹ 10,00,000 lacs vide its letter dated June 25, 2019. The rating of the NCDs by CARE, CRISIL and India Ratings indicate that instruments with this rating are considered to have high degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and carry very low credit risk. The ratings provided by CARE and/or CRISIL and/or India Ratings may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agency and should be evaluated independently of any other rating. These ratings are not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decisions. Please refer to Annexures A, B and C of the Tranche 1 Prospectus for the rationale for the above ratings.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: Shriram Transport Finance Company Limited, **Tel No:** +91 44 2499 0356, **Fax:** +91 44 2499 3272; Lead Managers to the Issue: **JM Financial Limited, Tel:** +91 22 6630 3030, **Fax:** 91 22 6630 3330; **A. K. Capital Services Limited, Tel:** +91 22 6754 6500/ 6634 9300, **Fax:** +91 22 6610 0594 and **SMC Capitals Limited, Tel:** +91 22 66481818; **Fax:** +91 22 67341697 and offices of Members of the Syndicate, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites of NSE, BSE and the Lead Managers.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of the Company and the Lead Managers. Full copy of the Prospectus is available on the website of the Issuer at www.stfc.in, of the Lead Managers at www.jmfl.com, www.akgroup.co.in and www.smccapitals.com of BSE at www.bseindia.com, of NSE at www.nseindia.com of SEBI at www.sebi.gov.in.

PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND REFUND BANK: ICICI Bank Limited

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE			DEBENTURE TRUSTEE	REGISTRAR TO THE ISSUE
JM FINANCIAL	a.k.	smc capitals	CATALYST	Integrated
JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025 **Tel:** +91 22 6630 3030 **Fax:** 91 22 6630 3330 **Email:** stfc.bondissue2019@jmfl.com **Investor Grievance Email:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Contact Person:** Ms. Prachee Dhuri **Compliance Officer:** Mr. Sunny Shah **SEBI Regn. No.:** INM000010361	**A. K. Capital Services Limited** 30-38, 3rd Floor, Free Press House, Free Press Journal Marg, 215, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India **Tel:** +91 22 6754 6500/ 6634 9300 **Fax:** +91 22 6610 0594 **Email:** stfc.ncd2019@akgroup.co.in **Investor Grievance Email:** investor.grievance@akgroup.co.in **Website:** www.akgroup.co.in **Contact Person:** Mr. Krish Sanghvi/ Mr. Malay Shah **Compliance Officer:** Mr. Tejas Davda **SEBI Registration No.:** INM000010411	**SMC Capitals Limited** A-401/402, Lotus Corporate Park, Jai Coach Junction, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063 **Tel:** +91 22 66481818; **Fax:** +91 22 67341697 **Email:** stfc.ncd2019@smccapitals.com **Investor Grievance Email:** investor.grievance@smccapitals.com **Website:** www.smccapitals.com **Contact Person:** Mr. Satish Mangutkar/ Mr. Bhavin Shah **Compliance Officer:** Ms. Vaishali Gupta **SEBI Registration Number:** INM000011427	**Catalyst Trusteeship Limited**** 'GDA House', Plot No 85, Bhusari Colony (Right), Kothrud, Pune – 411038 **Tel:** 022 4922 0543 **Fax:** 022 4922 0505 **Email:** ComplianceCTL-Mumbai@ctltrustee.com **Investor Grievance Email:** grievance@ctltrustee.com **Website:** www.catalysttrustee.com **Contact Person:** Umesh Salvi **SEBI Registration No.:** IND000000034	**Integrated Registry Management Services Private Limited** 2nd Floor, 'Kences Towers', No. 1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017 **Tel:** + 91 44 2814 0801 to 803 **Fax:** +91 44 28142479 **Email:** stfcipo@integratedindia.in **Investor Grievance Email:** sureshbabu@integratedindia.in **Website:** www.integratedindia.in **Contact Person:** Ms. Anusha N / Mr. Sriram S **SEBI Registration No:** INR000000544

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Mr. Vivek Madhukar Achwal, Company Secretary
Shriram Transport Finance Company Limited, Wockhardt Towers, Level-3, West Wing, C -2, G Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 4095 9595; Fax: +91 22 4095 9596/97; Email: stfcncd9t1comp@stfc.in. Website: www.stfc.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Compliance Officer in case of any pre-issue or post Issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demat credit, refunds, non-receipt of debenture certificates (in case of NCDs which have been re-materialised), transfers etc.

**Catalyst Trusteeship Limited has by its letter dated June 20, 2019 given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue pursuant to regulation 4(4) of the Debt Regulations and for its name to be included in the Tranche 1 Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the NCDs issued pursuant to the Tranche 1 Issue.

A copy of the Shelf Prospectus has been filed with the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu on July 9, 2019 and a copy of the Tranche 1 Prospectus has been filed with the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu on July 12, 2019 in terms of section 26 and 31 of the Companies Act, 2013, along with the endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 98 of the Tranche 1 Prospectus.

Disclaimer clause of CRISIL: A CRISIL rating reflects CRISIL's current opinion on the likelihood of timely payment of the obligations under the rated instrument and does not constitute an audit of the rated entity by CRISIL. CRISIL ratings are based on information provided by the issuer or obtained by CRISIL from sources it considers reliable. CRISIL does not guarantee the completeness or accuracy of the information on which the rating is based. A CRISIL rating is not a recommendation to buy, sell, or hold the rated instrument; it does not comment on the market price or suitability for a particular investor. All CRISIL ratings are under surveillance. CRISIL or its associates may have other commercial transactions with the company/entity. Ratings are revised as and when circumstances so warrant. CRISIL is not responsible for any errors and especially states that it has no financial liability whatsoever to the subscribers / users / transmitters / distributors of this product. CRISIL Ratings rating criteria are available without charge to the public on the CRISIL web site, www.crisil.com. For the latest rating information on any instrument of any company rated by CRISIL, please contact Customer Service Helpdesk at 1800-267-1301.

Disclaimer clause of India Ratings: All credit ratings assigned by India Ratings are subject to certain limitations and disclaimers. Please read these limitations and disclaimers by following this link: https://www.indiaratings.co.in/ratings-definitions. In addition, rating definitions and the terms of use of such ratings are available on the agency's public website www.indiaratings.co.in. Published ratings, criteria, and methodologies are available from this site at all times. India ratings' code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance, and other relevant policies and procedures are also available from the code of conduct section of this site.

Disclaimer clause CARE: CARE's ratings are opinions on credit quality and are not recommendations to sanction, renew, disburse or recall the concerned bank facilities or to buy, sell or hold any security. CARE has based its ratings on information obtained from sources believed by it to be accurate and reliable. CARE does not, however, guarantee the accuracy, adequacy or completeness of any information and is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of such information. Most entities whose bank facilities/instruments are rated by CARE have paid a credit rating fee, based on the amount and type of bank facilities/instruments. In case of partnership/proprietary concerns, the rating assigned by CARE is based on the capital deployed by the partners/proprietor and the financial strength of the firm at present. The rating may undergo change in case of withdrawal of capital or the unsecured loans brought in by the partners/proprietor in addition to the financial performance and other relevant factors.

Disclaimer: Shriram Transport Finance Company Limited, subject to market conditions and other considerations is proposing a public issue of secured, redeemable non-convertible debentures ("Secured NCDs") and has filed the Shelf Prospectus and Tranche 1 Prospectus with the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai and with the National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and the Securities and Exchange Board of India. The Shelf Prospectus and Tranche 1 Prospectus are available on our website www.stfc.in, and will be available on the website of the stock exchanges www.nseindia.com, www.bseindia.com, on the website of SEBI www.sebi.gov.in and the respective web sites of the lead managers at www.jmfl.com, www.akgroup.co.in and www.smccapitals.com. Investors proposing to participate in the issue, should invest only on the basis of the information contained in the Shelf Prospectus and Tranche 1 Prospectus. Investors should note that investment in NCDs involves a high degree of risks and for details relating to the same, please refer to Shelf Prospectus, including the section on "Risk Factors" beginning on Page 16 of the Shelf Prospectus. Allotments by the Company, in consultation with the Designated Stock Exchange, shall be made on date priority basis i.e. a first-come first-serve basis to each Portion, based on the date of upload of each Application on the electronic platform of the Stock Exchanges, subject to the allocation ratio. However, in the event of and on the date of oversubscription, the allotments would be made to the Applicants on a proportionate basis.

For **Shriram Transport Finance Company Limited**
Sd/-
Managing Director and CEO

Place: Mumbai
Date: July 15, 2019

Adfactors 148

जनसत्ता

बदहाली के स्कूल

किसी भी देश की बुनियाद कितनी मजबूत है, यह इससे तय होता है कि वहां शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा कितना पुख्ता है! जहां तक हमारे देश में शिक्षा के समूचे तंत्र को दुरुस्त करने का सवाल है तो आजादी के बाद से आज तक लगातार इस दिशा में तमाम कवायदें की गईं, लेकिन फिर भी इतने मोर्चे अधूरे हैं कि इस मसले पर सब कुछ ठीक हो जाने का दावा करना मुश्किल है। यह अपने आप में एक परेशान करने वाली खबर है कि देश भर के सैंतीस फीसद यानी एक तिहाई से ज्यादा स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है। यह खबर तब आई है जब पिछले कुछ समय से ये दावे चारों तरफ चर्चा के केंद्र में हैं कि देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। सवाल है कि अगर गांव-गांव को बिजली से रोशन बना दिया गया है तो देश भर में इतनी बड़ी तादाद में स्कूलों के परिसर बिजली से वंचित कैसे और क्यों हैं! किसी भी स्कूल में अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां बिजली पर निर्भर किसी शैक्षिक गतिविधि से लेकर रोशनी या फिर गरमी के मौसम में क्या स्थिति रहती होगी!

गौरतलब है कि एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना, 2017-2019 की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है कि देश के केवल 63.14 फीसद स्कूलों में बिजली मौजूद थी। यह स्थिति तब है जब पिछले करीब ढाई-तीन दशकों से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और इस तरह शिक्षा की सूरत में सुधार लाने के वादे और दावे लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा, स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था का मकसद यही रहा है कि गरीब तबकों के बच्चों के न केवल पोषण का स्तर सुधारने में मदद मिले, बल्कि इस बहाने उन्हें स्कूली शिक्षा के दायरे में लाया जाए, ताकि समाज में शिक्षा की सूरत बेहतर हो। लेकिन अब खुद मानव संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन साल के दौरान स्कूलों में दोपहर में घटिया गुणवत्ता वाला भोजन खाने की वजह से देश भर से नौ सौ से ज्यादा बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आए। ऐसी खबरें अक्सर आती रही हैं कि किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत परोसे गए खाने की वजह से कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तब उन बच्चों और उन परिवारों की मनोस्थिति पर कैसा असर पड़ता होगा जो महज पेट में कुछ अन्न जाने और इस बहाने कुछ पढ़-लिख लेने की उम्मीद में स्कूल में जाते हैं!

यह एक आम आकलन है कि कोई भी स्कूल अगर बुनियादी ढांचे की कसौटी पर बेहतर है तो वहां पढ़ाई-लिखाई का माहौल भी अच्छा बन पाता है। पीने का पानी, साफ शौचालय, जरूरी संसाधनों से लैस कक्षाएं जैसी सुविधाओं के बावजूद अगर स्कूल में बिजली की सुविधा नहीं है तो बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन में इन सहायक कारकों की भूमिका भी सीमित हो जाती है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए नौ साल से ज्यादा हो गए। इस अवधि में स्कूली शिक्षा की तस्वीर सुधारने के मोर्चे पर कुछ कामयाबी मिली है। लेकिन आज भी इस मोर्चे पर जो स्थिति है, उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। स्कूली बच्चों में सीखने के स्तर के मसले पर अक्सर आने वाली रिपोर्टें निराश करती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकारी स्कूलों को न केवल बिजली या दूसरी बुनियादी सुविधाओं को पूरी तरह से लैस किया जाए, बल्कि मध्याह्न भोजन से लेकर उन सभी योजनाओं पर अमल सुनिश्चित किया जाए जो इन स्कूलों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा की सूरत को बेहतर बनाएं।

नया चैंपियन

लार्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम रविवार को जिन रेकार्डों का गवाह बना, उनकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप का फाइनल जिस तरह से खेला गया और अंतिम निर्णय के लिए जिस तरह दुनिया भर में दर्शक सांस रोक कर टीम की जीत का इंतजार करते रहे, वैसा पहले किसी विश्व कप में नहीं देखा गया था। पचास ओवर का मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर भी टाई हो जाने और फिर चौकों-छक्कों की कुल संख्या से हार-जीत का फैसला होने की घटना ने विश्व कप के इतिहास में एक नया अध्याय रच डाला। आखिर के पंद्रह मिनट के इस घटनाक्रम ने पूरे मैच को एक ऐसे रोमांच भरे खेल में बदल डाला जो किक्रेट प्रेमियों ने पहले कभी नहीं देखा था। विश्व कप के इतिहास में चौवालीस साल के इंतजार के बाद इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप जीता। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन अभी तक विश्व कप उसके हाथ नहीं लग पाया था। इसलिए अपने ही देश में पहला विश्व कप जीतना इंग्लैंड के लिए बड़ी उपलब्धि है।

यों क्रिकेट में ऐसे रोमांच भरे क्षण कई बार आते हैं जब दर्शक सांस थाम कर बैठ जाते हैं। लेकिन लार्ड्स के मैदान में इस विश्व कप में रोमांच भी चरम पर पहुंच गया था। इंग्लैंड को विश्व कप का खिताब दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका बेन स्टोक्स की रही जिन्होंने चौरासी रनों की नाबाद पारी खेली और फिर सुपर ओवर में भी चार गेंदों पर नौ रन बनाए। इस विश्व कप के ग्रुप मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक सौ उन्नीस रनों से हराया था। इस बार इंग्लैंड की टीम 1992 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची थी। 1979, 1987 और 1992 में इंग्लैंड फाइनल में तो पहुंची थी, लेकिन कप को नहीं छू पाई थी। जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह फाइनल का दूसरा मौका था, पिछले विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। इसके बावजूद यह सच है कि भले विश्व कप न्यूजीलैंड के हाथ न आया हो, लेकिन जिस तरह से टीम ने अंतिम समय तक खेला, वह दिल जीतने वाला खेल रहा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने विश्व कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का एक बड़ा रेकार्ड अपने खाते में दर्ज करा दिया। विलियमसन ने कुल पांच सौ अठहत्तर रन बनाए।

इस बार के क्रिकेट विश्व कप में जीत का फैसला चौकों की संख्या से हुआ है न कि रनों से। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने बराबर रन बनाए और मैच तथा सुपर ओवर में एक-दूसरे के बराबर रहे। लेकिन चौके और छक्के इंग्लैंड ने ज्यादा मारे, इसलिए उसे विजयी घोषित कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में हार-जीत का फैसला करने को लेकर जो नियम-कायदे पहले से निर्धारित हैं, उन पर अब सवाल उठने लगे हैं। बुनियादी सवाल यह है कि अगर मैच और सुपर ओवर दोनों में ही दोनों टीमें बराबर रन बना लेती हैं तो कैसे एक टीम दूसरी से हार सकती है! तो फिर ऐसी स्थिति में क्यों नहीं दोनों को ही विश्व कप विजेता घोषित कर दिया जाना चाहिए? अगर दोनों टीमों की बाउंडरी की संख्या भी बराबर होती तब क्या होता? दरअसल, इस तरह के नियम हार-जीत के फैसले में हास्यास्पद ही लगते हैं। इंग्लैंड ने विश्व कप भले जीत लिया हो, लेकिन खेल के नजरिए से दोनों टीमें बराबर रहीं। एक ने कप जीता और दूसरी ने दिल!

कल्पमेधा

इस सनातन नियम को याद रखो, यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो।
-सुभाषचंद्र बोस

उपभोक्तावाद और बच्चे

विशेष गुप्ता

अभिभावक और बच्चों के बीच स्वस्थ संवाद न होने से बच्चों के जीवन से सामाजिक दुनिया दूर हो गई है। जहां उपभोक्तावादी समाज में हर वस्तु एक उत्पाद बन रही है, ऐसी स्थिति में बच्चे भी अब इससे अछूते नहीं हैं। बाजार की संस्कृति के सामने परिवार व स्कूल जैसी संस्थाएं भी कमजोर पड़ रही हैं। परिणामस्वरूप जुड़ाव की भावना, संयम, अनुशासन, परंपराएं, मूल्य, सहानुभूति और प्रेम जैसे शब्द बच्चों के स्वस्थ समाजीकरण की पृष्ठभूमि से गायब हो रहे हैं।

कुछ समय पहले झांसी के एक किशोर ने मोमो चैलेंज गेम के चंगुल में फंस कर आत्महत्या कर ली थी। पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गौरतलब है कि तमाम बहस-मुबाहिसों के बावजूद हम ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वह इसलिए कि बच्चे आज हमारी प्राथमिकता में आखिरी पायदान पर हैं। देखने में आ रहा है कि बच्चों की एक बिल्कुल अलग दुनिया बस गई है। सीखने की कच्ची उम्र में वे रातों-रात युवा बन रहे हैं। सोशल मीडिया की नई आभासी दुनिया ने उनके सामने एक नया समूह लाकर खड़ा कर दिया है। दादा-दादी के परिवार में न रहने से आज माता-पिता बच्चों की दुनिया में खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गए हैं। यह बात इसलिए सच है कि नई उदार वैश्विक दुनिया के सामाजिक और आर्थिक दबाव के कारण मां-बाप और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। कड़वा सच तो यह है कि इस समय बच्चों का बचपन पूरी तरह उपभोक्तावाद की गिरफ्त में है। देशी और विदेशी शोधों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे साफ है कि वैश्विक दौर की भागती जिंदगी ने बच्चों की आंखों से नींद ही छीन ली है। बच्चे अब पहले की तुलना में ज्यादा निर्मम, आक्रामक और एकल होते जा रहे हैं। यहां तक कि बच्चों का परिवार के अंदरूनी संबंधों का ढांचा भी दरक रहा है। पिछले दिनों 'इंडियन पीड्रियाट्रिक्स' जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के बयालीस फीसद बच्चे अनिद्रा के शिकार हैं और इस वजह से नींद में डर जाना, चलना, सोते-सोते बात करना, रोना और डरावने सपने देखना जैसी समस्याएं बच्चों को पेरशान कर रही हैं।

पिछले दिनों अमेरिका के फिलाडेल्फिया के सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय द्वारा भारत के लगभग चार हजार बच्चों पर अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकाले गए, उनसे साफ हुआ कि भारतीय बच्चे यूरोपीय बच्चों की तुलना में कम नींद ले पा रहे हैं। परिणामतः बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पा रहा है उनके खेलने-खाने की उम्र में ही उनका बचपन विसंगतियों से भर रहा है। बच्चों का घर से भाग जाना, आक्रामक होना, एकांत में रहना, मोबाइल पर गेम की दुनिया में उलझे रहना, मोबाइल गेम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आत्मघात की ओर अग्रसर होना- जैसी सामाजिक विसंगतियों की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं पारिवारिक व स्कूली पृष्ठभूमि को टटोलना समय की मांग है।

बच्चों के बदलते व्यवहार के लिए केवल उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कहीं न कहीं इसके लिए बच्चों के बचपन को निश्चित दिशा देने वाली परिवार व स्कूल जैसी संस्थाओं की भूमिका पर विचार करना होगा। अवलोकन बताते हैं कि शहरों और महानगरों में भौतिक जीवन की बदलती जरूरतों के कारण माता-पिता और बच्चों के बीच होने वाले गहरे संवाद का ढांचा चरमरा रहा है। निस्संदेह संयुक्त परिवार अब टूट रहे हैं। अगर कहीं दादा-दादी का परिवारों में दखल है भी तो दूसरी पीढ़ी के बच्चों पर से नियंत्रण की डोर उनके हाथों से खिसक रही है। आज एकल परिवार समाज के आदर्श बन रहे हैं। स्कूल भी किताबी ज्ञान तक सीमित होकर रह गए हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों का शैक्षिक समाजीकरण और परिवारों में अच्छी परवरिश एक चुनौती बन रहा है। साथ ही बच्चों के प्रति अनुराग और स्नेह की प्रवृत्ति भी शून्य हो चली है।

एसोचेम के सोशल डवलपमेंट फाउंडेशन ने देश के तीन हजार कामकाजी माता-पिता पर एक अध्ययन कराया था। इसमें पता चला कि कामकाजी माता-पिता के पास अपने बच्चों के साथ समय गुजारने के लिए केवल बीस मिनट का समय रह गया है। माता-पिता इससे ज्यादा वक्त बच्चों को दे ही नहीं पाते। निश्चित ही बच्चों के विकास के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कामकाजी माता-पिता के पास समय का अभाव होने से अब वे स्कूल के बाद बच्चों को होमवर्क कराने में भी मदद नहीं करते। सप्ताहांत में भी वे बच्चों के साथ एक वक्त का खाना नहीं खा पाते। इसका सीधा-सा अर्थ यह हुआ कि बच्चों का बचपन अब धीरे-धीरे सूना हो रहा है। अभिभावकों और बच्चों के बीच स्वस्थ संवाद न होने से बच्चों के जीवन से सामाजिक दुनिया दूर हो गई है। जहां उपभोक्तावादी समाज में हर वस्तु एक उत्पाद बन रही

है, ऐसी स्थिति में बच्चे भी अब इससे अछूते नहीं हैं। बाजार की संस्कृति के सामने परिवार व स्कूल जैसी संस्थाएं भी कमजोर पड़ रही हैं। परिणामस्वरूप जुड़ाव की भावना, संयम, अनुशासन, परंपराएं, मूल्य, सहानुभूति और प्रेम जैसे शब्द बच्चों के स्वस्थ समाजीकरण की पृष्ठभूमि से गायब हो रहे हैं।

आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्मों जैसे विभिन्न माध्यम स्कूलों और एकल परिवारों में सेंध लगा कर बच्चों के बीच पारिवारिक व स्कूली भूमिका का स्थानापन्न बन रहे हैं। सच्चाई यह है कि बच्चों के बचपन से माता-पिता और स्कूल के अनुपस्थित रहने का लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जम कर उठा रही हैं। यह बाजारवाद की विज्ञापन संस्कृति का ही असर है कि इन्हें अब बच्चे आने वाले समय के नए उपभोक्ता नजर आ रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि उदार दुनिया की गलाकाट होड़ के बीच के बाजार में एकल परिवारों के अकेलेपन से ग्रसित बाल मनोविज्ञान का लाभ उठा कर बच्चों के बीच इन कंपनियों को अपने उत्पाद खपत की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाजार में तमाम देशी व विदेशी कंपनियां बच्चों को मुफ्त वस्तुओं का लालच देकर उनकी गुस्सैल उपभोग की भूमि को उपजाऊ बनाने का काम कर रही हैं। अवलोकन बताते हैं कि आज जितनी बुनियादी जरूरतें परिवारों की बन रही हैं उनमें से लगभग नब्बे फीसद बाल केंद्रित हैं।

यह कटु सच्चाई है कि एकल परिवारों के भी बच्चों से भावनात्मक रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। माता-पिता को अपने कारोबार और भोगवादी पार्टियों से फुर्सत ही नहीं है। लिहाजा, बच्चे या तो घर की चारदीवारी में बंद होकर मोबाइल की दुनिया की ओर रुख कर रहे हैं। इस दुनिया की खराब बात यह है कि जब ये बच्चे वास्तविक जीवन की मुश्किलों का सामना करते हैं तब वे ऐसी परिस्थितियों से या तो पलायन करने लगते हैं या फिर तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां बच्चों ने अपनी परीक्षाओं के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, यहां तक कि मोबाइल गेम तक में नाकाम रहने पर या तो अपने साथी की हत्या कर डाली अथवा आत्महत्या कर ली। स्मरण रहे, परिवार में बच्चों को संरक्षण, वात्सल्य व स्नेह का भाव जहां उन्हें सामूहिक सोच व आपसी जुड़ाव वाला बनाता है, वहीं उन्हें सुरक्षा और संरक्षण भी प्रदान करता है।

संचार माध्यमों ने बच्चों के कल्पनालोक और उनके यथार्थ में घालमेल करते हुए आक्रोश, अश्लीलता व हिंसा को केंद्र में लाकर रख दिया है। आक्रामकता, गुस्सा और हिंसा जैसे नकारात्मक तत्त्व अब बच्चों के व्यक्तित्व के सामान्य अनुभव बन रहे हैं। स्कूल व घर की व्यवस्था में धीरे-धीरे एक आक्रोश अपनी पैठ बना रहा है। इस सच्चाई को न तो इस शिक्षा व्यवस्था के नीति-नियंता समझ रहे हैं और न ही अभिभावक।

आज बाल मनोविज्ञान को समझना बड़ा जरूरी है। देखा जाए तो बच्चों के सृजनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आज शिक्षा, शिक्षक और अभिभावक बच्चों की अनिद्रा, आक्रामकता व हिंसात्मक व्यवहार को रोकने में पूर्ण सहायक हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के साथ संवाद का सिलसिला बना रहे। तभी हम उन्हें आभासी दुनिया से बाहर निकाल कर सृजन की वास्तविक दुनिया से परिचित करा सकेंगे।

वर्चस्व की संस्कृति

आरती मंगल

दुनिया मेरे आगे

कई बातें ऊपर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगती हैं, लेकिन अपने अंदर अनेक निहितार्थ लिए होती हैं। उनकी कल्पना और उनका विश्लेषण सामाजिक विकारों में तोड़फोड़ मचाने के लिए जरूरी है। ऐसे ही कुछ सामाजिक विकार या फिर सामाजिक हिंसा माता-पिता के व्यवहारों से परोक्ष संबंध रखते हैं। हमारे समाज में माता-पिता के अपने बच्चों पर आधिपत्य के भाव को अच्छे संस्कार के रूप में देखा जाता है और आदर्श बच्चे का मतलब माता-पिता के निर्देशों का बिना सवाल किए चुपचाप पालन करना है। अक्सर माता-पिता को अपनी तारीफ में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारा बच्चा फलां जगह जाना चाहता था, फलां विषय पढ़ना चाहता था, यह बनना चाहता था, फलां कपड़े पहनना चाहता था, मगर हमने तो एकदम मना कर दिया और मजाल कि वह अपने पापा-मम्मी या बड़े भाई-बहन की बात टाले या उनके कहे के खिलाफ कुछ भी करे!

इसके अलावा, ऐसी बातों में धीरे-धीरे शामिल होने लगती हैं कुछ ऐसी बातें भी- मेरे बच्चे ने ऐसा किया होता तो सूली पर टांग देता, पैर तोड़ देता, खाल उधेड़ देता, घर से निकाल देता वगैरह। अपने ही बच्चों की वाजिब हसरतों का गला सिर्फ इसलिए घोंट देना कि वे इस समाज में एक 'आदर्श माता-पिता' के रूप में बाकी अभिभावकों के सामने अपनी हैसियत ऊंची बना सकें, एक जुर्म तो है ही, साथ ही बेहद मतलबी और क्रूर व्यवहार है। ऐसा व्यवहार दूसरे माता-पिता पर भी वैसा ही करने का दबाव बनाता है। यह हैरानी की बात नहीं है कि कई बार ऐसी क्रूरता को भी बच्चे के हित में तो कभी बच्चे पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए या फिर बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं पर शक के तौर पर सही ठहरा दिया जाता है। इस व्यवहार को सही ठहराने के लिए कई उदाहरण धर्मग्रंथों से भी दिए जाते हैं। जबकि धर्मग्रंथों में अगर कभी किसी पुत्र या पुत्री के माता-पिता से विद्रोह के उदाहरण सामने आते हैं तो न सिर्फ उन पर चर्चा नहीं होती, बल्कि उन्हें क्रूर पुत्र या पुत्री के तौर पर देखा जाता है।

बहरहाल, अगर हमारे समाज में माता-पिता के ऐसे व्यवहारों को प्रेरणास्रोत के रूप में पेश किया जाता है तो मां-बाप द्वारा बच्चों को अंतरजातीय प्रेम या विवाह करने पर मार डालने पर या फिर बच्चों के आत्महत्या कर लेने पर जो शोर उठता है, वह दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह का व्यवहार मानसिक हिंसा से शुरू होकर शारीरिक हिंसा तक कब पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। इसके अलावा, बच्चों पर नियंत्रण और आधिपत्य जमाने का व्यवहार कब उनके बच्चों द्वारा भी सीख लिया जाता है, यह तब भी पता नहीं चलता जब दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और बलात्कार जैसी घटनाएं रोज सामने आती हैं।

दरअसल, शारीरिक तौर पर किसी को अपने से कमजोर समझ कर उस पर नियंत्रण करने और आधिपत्य जमाने की मानसिकता ऐसे अपराधों का आधार होती है। मनोवैज्ञानिक शोधों में भी पाया गया है कि ऐसे लोग जो खुद धौंस का शिकार हुए होते हैं, उनके अपने जीवन काल में दूसरों पर धौंस जमाने की संभावना दुगनी से भी ज्यादा होती है। इसके साथ ही अपनी इच्छाओं को लगातार दबाते रहने से व्यक्तित्व में कोई न कोई विकार पैदा हो जाता है जो आगे चल कर या तो दूसरों के लिए या फिर अपने लिए ही खतरनाक साबित होता है।

नियंत्रण और बिना कुछ सोचे पूरी तरह आज्ञा का पालन बौद्धिक विकास की नजर से भी रुकावटें पैदा करता है। ऐसे में सामाजिक बदलाव लाने की संभावना भी जाती रहती है। बच्चे और किशोर वही सीखते हैं जो हमारा समाज सिखाता है। इसका पहला चरण माता-पिता स्थापित करते हैं। यह सीखना शब्दों से नहीं, व्यवहार से होता है और एक बच्चा भी इसके फर्क को अच्छे से समझ पाता है। विडंबना यह है कि इंसानों से प्रेम करना और उन्हें अपने बराबर समझना अभिभावकों द्वारा बच्चों को सिखाने वाली सूची में मुश्किल से ही शामिल हो पाता है।

इस समाज में ऐसी संरचनाओं को तोड़ने की जरूरत है, जिनमें दूसरे लोगों पर नियंत्रण और वर्चस्व का भाव निहित होता है। इसकी शुरुआत बुनियादी परवरिश से भी की जानी चाहिए। घर एक ऐसी संस्था है, जिसे एक 'पवित्र संस्था' की उपाधि दी गई है। इसी वजह से इसे सामाजिक शिक्षण से अलग कर दिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि आधे से अधिक जुर्म न केवल घर की बंद दीवारों में किए जाते हैं, बल्कि अधिकतर घर से लेकर बाहर होने वाले अपराधों की जमीन भी यहीं पर तैयार होती है।

माता पिता या अभिभावकों को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे उनके गुलाम नहीं हैं और न ही उनकी हसरतों को गर्व हासिल करने का कोई जरिया मानना चाहिए। बच्चे भी एक जीवन हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं। वे भी उतने ही मनुष्य हैं, जितने उनके माता-पिता। इसलिए उन्हें भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है।

कानून के बावजूद

बीते शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराधों पर चिंता व्यक्त की क्योंकि पिछले छह महीनों में देश के चौबीस हजार बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं हुईं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस मामले का खुद से संज्ञान लिया और अपनी चिंता जाहिर की। अफसोस की बात है कि 2012 में पॉक्सो जैसा सख्त कानून बनने के बाद भी नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं थम रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक जनवरी से 30 जून तक देश में बाल यौन उत्पीड़न के 24212 मामले दर्ज हुए। इनमें से 11981 मामलों में पुलिस द्वारा जांच जारी है और बचे हुए मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं।

देश के कई राज्यों में हालात बेहद चिंताजनक हैं जहां बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। इसके मद्देनदर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी यौन अपराधों को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध निरोधक कानून (पॉक्सो) को कड़ा करने के लिए इसमें संशोधनों को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित संशोधनों में बच्चों का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वालों को मौत की सजा और नाबालिगों के खिलाफ दूसरे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। देश में बच्चों के साथ यौन अपराधों की भयावह स्थिति को देखते हुए कड़े कानून बनाना निश्चित ही जरूरी है लेकिन साथ ही लोगों को बच्चों और महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना भी आवश्यक है क्योंकि कई देशों में सख्त कानून होने के बावजूद यौन हिंसा के मामलों में उम्मीद के मुताबिक कमी नहीं आई है।

इन दिनों अधिकतर किशोर मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग करते हैं जहां अश्लील सामग्री की भरमार होती है। यह सामग्री उनकी सोच को दूषित करती है इसलिए अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों में अच्छी सोच का विकास करें और उन्हें लड़कियों का आदर करना सिखाएं। विश्व में प्रतिदिन इंटरनेट पर सत्तर फीसद खोजबीन अश्लील सामग्री और फिल्मों के लिए की जाती है। ये अश्लील फिल्में युवाओं और किशोरों को गलत दिशा में ले जाती हैं। इसलिए स्कूलों में भी यौन शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को इस बाबत उचित ज्ञान प्राप्त हो और वे भविष्य में गलत कदम उठाने से बचे रहें।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली, महाराष्ट्र*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

खेल के बाद

पैंतालीस दिन तक चलने वाले क्रिकेट महाकुंभ का आगाज जितना शानदार था अंजाम उतना ही हैरतअंगेज। दुनिया की दस बेहतरीन टीमों का मुकाबला लोगों को अचरज और रोमांच में नाखून चबाने को मजबूर कर रखा था। हर टीम की ख्वाहिश अव्वल नंबर पर पहुंचने की होती है, मगर सूरमा तो कोई एक ही हो सकता है। बहरहाल, न्यूजीलैंड अपने हरफन मौला खेल के बावजूद मुकाबला हार गया। हर शिकस्त के बाद जहां सामने वाले खिलाड़ी को बेहतर बताना टीमों की लाचारी है वहीं हमेशा की तरह कमियां ढूंढना इंसानी फितरत। लिहाजा, कप्तान ने बराबरी के खेल में फैसले के तौर-तरीकों पर सवाल उठा दिए। इससे पूर्व पाकिस्तानी कोच भी पहले चार में जगह न मिलने पर नियमों में ऐब निकाल चुके हैं। सवाल है कि मुकाबले के तौर-तरीके और नियमों की कमजोरियां हार के बाद ही क्यों नजर आती हैं? सोचने-समझने और नुक्ताचीनी के लिए चार साल कम तो नहीं होते। खयाल रखना होगा कि बड़ी टीमों के ऊल-जलूल सवाल खेल की शान को बट्टा तो नहीं लगाते हैं!

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

सावधानी का सफर

हाल में आगरा के पास यमुना एक्सप्रेस-वे पर उत्तर प्रदेश रोडवेड की एक बस के गहरे नाले में गिरने से 29 यात्रियों की मौत हो गई। इस साल अब तक यमुना एक्सप्रेस-वे पर विभिन्न हादसों में 77 लोगों की जान जा चुकी है। इस एक्सप्रेस-वे की शुरुआत 2012 में हुई थी और तब से अब तक 5000 से अधिक दुर्घटनाओं में यहां 800 से अधिक लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस सड़क पर अलग-अलग मौसम में दुर्घटनाओं के कारण भी अलग-अलग रहते हैं। ठंड के दिनों में कोहरे के कारण सड़क पर साफ दिखाई नहीं देने से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। पिछले साल सर्दियों में जब घना कोहरा छाया था तब कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई थीं। उधर गर्मी के दिनों में टायर फटने की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है।

अच्छी सड़क होने के कारण लोग इस पर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और अनियंत्रित होकर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। शहरों के आम यातायात और यमुना एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी चलाने में काफी अंतर है। शहरों में लालबत्ती पर गाड़ियां रुकती हैं, सड़कों पर गति सीमा लिखी होती है। अगर कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो पुलिस चालान काट देती है मगर एक्सप्रेस-वे पर यह सब नहीं होता लिहाजा, लोग अत्यंत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। लोगों को इस एक्सप्रेस-वे पर निर्धारित गति सीमा में और अत्यंत सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि उनका सफर मौत का सफर न बन जाए।

● *मनीषा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश*

किसानों की खातिर

'जय जवान जय किसान' नारा लालबहादुर शास्त्रीजी ने भारत के रक्षकों और अन्नदाताओं को समर्पित किया था। वे कर्ज के बोझ तले दब कर आएदिन आत्महत्या कर रहे हैं। 2014 से 2016 तक तीन वर्षों के दौरान कर्ज के कारण 36 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। पंजाब सरकार ने 2015 में नई मुआवजा और राहत नीति को घोषणा की जिसके अंतर्गत आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को राहत के रूप में तीन लाख रुपए देने का प्रावधान है। इस पर कई हलकों में आपत्ति जताई गई थी। उनके मुताबिक इससे किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि किसान चाहेगा कि उसके मरने के बाद मुआवजे के पैसे से उसका परिवार कर्ज मुक्त हो जाएगा। इस बार के बजट में कृषि उत्पादों से जुड़े कामों में निजी उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.95 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सवाल है कि क्या से सब लक्ष्य कागजों से बाहर आकर सच में पूरे होंगे? क्या नेताओं की सहानुभूति से किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी? सरकार को किसानों को खेती और जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं मुहैया करानी होंगी ताकि वे आत्महत्या करने पर विवश न हों।

● *राघव जैन, जालंधर*

नई दिल्ली

जनसत्ता संवाद

16 जुलाई, 2019 7

जरा हट के

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन मुंबई में अपनी फिल्म 'सुपर 30' के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान पोज देते हुए

बोल

अगर मैंने दबाव में या रिश्वत के लालच में फैसला सुनाया होता तो मैं उन्हें (पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को) एक मामले में बरी नहीं करता और एक अन्य मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराता।

-अरशद मलिक, न्यायाधीश, जवाबदेही अदालत, इस्लामाबाद

विवाद

मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि समुद्री क्षेत्र में असुरक्षा की शुरुआत आपने (ब्रिटेन) की है और आपको इसके परिणामों का एहसास जल्द एवं जरूर होगा।

-हसन रूहानी, ईरान के राष्ट्रपति

सम-सामयिक

हवाई क्षेत्र की रार : खमियाजा भुगत रहे विमान यात्री

जनसत्ता संवाद

बालाकोट के आतंकी शिविर पर भारतीय वायु सेना की कार्रवाई के छह महीने बाद भी पाकिस्तान अपना हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए खोलने की खातिर तैयार नहीं। पाकिस्तानी को भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा मिलने वाले करोड़ों के शुल्क का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर, भारतीय विमानन कंपनियों को दूसरे वायुमार्ग खोलने पड़े हैं, जो लंबे हैं और नतीजतन उड़ान का खर्च बढ़ रहा है। जाहिर है, दोनों देश आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। लेकिन राजनयिक दबाव का खेल भी चल रहा है। पाकिस्तान ने अपने तईं जो शर्तें रखी हैं, वह भारत को मान्य नहीं। पाकिस्तान ने शर्त रखी है कि भारत अग्रिम ठिकानों से अपने लड़ाकू विमान हटाए, तभी वह हवाई क्षेत्र खोलेगा। दूसरी ओर, भारतीय राजनयिकों का कहना है कि देखते हैं, आर्थिक संकट झेल रहा पाकिस्तान कब तक इस नुकसान को उठाता रहता है।

विभिन्न उड्डयन संस्थाओं ने अलग-अलग रिपोर्ट देनी शुरू की है, जिनसे जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान के द्वारा अपना वायुक्षेत्र बंद किए जाने से भारत को 548 करोड़ रुपए और पाकिस्तान को 100 मिलियन डॉलर (लगभग 688 करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ है। भारत के करीब चार सौ विमानों ने पाकिस्तान हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल बंद कर दिया है। भारत की सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया को जुलाई के पहले हफ्ते तक करीब 491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा इंडिगो को 31 मई तक 25.1 करोड़ का, स्पाइसजेट एवं गोएयर को क्रमशः 30.73 एवं 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना पूरा वायुक्षेत्र बंद कर दिया है। उसके पास 11 वायुक्षेत्र हैं, जिसमें से नौ बंद हैं। फिलहाल जो दो हवाई रास्ते चालू हैं वे दक्षिण पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं।

दरअसल, कोई भी विमानन कंपनी अन्य देशों में उड़ान भरने या गुजरने के लिए पैसे का भुगतान करती हैं। इसे ओवरफ्लाइट फीस या एअरटोल कहा जाता है। पाकिस्तान में, बोइंग 737 को वायुक्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए 580 डॉलर का भुगतान करना होता है। एअरबस 380 या बोइंग 747 के लिए यह किराया बढ़ जाता है। भारत में ओवरफ्लाइट और लैंडिंग चार्ज डीजीसीए तय करता है। हमारे यहां स्थानीय उड़ानों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से ज्यादा भुगतान करना होता है। इसके लिए तय किए गए रास्ते की नॉटिकल माइल्स के हिसाब से गणना होती है। साथ ही उड़ान का वजन भी देखा जाता है।

मजबूरी की सख्ती

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर नजर रखने वाले ओपीएस समूह ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों के डेटा से अंदाजा लगाया कि रोजाना कम से कम 350 उड़ानें इस पाबंदी से प्रभावित हो रही हैं। उदाहरण के लिए लंदन से सिंगापुर की उड़ान में 451 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। केएलएम, लुफ्थांसा और थाई एअरवेज की उड़ानें पहले से कम से कम दो घंटे ज्यादा का वक्त ले रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए विमानन कंपनियों ने किफायत देने वाले विभिन्न विमानों का इस्तेमाल शुरू किया है, वहीं विमान में वजन को लेकर नियम सख्त किए हैं, ताकि विमान दूर तक उड़ान भर सकें और ज्यादा ईंधन ले जा सकें।

पाकिस्तान के फैसले से भारत की यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उदाहरण के लिए काबुल से दिल्ली की उड़ान अब पाकिस्तान के रास्ते नहीं जा रही। उसे ईरान से होकर अरब सागर होते हुए दिल्ली का रास्ता लेना पड़ रहा है। भारत से यूरोप जाने वाली उड़ानों की दूरी में 913 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है जो कुल यात्रा का 22 फीसद है और इस वजह से दूरियां दो घंटे तक बढ़ गई हैं। लंदन से दिल्ली या मुंबई जाने वाले यात्री अब औसतन 21000 रुपए तक अधिक खर्च कर रहे हैं। प्रभावित होने वाली एअरलाइंस में एशिया, यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व की एअरलाइंस कंपनियां जैसे कि सिंगापुर एअरलाइंस, ब्रिटिश एअरलाइंस, लुफ्थांसा, थाई एअरवेज, वर्जिन अटलांटिक शामिल हैं।

शोध-अनुसंधान

उड़न टैक्सी बनाने में जुटा आइआइटी-कानपुर

जनसत्ता संवाद

आइआइटी कानपुर ने एक निजी कंपनी वीटीओएल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ शोध के मसविदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले पांच वर्षों में इसका एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करेंगे।

दुनिया भर में कई साल से उड़ने वाली टैक्सी जैसी हवाई सेवाओं को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भारत में भी इस तरह का शोध शुरू हुआ है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान आइआइटी-कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक निजी कंपनी के साथ 'वर्टिकल टेकऑफ ऑर लैंडिंग' (वीटीओएल) वाले विमान या उड़ने वाली टैक्सियां बनाने को लेकर शोध का करार किया है। विमान के कार्यात्मक नमूने (प्रोटोटाइप) को विकसित करने के लिए 15 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे विमानों का इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सियों के रूप में किया जा सकेगा। देश के बड़े शहरों में यातायात की समस्या को सुलझाने के लिए वीटीओएल विमान को भविष्य के एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

'वर्टिकल टेकऑफ ऑर लैंडिंग' (वीटीओएल) यानी ऐसे विमान, जिन्हें उड़ने के लिए रनवे पर दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये सीधे उड़ सकेंगे। आइआइटी कानपुर ने इसके लिए एक निजी कंपनी वीटीओएल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ शोध के मसविदे पर हस्ताक्षर किए हैं। आइआइटी-कानपुर के शोधकर्ता इस परियोजना में जुटने से पहले एक व्यावहारिक अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के माध्यम से वे पांच वर्षों में इसका एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करेंगे।

आइआइटी-कानपुर में एअरोस्पेस इंजीनियरिंग और फ्लाइट लैब का नेतृत्व करने वाले अजय घोष के मुताबिक, 'हम इस अवधारणा को वास्तविकता का रूप देंगे और इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी को और विस्तार से समझने के साथ उसका भरपूर उपयोग भी करेंगे। आने वाले वर्षों में इस पर 100 से अधिक छात्र कार्य कर रहे होंगे।'

शोधकर्ताओं के मुताबिक, वीटीओएल विमान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे दुनिया के किसी भी इलाके में कहीं भी उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। ये विमान पारंपरिक विमानों से काफी अलग है। वीटीओएल विमान दो प्रकार के होते हैं- पहला, रोटरक्राफ्ट जिसमें हेलिकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन के घूमने वाले ब्लेड होते हैं और दूसरे, पॉवर लिफ्ट वाले जो इंजन द्वारा संचालित होते हैं। पॉवर लिफ्ट विमान हवाई युद्ध और बचाव अभियान में काम आ सकते हैं। जेट ईंधन और पारंपरिक ऑटोमोबाइल ईंधन की तुलना में संचालित इंजन सस्ते भी होते हैं। पॉवर लिफ्ट वाले विमानों का उपयोग कई देशों की सेनाएं कर रही हैं।

अगर ऐसे सस्ते विमानों को विकसित करने का प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में उड़ने वाली टैक्सियां खूब दिखेंगी। ऊबर ने पहले ही हवाई ऊबर के लिए अपनी योजना की घोषणा कर दी है। ऊबर कंपनी 2023 में वीटीओएल टैक्सियों को लांच करना चाहता है। म्यूनिख में स्थित लिलियम नाम की कंपनी का लक्ष्य ऐसी ही इलेक्ट्रिक टैक्सियां बनाना है, जिसका जर्मनी में पहले ही परीक्षण किया जा चुका है। एयरबस और नासा भी अपने उड़ने वाली कारों के संस्करण डिजाइन कर रहे हैं।

ऐसे में आईआईटी-कानपुर और वीटीओएल विमानन अगले पांच साल के भीतर जिस प्रोटोटाइप को विकसित करेंगे, उसे विश्व स्तर पर होड़ लेनी होगी। इसके अलावा केवल प्रौद्योगिकी विकसित करने भर से ही लक्ष्य हासिल नहीं होगा। परिवहन के इस नए तरीके के मद्देनजर नीति नियमन की जरूरत भी होगी। नीति परिवर्तन में व्यावहारिक बदलाव के साथ ही विभिन्न अधिकारियों और नागरिक निकायों के बीच तालमेल की आवश्यकता होगी। अजय घोष ने बताया, 'वायु यातायात नियमों को इस अनुसार बनाने की जरूरत है।' वायुमार्ग के उपयोग को लेकर देश के विमानन प्राधिकरणों के साथ काम करना होगा। प्रस्तावित विमान अधिकांशतः वाणिज्यिक हवाई जहाज की तरह एक नलिका पंखे का उपयोग करेगा। यह पर्यावरण हितैषी होगा, क्योंकि यह विद्युत शक्ति का उपयोग करेगा।

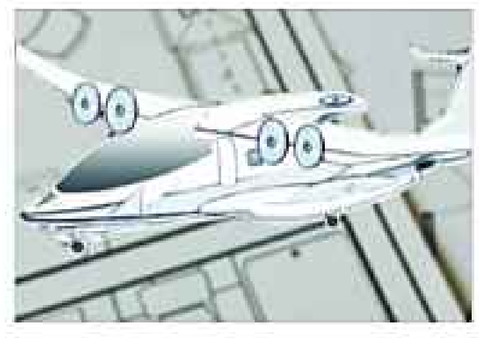

शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया डिजाइन

विश्व परिक्रमा

ट्यूनीशिया में नकाब पर प्रतिबंध

रविवार, 7 जुलाई : ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने देश में हुए हमलों के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकारी कार्यालयों में नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जज को ब्लैकमेल किया, मरियम का दावा

सोमवार, 8 जुलाई : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की नेता मरियम नवाज ने वीडियो क्लिप जारी किया। इसमें जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश कथित तौर यह स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराने के लिए उन्हें 'ब्लैकमेल किया गया और उन पर दबाव डाला गया था।'

ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा लांघी

मंगलवार, 9 जुलाई : ईरान का यूरेनियम संवर्धन स्तर सोमवार को 4.5 फीसद के पार पहुंच गया जो 2015 में हुए परमाणु करार में तय सीमा से ज्यादा है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बहरोज कमालवंदी ने यह जानकारी दी।

मरियम नवाज

पाकिस्तान के सामने आर्थिक चुनौती

बुधवार, 10 जुलाई : विश्व मुद्रा कोष ने कहा है कि पाकिस्तान 'कड़ी आर्थिक चुनौतियों' का सामना कर रहा है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अगस्त 2018 में आइएमएफ से राहत पैकेज देने के लिए संपर्क किया था। देश के पास वर्तमान में आठ अरब डॉलर से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार है जो उसके मात्र 1.7 माह का आयात के लिए है।

लेबनान के दो हिजबुल्ला सदस्यों पर पाबंदी

गुरुवार, 11 जुलाई : अमेरिका के वित्त विभाग ने लेबनान की संसद के दो हिजबुल्ला सदस्यों को मंगलवार को अपनी प्रतिबंधों की काली सूची में डाल दिया।

मुसलमानों की नजरबंदी खत्म करे चीन

शुक्रवार, 12 जुलाई : मानवाधिकार निगरानी संस्था का कहना है कि 22 पश्चिमी देशों ने बयान जारी कर चीन से अनुरोध किया है कि वह शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मनमाने तरीके से हुई नजरबंदी और अन्य उल्लंघनों को खत्म करें। शिनजियांग में करीब 10 लाख मुसलमानों को नजरबंद किया गया है।

क्रिप्टो करंसी का प्रशंसक नहीं हूं : ट्रंप

शनिवार, 13 जुलाई : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभासी मुद्रा (क्रिप्टो करंसी) में भरोसा नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं न तो बिटकॉइन और न ही अन्य आभासी मुद्राओं का प्रशंसक हूं। ये धन नहीं हैं। इनका मूल्य बेहद उतार-चढ़ाव वाला होता है इसका कोई ठोस आधार नहीं है।'

जानें-समझें

रेलवे में 'निजीकरण' प्रस्ताव

क्या है हकीकत कितना फसाना

दीपक रस्तोगी

बजट में रेलवे के निवेश प्रस्तावों को लेकर बहस शुरू हो गई कि क्या भारत सरकार रेलवे के निजीकरण के रास्ते पर चल पड़ी है? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहकर विराम लगाने की कोशिश की कि रेलवे को निजीकरण संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने रेलवे की परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-प्राइवेट साझेदार या फिर टीओटी (टोल ऑपरेट ट्रांसफर) मॉडल की बात जरूर कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय रेलवे को 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। सरकार अकेले इसे पूरा नहीं कर सकती है। कुछ क्षेत्रों में निजीकरण की जरूरत होगी।

क्या है सरकार का प्रस्ताव

बकौल रेलमंत्री पीयूष गोयल, निवेश के लिए रेलवे के कुछ सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकता है। निजी क्षेत्र लाइसेंस फीस के बदले में इन क्षेत्रों में अपने रेलमार्ग का संचालन कर सकता है। पिछले पांच साल की तुलना में इस साल दोगुना निवेश करने की योजना बनाई गई है। सरकार अकेले 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए अतंरराष्ट्रीय मानकों की तकनीक, निवेश और सार्वजनिक-प्राइवेट साझेदार या फिर टीओटी (टोल ऑपरेट ट्रांसफर) मॉडल पर काम करने की योजन है। रेलवे कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान में जुटी है, जहां निजी कंपनियां भागीदारी कर सकती हैं।

निजीकरण का आधार क्या

भारतीय रेल के निजीकरण की राह सुझाने के लिए नीति आयोग के सदस्य एवं अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता सात सदस्यों की एक कमेटी सितंबर 2014 में बनाई गई थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि भारतीय रेल को फायदे में लाने के लिए निजी क्षेत्र को सवारी तथा माल गाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए। आधारभूत सेवाएं, उत्पादन और निर्माण जैसे जो रेलवे के लिए मूल काम नहीं हैं, उनमें निजी क्षेत्र को लाना चाहिए। कमेटी ने कहा था कि राजधानी/शताब्दी गाड़ियों को चलाने का व्यवसायिक काम निजी क्षेत्र को देना चाहिए और उसके लिए उनसे सालाना फीस लेनी चाहिए। सरकार ने इसे मंजूर कर लिया है और कुछ ट्रेनों को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी चल रही है। साथ ही, रेलवे के कई क्षेत्रों में सरकार ने सौ फीसद विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत दे दी है।

100 फीसद एफडीआइ के क्षेत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में वाराणसी के डीजल लोको वर्क्स के मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही देबरॉय कमेटी के ड्राफ्ट मसविदे के आधार पर नवंबर 2014 में रेलवे बोर्ड ने 17 उन मुख्य क्षेत्रों का ऐलान किया था, जिनमें 100 फीसद एफडीआइ की अनुमति दी गई। ये हैं - तेज गति वाली रेलगाड़ियों की परियोजनाएं, पहियों पर चलने वाली वस्तुएं और उनकी मरम्मत, डीजल और बिजली चालित ईंजन, कोच तथा वैगन का निर्माण, संयुक्त उपक्रम तथा/अथवा पीपीपी द्वारा समर्पित माल वाहक रेल लाइनें, कुछ लाइनों पर निजी सवारी गाड़ियों को चलाना, पीपीपी लारा उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए गलियारों (कॉरिडोर) की परियोजना, मानव-चालित तथा मानव-रहित लेवल क्रासिंगों के लिए तकनीकी हल निकालना, सुरक्षा सुधारने तथा दुर्घटनाएं कम करने के लिए तकनीकी हल, नवीन तकनीकों तथा प्रौद्योगिकियों को परखने के लिए सामग्रियां तथा विश्व-स्तरीय प्रयोगशालाएं, रेलवे तकनीकी ट्रेनिंग संस्थाओं की स्थापना, विश्व-स्तरीय सवारी गाड़ियों के लिए टर्मिनल तथा मौजूदा स्टेशनों का नवीनीकरण/मरम्मत और महत्त्वपूर्ण स्थानों पर माल गाड़ियों के लिए टर्मिनल/लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना।

परिसंपत्तियां जो निजी हाथों में जाएंगी

भारतीय रेल में निजीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि रेलवे को ट्रेन चलाने के अपने मूल काम तक ही सीमित रहना चाहिए और मुनाफा कमाने योग्य होने चाहिए। रेलवे 125 अस्पताल, 586 दवाखाने चलाती है। रेलवे डिग्री कॉलेज और स्कूल चलाती है। देबरॉय कमेटी के सुझाव के मुताबिक, ये परिसंपत्तियां निजी हाथों में जाएंगी।

ट्रेन संचालन निजी कंपनियों को

सरकार अगले 100 दिनों में कम भीड़भाड़ वाले और पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रूटों के लिए योजना बना रही है। निजी कंपनियों को ट्रेन संचालन का न्योता देगी। इसकी शुरूआत अपनी पर्यटन और टिकट सहयोगी आईआरसीटीसी से करेगी। उसे दो महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पैसेंजर ट्रेनें दी जाएंगी। आईआरसीटीसी को इसके लिए एक तय रकम सरकार को चुकानी पड़ेगी। अगर सरकार की यह योजना पूरी तरह से सफल रहती है तो इसे बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। ट्रेन संचालन के लिए निजी कंपनियों को बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की नई एजंसी का गठन किया है जो देश के सभी रेलवे स्टेशनों की सेवाएं निजी कंपनियों को ठेके पर देने की नोडल एजंसी है।

क्या है जानकारों की राय

फाइल फोटो

रेलवे की कुछ सेवाएं निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव तो वर्षों पुराना है, लेकिन हमको यह देखना होगा कि फैसला किस तरह से लिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनाफा कमाने वाले रूट को ही निजी कंपनियों को दे दिया जाए। हमको निजीकरण से ऐतराज नहीं, लेकिन किस तरीके से निजीकरण होगा यह देखना होगा।

- अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री और रेल मंत्री निजीकरण न किए जाने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्तों से रेलवे में निजीकरण आ रहा है। सरकारी उद्यमों को निजी क्षेत्र में ले जाने की नीति अपनाई जा रही है। ऐसा नहीं कि यह काम वर्तमान सरकार ही कर रही है। यूपीए में भी यही नीति अपनाई गई थी। इस मामले में दोनों ही सरकारें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

- शिवगोपाल मिश्र, महासचिव, आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन (एआइआरएफ)

व्यक्तित्व

निरंजन मुकुंदन : विश्व रेकॉर्ड बनाने वाला पैरा तैराक

जनसत्ता संवाद

जानी-मानी पत्रिका 'फोर्ब्स' ने एशिया में मनोरंजन और खेल श्रेणी में खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इसमें भारत के निरंजन मुकुंदन का नाम भी शामिल है। निरंजन मुकुंदन भारतीय पैरा-तैराक है, जिन्होंने 'फोर्ब्स' 30 अंडर 30 एशिया 2019 में मनोरंजन और खेल श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। इस सूची में 30 साल से कम उम्र के 300 युवाओं को जगह दी गई है। इस सूची में उन युवाओं को शामिल किया जाता है जो अपने क्षेत्र या उससे बाहर कुछ नया या फिर कुछ हटकर करते है। कर्नाटक के बंगलुरु में जन्में निरंजन बेहतरीन पैरा-तैराक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले इस तैराक के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। निरंजन जन्म से ही स्पाइना बिफिडा और क्लबड फीट नामक बीमारियों से पीड़ित हैं। स्पाइना बिफिडा में रीढ़ और रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित नहीं होती। वहीं क्लबड फीट एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पैरों का अधूरा विकास या फिर कहें कि पैर एक खास आकार में मुड़ जाता है। ऐसे लोगों का चलना-फिरना आसान नहीं होता। डॉक्टर की राय से अपने पैरों की मांसपेशियों को मजूबत करने के लिए निरंजन ने तैराकी शुरू की। उनके कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे एक दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराक बन सकते है।

निरंजन ने आठ साल की उम्र में तैरना शुरू कर दिया। उन्हें 2010 में बर्लिन में आईडीएम जर्मन तैराकी चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। वहां 200 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में निरंजन ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कांस्य पदक जीता। 2011 में उन्होंने वर्ल्ड जूनियर गेम्स में भी कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। अगले वर्ष उन्हें गंभीर चोट लगी और उन्हें छह महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा, जिसके कारण वे ग्लासगो 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स से चूक गए। निरंजन अब तक 17 छोटी-बड़ी सर्जरी से भी गुजर चुके थे।

2014 में वे एशियाई पैरा खेलों में कांस्य पदक विजेता बने। 2015 में नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड जूनियर गेम्स में उन्होंने दस पदक जीता, जिसमें सात स्वर्ण और तीन रजत पदक थे। वे जूनियर वर्ल्ड चैंपियन के विजेता भी रहें। पैरों में 32 मेटल रॉड के बावजूद उन्होंने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। निरंजन को 2015 में भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पैरा स्पोर्ट्सपर्सन पुरस्कार और खेल में असाधारण प्रदर्शन के लिए 2016 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

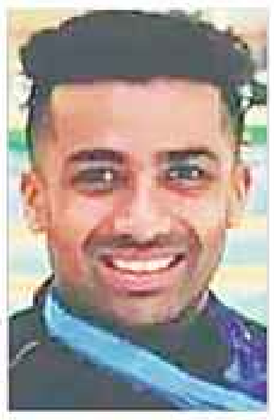

2017 में निरंजन ने रेकॉर्ड समय में कार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज पूरा करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में दर्ज कराया। पिछले साल जून में, उन्होंने पैरा-स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज, बर्लिन में एक एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया, जो 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में 03:16:01 का था। दिसंबर में टखने की चोट की वजह से सर्जरी से गुजरना पड़ा। करीब छह महीने बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए नार्वे स्विमिंग चैंपियनशिप 2019 में पांच स्वर्ण पदक हासिल किया।

आतंकवाद होता है सिर्फ आतंकवाद : अमित शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद पर काबू पाने के लिए दक्षेस देशों के क्षेत्रीय समझौते (सार्क रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पाकिस्तान को एक दिन दुनिया के दबाव में इस समझौते पर दस्तखत करने होंगे। अगर वह नहीं करता है तो हमारे पास उससे निपटने के तरीके लक्षित हमले, एअर स्ट्राइक आदि हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) संशोधन विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद का कोई राइट या लेफ्ट नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है।

शाह ने एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा की सरकार कानून से चलती है। इसमें जांच, अभियोजन और फैसले अलग-अलग स्तर पर होते हैं। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। समझौता एक्सप्रेस मामले में अपील नहीं करने संबंधी ओवैसी की टिप्पणी पर शाह ने कहा कि संप्रग सरकार ने ही रुख बदलकर पहले पकड़े गए आरोपियों को छोड़ दिया और दूसरों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा 'क्या ओवैसी ने कभी संप्रग से यह सवाल पूछा कि आरोपियों को छोड़कर बेगुनाहों को क्यों पकड़ा गया?' जब ओवैसी ने कहा, 'अब आप सरकार में आएं हैं तो आप यह काम करिए' तो गृह मंत्री ने कहा कि वैसे आपकी यह इच्छा भी हम पूरी करेंगे। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने धर्म का जिक्र किया और एनआइए कानून का दुरुपयोग किए जाने के विषय को भी उठाया ।

उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी सरकार की एनआइए कानून का दुरुपयोग करने की न तो कोई इच्छा है और न ही कोई मंशा है और इस कानून का शुद्ध रूप से आतंकवाद को खत्म करने के लिय उपयोग किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि पोटा (आतंकवादी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) कानून को वोटबैंक बचाने के लिए भंग (निरस्त) किया गया था। इससे आतंकवादियों के अंदर भय था, देश की सीमाओं की रक्षा होती थी। इसे पूर्ववर्ती संप्रग की सरकार ने 2004 में आते ही भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि पोटा को भंग करना उचित नहीं था, यह हमारा आज भी मानना है। पूर्व के सुरक्षाबलों के अधिकारियों का भी यही मानना रहा है। शाह ने कहा कि पोटा को भंग किए जाने के बाद आतंकवाद इतना बढ़ा कि स्थिति काबू में नहीं रही और संप्रग सरकार को ही एनआइए को लाने का फैसला करना पड़ा ।

गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली किसी एजंसी को और ताकत देने की बात हो और सदन एक मत न हो, तो इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। मैं सभी दलों के लोगों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) संशोधन विधेयक कानून बनने पर देश में आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा एजेंसी को ताकत देगा। यह समझना होगा कि श्रीलंका में हमला हुआ, हमारे लोग मारे गए, बांग्लादेश में हमारे लोग मारे गए। लेकिन देश से बाहर जांच करने का अधिकार एजंसी को नहीं है। ऐसे में यह संशोधन एजंसी को ऐसा अधिकार प्रदान करेगा।

अमित शाह ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सवाल के जवाब में कहा कि सीबीआइ अगर अवैध होती तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होता क्योंकि उसने ही सबसे ज्यादा एजंसी का दुरुपयोग किया है। शाह ने स्पष्ट किया कि विशेष अदालतें केवल आतंकवाद के मामले देखेंगी।

- शाह ने कहा, समझौता एक्सप्रेस मामले में यूपीए ने आरोपियों को छोड़ा, औवेसी बोले तो सरकार पकड़े; शाह बोले कि आपकी इच्छा पूरी करेंगे
- पाक के आतंकवाद से निपटने के लिए लक्षित हमले और एअर स्ट्राइक तरीके, एनआइए कानून का आतंकवाद के खात्मे के लिए उपयोग होगा

रिश्वत मांगने के आरोप में एनपीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सीमा चौकियों के निर्माण का बिल मंजूर करने के बदले कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एनपीसीसी) लिमिटेड के दो वरिष्ठ अधिकरियों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एजंसी ने एनपीसीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश मोहन कोतवाल और प्रबंधक लतिफुल पाशा तथा पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एनपीसीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश मोहन कोतवाल और प्रबंधक लतीफुल पाशा ने श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाई गई बीएसएफ की सीमा चौकियों के निर्माण का बिल मंजूर करने के लिए कंपनी के मालिक अनीश बैद्य से 33 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने दिल्ली, सिलचर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी और ग्वालियर में 18 जगहों पर छापे मारे है।

बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। यह घटना तड़के तीन बजे उस समय हुई, जब 60 वर्षीय एक व्यक्ति एसएम पुरा सीमा चौकी पर भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ की 62वीं बटालियन ने बाड़ के किनारे व्यक्ति को मार गिराया, क्योंकि समर्पण करने के लिए लगातार कहने कहने के बावजूद वह आगे बढ़ रहा था।

तटरक्षक बल ने गुजरात तट पर पकड़ी थी पाकिस्तानी नौका

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

तटरक्षक बल ने गुजरत में भारतीय समुद्री सीमा के भीतर एक पाकिस्तानी नौका को पकड़ा और उससे मादक पदार्थ बरामद किए।

रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अल मदीना नामक यह पाकिस्तानी नौका गुजरात तट पर पकड़ी गई थी। नाइक ने बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी नौका दल के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई कर रहा है।

रक्षा राज्य मंत्री के अनुसार, भारतीय तटरक्षक बल भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना होने पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तटीय सुरक्षा तंत्र के सभी पक्षों के साथ अपनी परिसंपत्तियों की तैनाती के जरिए गुजरात तट के समुद्रीक्षेत्र में सघन निगरानी कर रहा है।

ईस्टर धमाकों के पीछे ड्रग माफिया का हाथ : सिरिसेना

कोलंबो, 15 जुलाई (एएफपी)।

श्रीलंकाई राष्ट्रपति सिरिसेना के दफ्तर से जारी एक दस्तावेज में उनके हवाले से कहा गया है कि ईस्टर पर इस देश में हुए बम धमाकों के पीछे अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का हाथ है। उधर, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इन दावों से असहमति जताते हुए कहा कि हमलों के पीछे इस्लामी आतंकी थे। मादक द्रव्यों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के बीच यह बयान तब आया है जब राष्ट्रपति सिरिसेना मादक द्रव्य से जुड़े अपराधों के लिए फिर से मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करना चाहते हैं।

सिरिसेना के कार्यालय से सोमवार को जारी किए गए दस्तावेज के मुताबिक, सिरिसेना ने कहा कि हमले 'अंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलरों की कारस्तानी थे'। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों ने मेरी छवि बिगाड़ने और मादक द्रव्यों के खिलाफ मेरे अभियान को हतोत्साहित करने के लिए इन्हें अंजाम दिया। मैं डिगूंगा नहीं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के एक प्रवक्ता ने राष्ट्रपति के दावों से इत्तेफाक नहीं जताया है। सुदर्शन गुनावर्धन ने बताया कि पुलिस ने करीब दो हफ्तों में जांच पूरी कर ली थी। इसमें ड्रग डीलरों के शामिल होने का कोई जिक्र नहीं है। हमारे पास अपनी जांच पर संदेह का कोई कारण नहीं। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों के लिए मृत्युदंड से कहीं ज्यादा प्रतिरोधक त्वरित न्याय होगा। गुनावर्धन ने कहा कि हम नहीं मानते कि लोगों को मृत्युदंड देने से समस्या का समाधान होगा, खासतौर पर यह ध्यान में रखते हुए कि एक सजा दिलाने में कई दशकों का वक्त लग जाएगा। श्रीलंकाई अदालत में हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा पूरा करने में औसतन 17 साल का वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि विक्रमसिंघे मृत्युदंड के खिलाफ हैं क्योंकि यह उनकी यूनाइटेड नेशनल पार्टी की नीतियों के विपरीत है। 21 अप्रैल को हुए आत्मघाती हमलों की जांच अभी जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों में से 100 श्रीलंकाई हैं।

एनआइए को और ताकत मिली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 जुलाई।

लोकसभा ने सोमवार को 'राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019' को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआइए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है।

उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की जिम्मेदारी हाथ में लेगी। एनआइए को शक्तिशाली एजंसी बनाया जाएगा। सदन ने मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले विधेयक को विचार करने के लिए सदन में रखे जाने के मुद्दे पर एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने मत-विभाजन की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस पर मत-विभाजन जरूर होना चाहिए। इसकी हम भी मांग करते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन नहीं। मत विभाजन में सदन ने 6 के मुकाबले 278 मतों से विधेयक को पारित किए जाने के लिए विचार करने के वास्ते रखने की अनुमति दे दी।

गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने कहा कि जहां तक एनआइए अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का विषय है तो हम सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनआइए अदालत के जजों की नियुक्ति संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते रहेंगे, जिस तरह अभी प्रक्रिया चल रही है।

पुलवामा और बालाकोट आतंकी हमलों के बाद भारत ने बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जांच कैसे होती है। एनआइए ने 272 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इनमें 52 मामलों में फैसले आए और 46 में दोषसिद्धी हुई। इस क्रम में 99 मामलो में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक से एनआइए की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकेगा और वह विदेशों में भी भारतीय व भारतीय परिसम्पत्तियों से जुड़े मामलों की जांच कर सकेगी जिसे आतंकवाद का निशाना बनाया गया हो । इसमें मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े विषयों की जांच का अधिकार देने की बात भी कही गई है। इसमें भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में एजंसी को मामले का पंजीकरण और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के मकसद से एक या अधिक सत्र अदालत, या विशेष अदालत स्थापित करें। इससे पहले आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने बजट से जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के बीच में विधेयक को पारित करने के लिए लाए जाने का विरोध करते हुए प्रक्रिया और नियमों के विषय को उठाया।

राज्यपाल की भूमिका के बारे में पूछे सवाल पर बीपीएससी विवादों में घिरा

पटना, 15 जुलाई (भाषा)।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की मुख्य परीक्षा में राज्यपाल की भूमिका से जुड़े एक सवाल को लेकर बीपीएससी विवादों में घेरे में आ गया है। मुख्य परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था कि क्या राज्यपाल महज एक 'कठपुतली' भर होता है।

बीपीएससी की रविवार को हुई 64वीं मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर-दो में पूछे गए उक्त सवाल में परीक्षार्थियों से भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, कि क्या वे केवल एक कठपुतली हैं, आलोचनात्मक परीक्षण करने को कहा गया था। उक्त प्रश्न के कारण फजीहत झेल रही बीपीएससी ने तुरंत एक विज्ञप्ति जारी कर 'एक संवैधानिक पद' को लेकर अनुचित तरीके से प्रश्न पूछे जाने पर खेद व्यक्त करते हुए घोषणा की कि जिस व्यक्ति ने पेपर सेट किया था, उसे कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के साथ भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

'माई लॉर्ड' संबोधन की परंपरा खत्म करना चाहते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के जज

जोधपुर, 15 जुलाई (भाषा)।

देश के किसी भी हाई कोर्ट में पहली बार, राजस्थान हाई कोर्ट ने वकीलों द्वारा जजों को संबोधित करते समय 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' कहने की पुरानी परंपरा को खत्म कर उन्हें केवल 'सर' बोलने को कहा है।

हाईकोर्ट ने जोधपुर और जयपुर में अपने दो पीठों के सभी न्यायाधीशों की बैठक में रविवार को जजों के लिए किए जाने वाले संबोधन के संबंध में यह फैसला लिया। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान में वर्णित समानता के सम्मान के लिए पूर्ण अदालत ने 14 जुलाई 2019 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से वकीलों व अदालत में पेश होने वालों को माननीय न्यायाधीशों को संबोधित करते समय 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' कहने से परहेज करने को कहा है। अधिसूचना में वकीलों और याचिकाकर्ताओं को जजों को संबोधित करते समय सिर्फ 'सर' या श्रीमानजी कहकर पुकारने को कहा गया है।

जिन गवाहों के बयानों में काट-छांट हुई, उन्हें नहीं बुलाएगा एनआइए

मुंबई, 15 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने सोमवार को बंबई हाई कोर्ट से कहा कि वह 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में अभियोजन पक्ष के उन गवाहों के साक्ष्यों की एक सप्ताह तक जांच नहीं करेगा जिनके नाम और बयानों के साथ कांट छांट की गई है।

एनआइए ने न्यायमूर्ति आइए महंती और न्यायमूर्ति एएम बदर के खंडपीठ के सामने यह बयान दिया। यह पीठ इस मामले के एक आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गवाहों के बयानों में बगैर किसी बदलाव वाले आरोपपत्र की प्रतियां दिलाने का अनुरोध किया गया है।पुरोहित के वकील श्रीकांत शिवडे ने कहा कि विशेष एनआइए अदालत फिलहाल अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य दर्ज कर रहा है और उन गवाहों से पूछताछ संभव नहीं है जिनके बयानों या नामों के साथ कांट छांट की गई है।

मालेगांव मामला

एनआइए के वकील संदेश पाटील ने कहा कि 22 जुलाई को वे अभियोजन के उन गवाहों के नाम देंगे जिनसे वे पूछताछ करना चाहते हैं और जिनके बयानों में कांट छांट की गई है। एजंसी ने कहा कि तब तक वह साक्ष्य दर्ज करने के लिए निचली अदालत के सामने गवाही के लिए इन गवाहों में से किसी को नहीं बुलाएगा। पुरोहित ने अपनी याचिका में दावा किया कि जब इस मामले की शुरुआत में जांच करने वाला राज्य आतंकवाद रोधी दस्ते ने अपना आरोपपत्र दायर किया था, कई दस्तावेज और गवाहों के बयान संक्षिप्त किए गए हैं।

गुजरात के कच्छ में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत

भुज, 15 जुलाई (भाषा)।

गुजरात के कच्छ जिले में सोमवार को एक सड़क हादसे में तीन महिलाओं और तीन बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भुज तालुका में मनकुवा गांव के पास भुज-नखातराना राजमार्ग पर हुए हादसे में छह अन्य घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे वाहन से आगे निकलने की कोशिश के दौरान एक ऑटोरिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।भुज में एक मंदिर में दर्शन के बाद पीड़ित अपने घर लौट रहे थे। इनमें से अधिकतर मूल रूप से निकटवर्ती मध्य प्रदेश के निवासी थे। पीड़ित जहां लखपत के निकट माता नो मध के मंदिर में दर्शन के बाद भुज लौट रहे थे वहीं ट्रक लखपत की तरफ जा रहा था।

सिद्धू के इस्तीफे से सरकार को परेशानी नहीं : अमरिंदर

पेज 1 का बाकी

पड़ा, मैंने उनके विभागों में फेरबदल किया और उन्हें वह काम सौंपा। सिद्धू ने अपना इस्तीफा उनका विभाग बदले जाने के महज चार दिन बाद 10 जून को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा था। सिद्धू को बिजली विभाग दिए जाने के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा-मैंने सोचा कि बिजली पंजाब के लिए महत्त्वपूर्ण चीज है, यह सबसे महत्त्वपूर्ण चीजों में एक है, इसलिए मैंने इसे (बिजली विभाग) सिद्धू को दिया लेकिन वह यह (विभाग) नहीं चाहते हैं। अतएव मैंने कहा कि एक बार जब कोई फैसला हो गया तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं यह नहीं लूंगा, मैं वह लूंगा। मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से कहा-यह तो ऐसा हुआ कि कोई जनरल कहे कि मैं लद्दाख तैनाती पर नहीं जा रहा , मुझे मणिपुर भेजा जाए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको जो कहा गया है, आपको करना होगा। उन्होंने कहा-(तो) कैसे 12 अन्य मंत्रियों ने (अपने नए विभागों का) कामकाज संभाल लिया। पंजाब मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई अन्य मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए गए।

मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि अब तो उन्हें सिद्धू से मुक्ति मिल गई तो क्या वह खुश हैं तो उन्होंने कहा-मुझे क्यों खुश होना चाहिए? मैं किसी के जाने से खुश नहीं हूं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने उनसे सुलह की कोई कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को पहले तो बिजली विभाग का कार्यभार संभाल लेना चाहिए था और यदि बाद में वह महसूस करते कि उन्हें कोई और विभाग चाहिए तो फिर उस पर भविष्य में विचार किया जा सकता था।

मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि क्या वह सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल कर कोई गलती तो नहीं कर बैठे, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। सिद्धू द्वारा अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष को भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष को त्यागपत्र भेजे जाने में उन्हें कोई नुकसान नजर नहीं आता।

पश्चिम विक्षोभ ने दिलाई राहत, दिल्ली में बारिश

पेज 1 का बाकी

चुकी है जबकि 25 लाख 66 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

पूर्व व पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश के कारण बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

राजधानी दिल्ली में मानसून के इतर पश्चिमी विक्षोभ व अन्य कारकों ने सोमवार को असर दिखाया और कुछ हिस्सों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. केजे रमेश ने बताया कि अभी तक चली शुष्क पछुवा हवाओं की जगह सोमवार को नमी से युक्त तेज पुरवाई चली। इसके साथ ही हिमालय की तराई से दिल्ली पहुंचे मौसमी गर्त ने बारिश कराया। पहले हल्की बारिश की संभावना थी लेकिन तेज पुरवाई से बारिश ने जोर पकड़ा। दिल्ली के पालम वेधशाला में -26 मिलीमीटर, सफदरजंग में 29 मिलीमीटर, आयानगर में 20 मिलीमीटर व रिज में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लेकिन राडार से मिली सूचना के मुताबिक दक्षिणी व पश्चिमी दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई। रविवार तक दिल्ली में 75 फीसद कम बारिश हुई थी। तेज आंधी व बारिश से कई पेड़ गिर गए। जगह-जगह जाम भी लगा। गुरुग्राम व गाजियाबाद में भी बारिश हुई। पश्चिमी व बाहरी दिल्ली को बारिश तो नहीं मिली पर गर्मी से राहत हुई। उन्होंने कहा कि हल्की बारिश तो अगले दो-तीन दिन तक चलेगी लेकिन चौतरफा लगातार तेज बारिश के लिए अभी इंतजार करना ही पड़ेगा। हालांकि स्थितियां मानसून के अनुकूल बन रही हैं। पंजाब व हरियाणा के लिए मानसून सक्रिय हो रहा है। अगले दो-तीन दिन में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में तेज बारिश की संभावना है। मौसमी गर्त बना हुआ है। बिहार में मानसून अब कमजोर पड़ रहा है और अगले दो से तीन दिन में और कमजोर होगा। मध्य भारत को भी मानसून का थोड़ा और इंतजार करना होगा।

डॉ. रमेश ने कहा कि इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है जिससे मानसून को ताकत मिलेगी और फिर से कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। सोमवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश,असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नगालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर-मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। मेघालय में हफ्ते भर से लगातार बारिश हो रही है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य की दो नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से वेस्ट गारो हिल्स जिले के मैदानी इलाकों में आई बाढ़ के कारण कम से कम एक लाख 14 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। असम से होकर आने वाली ब्रह्मपुत्र और जिनिराम के जलस्तर बढ़ जाने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस बीच शिलांग के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। मिजोरम के लुंगलेई जिले में खोआथलंगटुईपुई नदी में जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जिले के 32 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं और जिले के 1,000 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। हालांकि राज्य में बारिश जनित घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई है।

एनआइए ने तमिलनाडु में 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

पेज 1 का बाकी

कि इन 14 आरोपियों को विशेष विमान से चेन्नई लाया गया जहां उन्हें पूनमाली में विशेष न्यायाधीश सेंथूर पांडियन की विशेष एनआइए अदालत में पेश किया गया।

अधिकारियों के अनुसार एनआइए की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 25 जुलाई तक उसकी हिरासत में भेज दिया। उनके मुताबिक आरोप है कि ये सभी तमिलनाडु में आतंकवादी संगठन 'अंसारूल्ला' गठित करने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे।

समझा जाता है कि इन सभी को हाल ही में सऊदी अरब से प्रत्यर्पित किया गया था।

एनआइए ने कहा था कि उसने शनिवार को इसी मामले में दो व्यक्तियों- हसन अली और हरीश मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। एनआइए ने कहा था कि उसने एक आतंकी गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसने देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के इरादे से आतंकवादी हमला करने की कथित साजिश रची एवं इसके लिए धन की व्यवस्था और अन्य तैयारियां की। उसने इस सिलसिले में चेन्नई और नागपट्टिनम जिले में तीन आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी की।

एनआइए ने एक बयान में कहा कि ऐसी विश्वसनीय सूचना मिली थी कि भारत और उसके बाहर रहकर आरोपियों ने आतंकवादी गिरोह अंसारूल्ला बनाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची और उसकी तैयारी की। उसने कहा कि चेन्नई के निवासी (आरोपी नंबर 1) सैयद बुखारी (तमिलनाडु अंसारूल्ला मामले), नागपट्टिनम के हसन अली युनुसमारिकार (आरोपी नंबर 2) और मोहम्मद युसुफुद्दीन हरीश मोहम्मद (आरोपी नंबर 3) के खिलाफ नौ जुलाई, 2019 को मामला दर्ज किया गया।

हाई कोर्ट के कहने पर साक्षी, अजितेश को मिली सुरक्षा

पेज 1 का बाकी

हैं। अदालत के फैसले के बावजूद दंपति जब सुनवाई के बाद अदालत कक्ष से बाहर निकला तो कुछ वकीलों ने उनके साथ मारपीट की।

इस बीच, अदालत परिसर से बाहर एक दंपति का अपहरण होने की घटना से सनसनी फैल गई। लोगों को लगा कि साक्षी और अजितेश का अपहरण हो गया है। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने बताया कि यह कोई और युगल है जिसका वाहन फतेहपुर में पकड़ लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।

विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं बागी विधायक

पेज 1 का बाकी

ने बताया कि मुंबई में डेरा डाले हुए कर्नाटक के बागी विधायकों के गुरुवार को बंगलुरु रवाना होने की संभावना नहीं है। सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद संकट का सामना कर रही एचडी कुमारस्वामी सरकार के बागी विधायकों को वापस अपने खेमे में लाने के प्रयासों के बीच विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि कुमारस्वामी की ओर से लाए गए विश्वासमत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई को सदन में विचार किया जाएगा।

कुमार ने विधानसभा में बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद यह तारीख तय की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता कुमारस्वामी की ओर से लाए गए विश्वास मत के प्रस्ताव पर पूर्वाह्न 11 बजे से सदन में विचार किया जाएगा। कुमारस्वामी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार इस संकट से बाहर निकल जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों ने कहा कि बागी विधायकों को मनाने के अपने प्रयासों के लिए उन्हें और समय मिल गया है। उधर, कर्नाटक भाजपा के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें अगले चार-पांच दिन में सरकार बनाने का पूरा भरोसा है।

सूत्र ने बताया कि मुंबई के एक आलीशान होटल में ठहरे हुए विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए है। शक्ति परीक्षण के दौरान बागी विधायकों के उपस्थित होने का कोई कारण नजर नहीं आता है क्योंकि वे अपने इस्तीफे पर अडिग हैं। सूत्र ने बताया कि कर्नाटक के तीन से चार विधायकों के भाजपा में जाने की संभावना है लेकिन वे मुंबई नहीं आएंगे।

इस बीच, मुंबई के होटल में ठहरे कर्नाटक के बागी विधायकों ने नगर पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कहा है कि वे मल्लिकार्जुन खरगे या कांग्रेस के किसी भी अन्य नेता से मिलना नहीं चाहते हैं। कर्नाटक के 15 बागी विधायक होटल में ठहरे हुए है। इन बागी विधायकों में कांग्रेस, जद (सेकु) के विधायकों अलावा निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं।

इस बीच, कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो बागी विधायक प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के समक्ष सोमवार को सदन से अपने इस्तीफे पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहे। इन विधायकों में कांग्रेस और जद (एस) के एक-एक सदस्य शामिल हैं।

पांच विधायकों की याचिका

पेज 1 का बाकी

पांच विधायकों को भी उन 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका में पक्षकार माना जाए जिनकी सुनवाई मंगलवार को होनी है। कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन बागी विधायकों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को दे। ये विधायक आनंद सिंह, के सुधाकर, एन नागराज, मुनिरत्न और रोशन बेग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार को 16 जुलाई तक कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन के 10 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में किसी भी तरह के निर्णय लेने से रोका था।

नई दिल्ली

परमाणु कार्यक्रम को समझौते से पूर्व की स्थिति में ले जाएंगे : ईरान

तेहरान, 15 जुलाई (एएफपी)।

ईरान की परमाणु ऊर्जा एजंसी ने सोमवार को कहा कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को उस स्थिति तक ले जा सकता है, जहां वह विश्व शक्तियों के साथ 2015 में हुए ऐतिहासिक समझौते से पहले था।

सरकारी संवाद समिति इरना के अनुसार एजंसी के प्रवक्ता बहरूज कमलवंडी ने कहा, 'अगर यूरोपवासी और अमेरिकी अपने कर्तव्यों को नहीं निभाना चाहते हैं तो हम अपनी प्रतिबद्धताओं में कटौती करेंगे और चार साल पहले की स्थिति में ले जाएंगे।' उन्होंने कहा, 'यह कार्रवाई जिद में आकर नहीं की जा रही है। यह कूटनीति को मौका देने के लिए है ताकि दूसरे पक्ष को सद्बुद्धि आए और अपने कर्तव्यों को निभाए।' विश्व शक्तियों के साथ साल 2015 में हुए समझौते के तहत ईरान को आर्थिक लाभ और प्रतिबंधों से राहत देने का वादा किया गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई, 2018 में समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया और इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम फिर से उठाए।

• ईरान की परमाणु ऊर्जा एजंसी ने कहा, 'अगर यूरोपवासी और अमेरिकी कर्तव्यों को नहीं निभाना चाहते हैं तो हम अपनी प्रतिबद्धताओं में कटौती करेंगे और चार साल पहले की स्थिति में ले जाएंगे।'

आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र का शव मिला

मेलबर्न, 15 जुलाई (भाषा)।

आस्ट्रेलिया में लापता हो गए 21 वर्षीय भारतीय विद्यार्थी का शव सोमवार को विक्टोरिया के मैरीजविले क्षेत्र में मिला। पुलिस ने उसे ढूंढ़ने के लिए स्थानीय बांध तक को खाली करा दिया था। मेलबर्न में शुक्रवार सुबह विश्वविद्यालय के छात्र पोशिक शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुरुवार दोपहर तक वह अपने दोस्तों के साथ था। द एज ने पुलिस के हवाले से खबर दी है कि सोमवार को मैरीजविले के बाहरी इलाके में झाड़ियों में पोशिक का शव मिला। वह गुरुवार को दोस्तों से मामूली कहासुनी होने के बाद मैरीजविले के एक पब से अकेला निकल गया था।

नेपाल ने बाढ़ से निपटने के लिए वैश्विक एजंसियों से मदद मांगी

काठमांडो, 15 जुलाई (भाषा)।

बाढ़ प्रभावित नेपाल ने बारिश व बाढ़ की वजह से होने वाली बीमारियों की आशंका के मद्देनजर उनकी रोकथाम में मदद और लगातार बारिश से प्रभावित हजारों लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजंसियों से मदद मांगी है। बाढ़ की वजह से नेपाल में अभी तक 67 लोगों के मरने की सूचना है। गुरुवार से हो रही भारी बारिश से नेपाल प्रभावित है। इसकी वजह से 25 जिले और 10,385 लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश जनित घटनाओं में 32 लोगों के लापता होने की सूचना है।

पीओके की नीलम घाटी में बादल फटा, बाढ़ में 23 लोगों की मौत

इस्लामाबाद, 15 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी में बादल फटने की वजह से अचानक आई बाढ़ में 23 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घाटी के लासवा इलाके में देर रात बादल फटने के बाद लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई लोग बाढ़ के पानी में बह गए। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संचालन निदेशक सैयद अल-रहमान कुरैशी ने बताया, 'घाटी का लासवा इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ, वहां कई घर बह गए हैं। कुछ इलाकों में भूस्खलन की भी रिपोर्ट है।' उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग अब भी लापता हैं।

हाफिज सईद, उसके तीन सहयोगियों को जमानत

लाहौर, 15 जुलाई (भाषा)।

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड व जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने, अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी। 'डॉन' अखबार के मुताबिक लाहौर में आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने सईद और उसके सहयोगियों- हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान सईद के वकील ने कहा कि जमात उद दावा (जेयूडी) ने अवैध तरीके से किसी भी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया और अदालत से जमानत याचिकाएं स्वीकार करने का अनुरोध किया।

डेमोक्रेट महिला सांसदों पर की गई ट्रंप की टिप्पणी की निंदा

वाशिंगटन, 15 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रगतिशील महिला डेमोक्रेटिक सांसदों पर हमला करते हुए कहा कि वे जहां से आई हैं वहीं वापस चली जाएं। राष्ट्रपति की टिप्पणी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवारों व सांसदों ने नस्लीय और घृणा से भरे इस टिप्पणी के लिए ट्रंप की निंदा की।

ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार : पीयूष गोयल

लंदन, 15 जुलाई (भाषा)।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पारदर्शिता का उदाहरण पेश करने के लिए भ्रष्टाचार-निरोधक विस्तृत अभियान के तहत रेल मंत्रालय के अधिकारियों की प्रोफाइल का अध्ययन किया जा रहा है।

ब्रिटेन की तीन दिन की यात्रा पर आए गोयल ने रविवार को भारतीय मूल के लोगों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए हैं और हर जगह से गलत लोगों को हटाने का अभियान चल रहा है। इंडिया इंक के सीईओ मनोज लाडवा के साथ 'फायरसाइड चैट' में गोयल ने कहा कि विभिन्न विभागों में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिनमें ईमानदारी की कमी थी। हमारा रेल मंत्रालय भी कई अधिकारियों की प्रोफाइल का अध्ययन कर रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरों के संदेश देने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। कार्यक्रम का आयोजन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और फिक्की ने साथ मिलकर किया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर साइकिल रैली

जोहानिसबर्ग, 15 जुलाई (भाषा)।

महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में अहिंसा व सत्याग्रह के उनके विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार के तहत दक्षिण अफ्रीका में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भी हिस्सा लिया।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)
[illegible]
www.concorindia.co.in
कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
[illegible]
www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com
कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Asset Recovery Management Branch , First Floor, Rjendra Bhawan Rajendra Place, New Delhi-110 008. (Ph: 011-25854313) - E-mail: bo4168@pnb.co.in

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified to public at large that the borrowers/ guarantors of the under noted accounts had availed loan facilities from the bank and due to default in repayment, the accounts have been declared as NPA on the dates indicate. The borrowers/guarantors have been declared as a 'Wilful Defaulter' by the Bank. The borrowers/guarantors are required to pay to the Bank amounts as mentioned below along with further interest thereon and other costs/monies for which bank has initiated recovery proceedings against them. In public interest, it is informed that having been declared as a Wilful Defaulter by the Bank, the borrower is not entitled for financial assistance from any other Bank/Financial Institution.

Bijender Singh

Name of A/c- **M/s Preciuos Hospitality & Leisure Pvt. Ltd**
NPA Dt.-31.03.2015
Amount Due- 5,35,51,068.00/- along with further interest there on w.e.f..01.04.2015.
Total Exposure Sanctioned- Rs.600.00 lacs

Rajiv Thukral

Name of A/c- **M/s Thukral Sons**
NPA Dt.-30.06.2014
Amount Due- Rs.2,21,44,456.00+ further Intt + other Exp w.e.f. 30.06.2014
Total Exposure Sanctioned- Rs 200.00 lakhs

Rajiv Thukral

Veena Thukral

Madan Singh Yadav

Name of A/c- **M/s Sonshriya Polymers Pvt Ltd**
NPA Dt.-30.09.2014
Amount Due- Rs.3,80,88,656.90+ further Intt + other Exp w.e.f. 30.09.2014
Total Exposure Sanctioned- Rs 400.00 lakhs

Date : 15.07.2019 Place : Delhi **Branch Head**

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171
रिकवरी ऑफिसर -1, डीआरटी देहरादून, के समक्ष

मांग एवं उपस्थिति की सूचना

(आयकर अधिनियम 1961 में दूसरे अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 25 से 29 में पढ़ें)।

टी.आर.सी. नं. 485/2018 (डीआरटी, लखनऊ में पुराना डीआरसी नं. 171/2013)
डीमाई नं0 503 दिनांक 08.07.2019

केनरा बैंक बनाम मैसर्स मून स्टार हैन्डीक्राफ्टस एवं अन्य

सेवा में,
सीडी 1: मैसर्स मून स्टार हैन्डीक्राफ्टस , सराय हुसैनी बेगम, बारादरी, मुरादाबाद
सीडी 2: श्री फैजल हुसैन, निवासी सराय हुसैनी बेगम, निवासी सराय हुसैनी बेगम, बारादरी, मुरादाबाद
सीडी 3: श्रीमती दिलबारी बेगम, पत्नि स्वर्गीय श्री हिदायतुल्लाह, द्वारा अफरोज वाही, निवासी 84, घंटा घिसकोल, अश्वनी कुमार मेमोरियल मोंटेसरी स्कूल के सामने, मुरादाबाद।

सर्टिफिकेट देनदार

यह अधिसूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण , लखनऊ द्वारा ओ0 ए0 सं. 366/2012 में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार 21,17,681.00 (रुपये इक्कीस लाख सत्तरह हजार इक्यासी मात्र) की राशि तथा [illegible] दिनांक 18.07.2012 से लेकर प्रतिवादियों से ऋण की पूर्णतः वसूली होने तक , आपके ऊपर बकाया है। उपरोक्त आर सी को डीआरटी, देहरादून को स्थानानान्तरित कर दिया गया है और पुनः संख्या दी गयी है चूंकि टी आर सी नं0 485/2018 है। [illegible] इस प्रकाशन के माध्यम से यह सूचना दी जाती है और आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान कर दें। विफल होने पर ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार वसूली की जायेगी।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे :

अ) इस प्रमाण-पत्र / निष्पादन की सूचना की कार्यवाही के तुरंत बाद से शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।

ब) इस सूचना की सेवा के संबंध में किए गये सभी खर्च, शुल्क और व्यय एवं अन्य प्रक्रिया के लिये राशि वसूली में शामिल की जा सकती है।

यदि उपरोक्त राशि आपके द्वारा भुगतान नहीं की जाती है तो आपको आदेशित किया जाता है कि अग्रिम कार्यवाही हेतु आप 04.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

मेरे हाथ एवं मुहर के अधीन 08 जुलाई 2019 को इस ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया गया।

(संजय कुमार शर्मा)
वसूली अधिकारी-I
डीआरटी, देहरादून

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (सिविल) प्लान्ट एसडीडब्ल्यू एस/ई
श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-110065
प्रैस एनआईटी नं. 01 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ओखला एसटीपी में ओखला प्लांट से 16 एमजीडी प्लान्ट के प्रवेश द्वार तक मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण/ मरम्मत। 2019_DJB_176197-4	47,24,585/-	12.7.2019	01.8.2019 के 3.00 बजे अप. तक

इस संबंध में अधिक विवरण वेबसाइट https://delhi.govtprocurement.com पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/172

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (सिविल)
प्लान्ट एसडीडब्ल्यूएस/ई

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 3(1) AND 4 READ WITH REGULATIONS 13, 14 AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("TAKEOVER REGULATIONS") TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

GARV INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: H NO. 8885, G. No-2, Multani Dhanda, Paharganj, Delhi 110055
E-mail: info@garvindustries.com
CIN: L74990DL2017PLC324826
Website: http://www.garvindustries.com

Open offer **("Offer" / "Open Offer")** for acquisition of upto 26,52,000 fully paid-up equity shares of face value Rs. 10 each of Garv Industries Limited **("Target Company")**, representing 26.00% of the total voting equity share capital on a fully diluted basis expected as of the tenth (10th) working day from the closure of the tendering period of the Open Offer from all the Public Shareholders (as defined later) of the Target Company by Mr. Swaranjeet Singh Sayal and Mr. Rubaljeet Singh Sayal **("Acquirers")** at a price of INR 10.65 **(Rupees Ten and Sixty Five Paise only)** per equity share.

This detailed public statement **("DPS")** is being issued by Fast Track Finsec Private Limited, the manager to the Offer **("Manager" or "Manager to the Offer")**, on behalf of the Acquirers in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4), 14(3), 15(1) and 15(2) and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto **("Takeover Regulations")**, and pursuant to the public announcement ("PA") dated July 9, 2019 filed with BSE Limited **("BSE")**. The PA was also filed with the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** and sent to the Target Company in terms of Regulation 14 of the Takeover Regulations.

"Equity Shares" or "Shares" shall mean the fully paid-up equity shares of face value of INR 10 each of the Target Company.

"Expanded Voting Share Capital" means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted the basis expected as of the 10 (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period for the Offer.

"Identified Date" means the date falling on the 10 (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the letter of offer in relation to this Offer (the "Letter of Offer") shall be sent.

"Public Shareholders" mean all the equity shareholders of the Target Company excluding (i) the Acquirer and the PAC; (ii) parties to the SPAs (defined below); and (iii) the persons acting in concert or deemed to be acting in concert with the persons set out in (i) and (ii).

"Tendering Period" has the meaning ascribed to it under the Takeover Regulations.

"Working Day" means the working day of the Securities and Exchange Board of India.

I. ACQUIRERS, SELLERS, TARGET COMPANY AND THE OFFER

A. Details of the Acquirers

1 Mr. Swaranjeet Singh Sayal

1.1 Acquirer 1 is son of Shri Kalyan Singh Sayal. He is about 71 years of age and resides at 124-A Central Avenues Sainik Farms, Deoli Hauz Khas South Delhi 110062.

1.2 As on the date of this DPS, Acquirer 1 does not hold any position(s) on the board of directors of the Target company.

1.3 The Acquirer 1 does not belongs to the Promoter and Promoter Group of the Target Company.

1.4 Mr. Anand Grover (M. No. 097954), Partner, M/s S S Periwal & Co., Chartered Accountants, firm registration number 001021N, having office at J-45, Basement, Vikas Puri, New Delhi-110018, has vide its certificate dated July 15, 2019 that the net-worth of Acquirer 1 as on July 9, 2019 is Rs. 33,88,02,789 (Rupees Thirty Three Crore Eighty Eight lakh Two Thousand Seven Hundred Eighty nine only) which can be used for the acquisition of shares of the Target Company under the Offer..

1.5 As on date of this DPS, Acquirer 1 does not have any interest / relationship in the Target Company nor does he hold any shares of the Target Company, except in terms of the proposed acquisition as contemplated vide the SPA (as defined later).

1.6 Acquirer 1 has sufficient resources to fulfil the obligation under this Offer.

1.7 Acquirer 1 is not on the list of 'wilful defaulters' issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by SEBI.

1.8 Acquirer 1 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") or under any of the regulations made under the SEBI Act.

1.9 There are no persons acting in concert with Acquirer 1 & Acquirer 2 in relation to the Offer within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the Takeover Regulations.

2 Mr. Rubaljeet Singh Sayal

2.1 Acquirer 2 is son of Mr. Swaranjeet Singh Sayal. He is 44 years of age and resides at 124-A Central Avenues Sainik Farms, Deoli Hauz Khas South Delhi 110062.

2.2 As on the date of this DPS, Acquirer 2 does not hold any position(s) on the board of directors of the Target Company.

2.3 The Acquirer 2 does not belongs to the Promoter and Promoter Group of the Target Company.

2.4 Mr. Anand Grover (M. No. 097954), Partner, M/s S S Periwal & Co., Chartered Accountants, firm registration number 001021N, having office at J-45, Basement, Vikas Puri, New Delhi-110018, has vide its certificate dated July 15, 2019 that the net-worth of Acquirer 2 as on July 9, 2019 is Rs. 49,34,70,875 (Rupees Forty Nine Crore Thirty Four lakh Seventy Thousand Eight Hundred Seventy Five only) which can be used for the acquisition of shares of the Target Company under the Offer.

2.5 As on date of this DPS, Acquirer 2 does not have any interest / relationship in the Target Company nor does he hold any shares of the Target Company except in terms of the proposed acquisition as contemplated vide the SPA (as defined below).

2.6 Acquirer 2 has sufficient resources to fulfil the obligation under this Offer.

2.7 Acquirer 2 is not on the list of 'wilful defaulters' issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by SEBI.

2.8 Acquirer 2 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or under any of the regulations made thereof.

2.9 There are no persons acting in concert with Acquirer 1 & Acquirer 2 in relation to the Offer within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the Takeover Regulations.

B. Details of Seller

1 RS Services Private Limited ("Seller 1")

i) RS Services Private Limited (Seller 1) is a private limited company incorporated on October 17, 1989 and having its registered office at 8885/ 2, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi- 110055 and part of the promoter group of the Target Company.

ii) Seller 1 is a part of Promoter & Promoter Group of the Target Company.

iii) Seller 1 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or under any of the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

iv) As on the date of PA, Seller 1 holds 69,95,800 equity shares representing 68.59 of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of the SPA (as defined later), Seller 1 has agreed to sell its entire shareholding of 69,95,800 equity shares, representing 68.59% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company.

2. Mrs. Daya Bansal ("Seller 2")

i) Seller 2 is an individual and part of the promoter group of the Target Company residing at 8885/2 Multani Dhandha, Paharganj, Delhi 110055

ii) Seller 2 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or under any of the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

iii) As on the date of PA, Seller 2 holds 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of the SPA (as defined later), Seller 2 has agreed to sell her entire shareholding of 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company.

3 Mr. Sachin Gupta

i) Seller 3 is an individual and part of the promoter group of the Target Company residing at B- 102 Malviya Nagar New Delhi – 110017

ii) Seller 3 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or under any of the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

iii) As on the date of PA, Seller 3 holds 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of the SPA (as defined later), Seller 3 has agreed to sell his entire shareholding of 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company.

4. Mr. Rishu Agarwal

i) Seller 4 is an individual and part of the promoter group of the Target Company residing at 8885/2 Multani Dhandha, Paharganj, Delhi 110055.

ii) Seller 4 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or under any of the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992

iii) As on the date of PA, Seller 4 holds 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of the SPA (as defined later), Seller 4 has agreed to sell his entire shareholding of 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company.

5. Mrs. Usha Devi Agarwal

i) Seller 5 is an individual and part of the promoter group of the Target Company residing at A-3/ 14-15, Sector 11, Rohini, New Delhi 110085

ii) Seller 5 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or under any of the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992

iii) As on the date to PA, Seller 5 holds 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of the SPA (as defined later), Seller 5 has agreed to sell her entire shareholding of 1000 equity shares representing 0.01% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company.

C Details of the Target Company- Garv Industries Limited

1. Garv Industries Limited, a company incorporated as a Public Limited company under the Companies Act, 2013 vide certificate of Incorporation dated October12, 2017 as Garv Industries Limited. The CIN No. of the Company is L74990DL2017PLC324826.
2. Presently, Registered Office of the Target Company is situated at H. No. 8885, G. No.-2, Multani Dhanda, Paharganj, Central Delhi – 110055, Delhi.
3. As on date of this DPS the Authorised Share Capital of the Target Company is INR 10,25,00,000 (Rupees Ten Crores Twenty Five Lakhs Only) divided into 1,02,50,000 (One Crore Two Lakh Fifty Thousand) Equity Shares of INR 10/- each and the Issued, Subscribed and Paid-up Capital of the Target Company is 10,20,00,000/- (Rupees Ten Crores Twenty Lakhs Thousand) divided into 1,02,00,000 (One Crore Two Lakh) Equity Shares of INR 10/- (Rupees Ten Only) each.
4. Presently 1,02,00,000 (One Crore Two Lakh) Equity Shares of the Target have been listed on SME platform of BSE Limited ("BSE") with Script Code 541276.
5. There are no partly paid up Equity Shares of the Target Company.
6. Presently the Board of Directors of the Target Company comprises of Mr. Rishu Agarwal, Mrs. Daya Bansal, Mr. Amit Agarwal & Mr. Vishal Aggarwal (Source: MCA website). As on the date of PA, none of the director were representatives of the Acquirer.
7. The Target Company is engaged in the business of trading of Fabric and all type of aluminiums products.
8. There are no outstanding convertible instruments such as warrants/FCDs/PCDs/Partly Paid-up Equity Shares and other convertible instruments of the Target Company.
9. The key financial information of the Target Company as at and for the financial years ended March 31, 2019 and March 31, 2018 are as under:

(Rs. in Lakh)

Particulars	For the Financial Year Ending March 2019 (Audited)	For the Financial Year Ending March 2018 (Audited)
Total Revenue	4215.96	1814.92
Profit After Tax	3.05	7.27
Earnings per share basic & diluted (in Rs.)	0.03	0.10
Net worth/ shareholders' funds (in crores)	1030.32	707.27

(Source: The financial information for financial years March 31, 2019 & March 31, 2018 has been extracted from the Target Company's Annual Report/ financials filed with BSE)

D. Details of the Offer

1. This Open Offer is a mandatory offer in compliance with the provisions of Regulations 3(1) and 4 of the Takeover Regulations for the substantial acquisition of shares, voting rights and control over the Target Company by the Acquirers pursuant to the execution of SPA by and amongst the Acquirers and the Sellers (as defined later) to acquire in excess of 25% of the equity share capital of the Target Company.

2. This Open Offer is being made by the Acquirers to all the public shareholders of the Target Company (other than (i) the Acquirers, (ii) the parties to the SPA (as defined later) and (iii) persons deemed to be acting in concert with such parties stated in (i) and (ii), for the sale of equity shares of the Target Company, in terms of Regulation 7(6) of the (Takeover Regulations) **("Public Shareholders")** to acquire upto 26,52,000 fully paid-up equity shares of face value of Rs.10 each carrying voting rights, representing 26.00% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity capital carrying voting rights of the Target Company **("Offer Size")** at a price of Rs. 10.65 (Rupees Ten and Sixty Five Paise only) per fully paid-up equity share **("Offer Price")**, aggregating to a total consideration of upto Rs. 2,82,43,800 (Rupees Two Crores Eighty Two Lakhs Forty Three Thousand Eight Hundred Only) **("Maximum Open Offer Consideration")** payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the Takeover Regulations, subject to the terms and conditions set out in the PA, DPS and the Letter of Offer **("LOF" / "Letter of Offer")**. If the number of equity shares validly tendered by the Public Shareholders under this Open Offer is more than the size of the Open Offer, the Acquirers shall proportionately accept the equity shares received from the Public Shareholders.

3. As on the date of this DPS, the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital of the Target Company, is as follows:

Particulars	Number of Shares	% of Equity Share Capital
Total fully paid-up equity shares of face value Rs.10 each	1,02,00,000	100

(Source: Audited financials March 31, 2019 of the Target Company as disclosed / filed with BSE)

4. There are no partly paid equity shares in the Target Company.
5. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the Takeover Regulations.
6. This is not a conditional offer and is not subject to any minimum level of acceptance from the Public Shareholders.
7. The Acquirers are making this Offer to all the Public Shareholders of the Target Company, to acquire upto 26,52,000 Equity Shares **("Offer Size")**, representing 26% of the total outstanding fully paid up equity share capital of the Target Company.
8. The Offer is made at a price of Rs. 10.65 per Equity Shares **("Offer Price")** determined in accordance with Regulation 8(2) of the Takeover Regulations.
9. The Offer Price shall be payable at cash in accordance with Regulation 9(1) of the Takeover Regulations, and subject to the terms and conditions set out in this DPS and the Letter of Offer that will be dispatched to the Public Shareholders in accordance with the provisions of the Takeover Regulations.
10. There are no conditions stipulated in the SPA (as defined later), meeting of which are outside the reasonable control of the Acquirers, and in view of which, this Offer might be withdrawn under Regulation 23 of the Takeover Regulations.
11. The equity shares of the Target Company will be acquired by the Acquirers free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights declared thereafter.
12. Upon completion of the Offer, assuming full acceptances in the Offer and pursuant to the SPA (as defined later), the Acquirers will hold 96,50,800 equity shares constituting 94.63 % of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI LODR Regulations"), read with Rule 19(2) and Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended from time to time ("SCRR Rules"), the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding for listing on a continuous basis. Considering the equity shares that may be acquired by the Acquirers in the present Offer and after the consummation of the SPA (as defined later), the public shareholding of the Target Company may fall below the minimum level required as per the SEBI LODR Regulations for the purpose of listing on a continuous basis. The Acquirers undertake to take necessary steps to facilitate compliance of the Target Company with the relevant provisions of the SCRR Rules and other applicable laws, within the time period mentioned therein or in accordance with such other directions as may be provided by the Stock Exchanges.
13. Upon consummation of the transaction(s) contemplated in the SPA (as defined later), the Acquirers will acquire control over the Target Company and will become the promoters of the Target Company upon compliance with the provisions of Regulation 31A(5) of SEBI LODR Regulations.
14. The Acquirers have no plans to alienate any material assets of the Target Company whether by sale, lease, encumbrance or otherwise outside the ordinary course of business of the Target Company. In the event any substantial assets of the Target Company are proposed to be sold, disposed-off or otherwise encumbered in the succeeding 2 (two) years from the date of closure of the Open Offer, the Acquirers undertake that they shall do so only upon receipt of prior approval of the shareholders of the Target Company through a special resolution by way of a postal ballot in terms of the provision to Regulation 25(2) of the Takeover Regulations and subject to applicable laws as may be required.
15. The Acquirers intend to seek a reconstitution of the Board of Directors of the Target Company in compliance with Regulation 24(1) of the Takeover Regulations.
16. The Acquirers may consummate the transaction(s) as contemplated in the SPA after the expiry of the Offer period in terms of regulation 22(1) of the Takeover Regulations or subject to the Acquirers depositing cash of an amount equal to 100% of the Offer Size payable into the Escrow Account (as defined later) under the Open Offer (assuming full acceptance of the Open Offer) in accordance with the provision of the Regulation 22(2) of the Takeover Regulations, the Acquirers may after the expiry of atleast 21 (twenty one) working days from the date of the DPS, consummate the transaction(s) as contemplated in the SPA (as defined later).
17. As on the date of the PA and this DPS, the Manager to the Offer does not hold any equity shares of the Target Company. Further, the Manager to the Offer will not deal on their own account in the equity shares of the Target Company during the Offer period.
18. All equity shares tendered in acceptance of the Offer upto a maximum of 26,52,000 equity shares, will be acquired by the Acquirers subject to terms and conditions set out in this DPS and the Letter of Offer.

II. BACKGROUND OF THE OFFER

1. This Offer is a "Triggered Offer" under Regulations 3(1) and 4 of the Takeover Regulations for substantial acquisition of shares and voting rights accompanied with change in control and management of the Target Company.

2. The Acquirers have entered into a Share Purchase Agreement dated July 09, 2019 ("SPA") with all the members of the promoter and promoter group of the Target Company, namely being R S Services Private Limited, Mrs. Daya Bansal, Mr. Sachin Bansal, Mr. Rishu Agarwal, Mrs. Usha Devi Agarwal, pursuant to which, the Sellers have agreed to sell the Sale Shares (as defined below) and the Acquirers have agreed to purchase the Sale Shares (as defined below) being upto 69,99,800 equity shares of the Target Company having a face value of Rs. 10 each, representing 68.63% of the total issued, outstanding and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company ("Sale Shares"), for an aggregate consideration of Rs. 7,45,47,870 (Rupees Seven Crores Forty Five Lakh Forty Seven Thousand Eight Hundred Seventy Only), computed at Rs. 10.65 (Rupees Ten and Sixty Five Paise only) per Equity Share. The consideration for the Sale Shares shall be paid in cash by the Acquirers. The acquisition will result in the change in control and management of the Target Company.

3. This Offer is not as a result of a global acquisition, resulting in an indirect acquisition of the Target Company. The acquisition of the Sale Shares by the Acquirers is subject to certain conditions precedent, as provided in the SPA.

4. There are no conditions stipulated in the SPA, meeting of which are outside the reasonable control of the Acquirers, and in view of which, this Offer might be withdrawn under Regulation 23 of the Takeover Regulations.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The present and proposed shareholding of the Acquirers in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Details	Acquirer 1		Acquirer 2	
	No. of Equity Shares	% of the total paid-up equity share capital	No. of Equity Shares	% of the total paid-up equity share capital
Shareholding as on the date of PA*	Nil	-	Nil	-
Shares acquired between the date of the PA and this DPS	Nil	-	Nil	-
Shareholding as on the date of this DPS	Nil	-	Nil	-
Shareholding after completion of the acquisition under the SPA	35,00,000	34.32	34,99,800	34.31
Post Offer shareholding (assuming full acceptance, on diluted basis, as on 10th working day after the closure of the tendering period)	96,51,800 Equity Shares (in aggregate) 94.63% (in aggregate)			

**As on the date of the PA, the Acquirers do not hold any equity shares in the Target Company other than the arrangement entered into with the Sellers for acquiring shares as per the SPA.*

IV. OFFER PRICE

1. The equity shares of the Target Company are listed on BSE (security code: 541276) and are not suspended from trading on BSE.

2. The total volume of equity shares of the Target Company traded on BSE during the twelve calendar months (July 1, 2018 to June 30, 2019) preceding the calendar month (June 2019) of the PA is 31,80,000. The total number of equity shares outstanding issued and fully paid-up of the Target Company is 1,02,00,000. Hence, the total traded turnover of the equity shares of the Target Company on BSE Limited is 31.17%, which is more than 10% of the total number of fully paid equity shares outstanding and issued by the Target Company. Based on the above, the equity shares of the Target Company are infrequently traded in terms of the Takeover Regulations.

3. Based on the above, the equity shares of the Target Company are frequently traded on the BSE in terms of Regulation 2 of the Takeover Regulations.

4. The Offer Price of Rs.10.65 (Rupees Ten and Sixty Five Paise only) per fully paid-up equity share of face value Rs.10 of the Target Company is justified in terms of Regulation 8 of the Takeover Regulations, in view of the following:

Sr. No.	Particulars	Price (In Rs. per Equity Shares)
1.	The highest Negotiated Price per fully paid-up equity share of face value Rs. 10 of the Target Company for acquisition under the SPA attracting the obligation to make a PA of the Offer.	Rs. 10.65
2.	The volume-weighted average price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirers or by PAC, during the fifty-two weeks immediately preceding the date of the PA i.e. July 09, 2019.	Nil
3.	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirers or by PAC, during the twenty-six weeks immediately preceding the date of the PA i.e. July 09, 2019.	Nil
4.	The volume-weighted average market price of the Equity Shares for a period of sixty trading days immediately preceding July 09, 2019 (being the date of the PA), as traded on the BSE, being the stock exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares are recorded during such period, provided such Equity Shares are frequently traded.	Rs. 10.13
5.	Where the Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer, PAC and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies.	Rs. 10.10
6.	**Other Financial Parameters as at:** a. Book value per equity share b. Earnings per share (basic & diluted)	**March 31, 2019** Rs. 10.10 Rs. 0.03
7.	The per share value computed under Regulation 8(5), if applicable.	NA

5.In view of the parameters considered as presented in the table above, the minimum Offer Price per equity shares under Regulation 8 of the Takeover Regulations is the highest of item number 1 to 7 above i.e. Rs. 10.65 (Rupees Ten and Sixty Five Paise only). Accordingly, the Offer Price is justified in terms of the Takeover Regulations.

6. There has been no revision in the Offer Price since the date of the PA till the date of this DPS. Further, the Offer Price does not warrant any adjustments for corporate actions under Regulation 8(9) of the Takeover Regulations.

7. In the event of further acquisition of equity shares of the Target Company by the Acquirers during the Offer period, by purchase of equity shares of the Target Company at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the Takeover Regulations. However, the Acquirers shall not be acquiring any equity shares of the Target Company after the 3rd (third) working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period.

8. The Acquirers may, in terms of Regulation 18(4) of the Takeover Regulations, make upward revision of the Offer Price at any time prior to the commencement of the last 1 (one) working day before the commencement of the tendering period. If there is any such upward revision in the Offer Price by the Acquirers or in case of withdrawal of Offer, the same would be informed by way of a public announcement in the same newspapers where this DPS is published. Such revision in the Offer Price would be payable by the Acquirers for all the equity shares validly tendered at any time during the Offer. In case of upward revision in the Offer Price, the value of the Escrow Account (as defined later) shall be computed on the revised consideration calculated at such 'revised' Offer Price and any additional amount required will be funded via cash in the Escrow Account (as defined later) by the Acquirers prior to effecting such revision, in accordance and in compliance with Regulation 17(2) of the Takeover Regulations. Simultaneously with the issue of the public announcement, the Acquirers will also inform the Stock Exchanges, SEBI and the Target Company at its registered office of such revision in terms of Regulation 18(5) of the Takeover Regulations.

V. FINANCIAL ARRANGEMENT

1. The total consideration for the Offer Size at the Offer Price, assuming full acceptance of the Offer, is Rs. 2,82,43,800 (Rupees Two Crores Eighty Two Lakhs Forty Three Thousand Eight Hundred Only) **("Maximum Consideration")**.

2. The Acquirers have adequate resources and have made firm financial arrangements for financing the acquisition of the equity shares under this Offer, in accordance and in compliance with Regulation 25(1) of the Takeover Regulations. Mr. Anand Grover (M. No. 097954), Partner, M/s S. S. Periwal & Co., Chartered Accountants firm registration number 001021N, having office at J-45 Basement, Vikas Puri, New Delhi 110018, has certified vide certificate dated July 15, 2019, that the Acquirers have adequate financial resources and have made firm financial arrangements to meet the fund requirements for the acquisition of the equity shares of the Target Company under this Open Offer.

3. The Acquirers, the Manager to the Offer and ICICI Bank Limited, a banking company incorporated under Companies Act, 1956 and licensed under the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat India 390007 and acting through its branch office ICICI Bank Limited, Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclaimation, Churchgate, Mumbai 400020, have entered into an Escrow Agreement on June 20, 2019, for the purpose of the Offer **("Escrow Agreement")**. Pursuant to the Escrow Agreement and in compliance with Regulation 17(1) of the Takeover Regulations, the Acquirers have opened an Escrow Account in the name and style of "GARV-OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT" bearing Account number 000405120741 ("Escrow Account"). The Acquirers have deposited Rs. 75,00,000 (Rupees Seventy Five Lakhs Only) in cash in the Escrow Account which is more than 25% of the value of Maximum Consideration payable under the Offer (assuming full acceptances). The Manager to the Offer is duly authorized by the Acquirers to realize the value of the Escrow Account and operate the Escrow Account in terms of the Takeover Regulations.

4. Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirers to fulfill the obligations in relation to this Offer through verifiable means in accordance with the Acquirer to fulfill the obligations in relation to this Offer through verifiable means in accordance with the Takeover Regulations.

5. In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, the Acquirer and PAC shall deposit additional funds in the Offer Escrow Account as required under the Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.

6. In terms of Regulation 22(2) and the proviso to Regulation 22(2A) of the Takeover Regulations, subject to the Acquirers depositing in the Offer Escrow Account, cash of an amount equal to 100% of the Maximum Consideration, the Acquirer may, after the expiry of 21 days from date of this DPS, subject to fulfillment of conditions as detailed in this DPS, complete the acquisition of Equity Shares acquired pursuant to the SPAs and other acquisitions during the Offer period, if any.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. To the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory or other approvals required to complete the acquisition of the Offer Shares as on the date of this DPS. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of the Offer, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s).

2. All Public Shareholders, including non-resident holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the RBI) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Offer Shares.

3. In case of delay in receipt of any statutory approval that may be required by the Acquirers at a later date, SEBI may, if satisfied that such delay in receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirers to diligently pursue such approval, and subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest in accordance with Regulation 18(11) of the Takeover Regulations, grant an extension of time to the Acquirer and/or PAC to make the payment of the consideration to the Public Shareholders whose Offer Shares have been accepted in the Offer. Where any statutory approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirers shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Offer.

4. In terms of Regulation 23(1) of the Takeover Regulations, in the event that the Mandatory Statutory Approvals or any other approvals which may become applicable prior to completion of the Offer are not received, the Acquirers shall have the right to withdraw the Offer. Other than the Mandatory Statutory Approvals, the completion of the acquisition under the SPAs is conditional upon the SPA Conditions. In the event the SPA Conditions are not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the SPAs may be rescinded, and the Offer may be withdrawn, subject to applicable law. In the event of withdrawal of this Offer, a public announcement will be made within 2 Working Days of such withdrawal, in accordance with the provisions of Regulation 23(2) of the Takeover Regulations.

5. The information contained in this DPS is exclusively intended for persons who are not US Persons as such term is defined under the US Securities Act of 1933, as amended, and who are not physically present in the United States of America. This DPS does not in any way constitute an offer to sell, or an invitation to sell, any securities in the United States of America or in any other jurisdiction in which such offer or invitation is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. Potential users of the information contained in this DPS are requested to inform themselves about and to observe any such restrictions. This is not an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell in the United States of America and cannot be accepted by any means or instrumentality from within the United States of America. U.S. Public Shareholders should seek independent advice in relation to their ability to participate in this Offer. The Acquirer shall take all reasonable efforts to obtain an exemption/ no action relief under Rule of 14(e) of Securities Exchange Act of 1934 from the Securities and Exchange Commission on the basis that this Offer shall remain open for ten working days as per the requirements of the Takeover Regulations. There can be no assurance that such exemption /relief will be obtained.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITIES

Sr. No.	Activity	Schedule (Day & Date)
1	Date of Public Announcement	Tuesday, July 09, 2019
2	Date of Publishing of the DPS	Tuesday, July 16, 2019
3	Last Date for Filing Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday, July 23, 2019
4	Last Date of Public Announcement for Competing Offer(s)	Tuesday, August 06, 2019
5	Last Date for receiving comments from SEBI on the draft Letter of Offer (In the event SEBI has not sort clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Tuesday, August 13, 2019
6	Identified Date*	Monday, August 19, 2019
7	Last Date by which Letter of Offer will be dispatched to the public shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	Friday, August 23, 2019
8	Last Date by which committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	Tuesday, August 27, 2019
9	Last date for upward revision of the Offer Price/ Offer Size	Monday, August 26, 2019
10	Date of Publication of Offer opening public announcement in the newspaper in which this DPS has been published	Thursday, August 29, 2019
11	Date of commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date)	Friday, August 30, 2019
12	Date of closure of the Tendering Period (Offer Closing Date)	Friday, September 13, 2019
13	Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	Friday, September 27, 2019
14	Last date for issue of post-offer advertisement	Friday, September 20, 2019

The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the Takeover Regulations) and are subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly.

 # Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all Public Shareholders are eligible to participate in the Offer any time before the Offer Closing Date.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All the Public Shareholders, holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time during the Tendering Period for this Offer. Please refer to Paragraph 3(e) below for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.

2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e. the date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

3. The Public Shareholders are entitled to tender the Offer Shares under the stock exchange mechanism made available by Stock Exchanges in the form of a separate window **("Acquisition Window")**, as provided under the Takeover Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 issued by SEBI. In such case:-

(a) BSE shall be the designated stock exchange **("Designated Stock Exchange")** for the purpose of tendering the Offer Shares;

(b) The Acquirers has appointed Nikunj Stock Broker Limited **("Buying Broker")** as its broker for the Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: Nikunj Stock Brokers Limited
Address: A-92, GF, Left Portion, Kamla Nagar, Delhi- 110007
Tel. No.: 011-47030015
Contact Person: Mr. Pramod Kumar Sultania

(c) All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stock brokers **("Selling Broker")** within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.

(d) The Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for Equity Shares in dematerialized form.

(e) Procedure to be followed by the Public Shareholders holding equity shares in physical form:

- As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019
- Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialised. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialised.

4. The detailed procedure for tendering the shares in the Offer will be available in the Letter of Offer, which shall be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

IX. OTHER INFORMATION

1.The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this DPS (other than information regarding the Sellers, the Target Company and information compiled from publicly available sources or provided by Seller and the Target Company, which has not been independently verified by the Acquirers or the Manager to the Offer).

2. The information pertaining to the Target Company contained in this DPS has been compiled from the information published or publicly available sources or provided by the Target Company.

3. The Acquirers also accept full responsibility for their obligations under the Open Offer and shall be jointly & severally responsible for the fulfillment of obligation under the Takeover Regulation in respect of this Open Offer.

4. Unless otherwise stated, the information set out in this DPS reflects the position as of the date hereof.

5. Pursuant to Regulation 12 of the Takeover Regulations, the Acquirers have appointed Fast Track Finsec Private Limited as the Manager to the Offer.

6. The Acquirers have appointed Skyline Financial Services Private Limited as the Registrar to the Offer.

7. This DPS and the PA shall also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

8. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.

9. In this DPS, all references to "Rs." or "INR" are references to Indian Rupees and all references to "USD" are reference to United States Dollar.

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED B-502, Statesman House, 148 Barakhamba Road, New Delhi – 110001 **Telephone:** +91-11-43029809 **Email:** mb@ftfinsec.com **Investor Grievance Email: investor@ftfinsec.com** **Website:** www.ftfinsec.com **Contact Person: Mr. Pawan Kumar Mahur** **SEBI Reg. No:** INM000012500 **CIN:** U65191DL2010PTC200381	**Skyline Financial Services Private Limited** D-153A, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi- 110020, Tel No. +91-1126812682-83, Fax No. +91-11-26812683, Email: virenr@skylinerta.com, Website: www.skylinerta.com **Contact Person:** Mr. Virender Rana **SEBI Reg. No:** INR000003241 **CIN:** U74899DL1995PTC071324

This Detailed Public Statement is issued by The Manager to the Offer on behalf of the Acquirers
For & On behalf of the Acquirers
Sd/-
Mr. Swaranjeet Singh Sayal and Mr. Rubaljeet Singh Sayal

Date – July 15, 2019
Place – New Delhi

भारत गीयर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
दूरभाष: +91 (129) 4288888, **फैक्स:** +91 (129) 4288822-23, **वेबसाइट:** www.bharatgears.com
ई-मेल: info@bglindia.com, **सीआईएन:** L29130HR1971PLC034365

कम्पनी सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 ("एलओडीआर अधिनियम") के अधिनियम 42 के साथ पठित अधिनियम 47(1)(ख) के प्रावधानों के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 30 मई, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में इक्विटी शेयरों पर लाभांश के लिए योग्य सदस्यों के नाम निर्धारित करने हेतु, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, 30 जुलाई, 2019 को रिकार्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में पारित किया जाता है, तो उन सदस्यों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में 30 जुलाई, 2019 को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों की तरह दर्ज होगा अथवा जिनका नाम 30 जुलाई, 2019 को व्यवसायिक घंटों के अंत में इस उद्देश्य के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सुसज्जित लाभकारी स्वामित्व के बयानों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों की तरह दर्ज होगा।

कृते भारत गीयर्स लिमिटेड
हस्ता/-
प्रशांत खत्री
प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 15.07.2019

लीडिंग लीजिंग फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: टी-63, भू तल, वेस्ट पटेल नगर, सेन्ट्रल दिल्ली-110008
ई-मेल: leadingleashing@gmail.com, वेबसाइट: www.llflltd.com
CIN: L65910DL1983PLC016712, फोन: (011) 65632288

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को 12.00 बजे अप. में 4-ए, शादीपुर मेट्रो स्टेशन के सामने, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में शांति पैलेस में आयोजित की जायेगी जिसमें

1. एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 15 जुलाई, 2019 को सदस्यगणों को भेज दी गई है तथा उसे evoting@nsdl.co.in तथा www.llflltd.com पर अपलोड किया गया है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 3 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 7 अगस्त, 2019 को (09.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 (5.00 बजे सायं) तक जारी रहेगी।
4. उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ सभा में मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी के शेयरधारक बने हो तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे अपने फोलिओं नं./डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी सं. का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in या www.llflltd.com पर ई-मेल भेजकर लागिन-आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत हों तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
7. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच-पड़ताल करने के लिये कम्पनी ने श्री दीपक कुमार, दी कुमार एंड एसोसिएट्स के कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
8. यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल/Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री ... , निदेशक, पूर्वा शेयर रजिस्ट्री (आई) प्राइवेट लिमिटेड, अंतरण एजेन्ट के रजिस्ट्रार, 9, शिव शक्ति इंडस्ट्रियल एस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400011 से टेलीफोन- 022023016761 पर सम्पर्क करें तथा ईमेल आईडी: busicomp@gmail.com पर ई-मेल करें। सदस्यगण उपरोक्त पते पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं अथवा leadingleashing@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
9. एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (नियमावली सहित) के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 5 अगस्त, 2019 से 9 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक उपरोक्त एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
लीडिंग लीजिंग फाइनांस एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
रसीदा मंसूर डुला
निदेशक
DIN:07241900

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 16.7.2019

Dr Lal PathLabs

डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नम्बर: L74899DL1995PLC065388
पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक-ई, सैक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
कॉरपोरेट कार्यालय: 12वीं मंजिल, टॉवर-बी, एसएएस टॉवर मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
दूरभाष: 91-124-3016500, फैक्स: +91-124-4234468
वेबसाइट: www.lalpathlabs.com, ई-मेल: cs@lalpathlabs.com

25वीं वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग सूचना तथा बही बन्द करने की तिथियाँ

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 25वीं वार्षिक आम सभा सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को प्रातः 10:30 बजे एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जायेगी।

वार्षिक आम सभा तथा सभा में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने के सम्बन्ध में सूचना, वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के साथ उन शेयरधारकों को 11 जुलाई, 2019 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी भागीदार(रों)/कम्पनी के पास पंजीकृत है। अन्य शेयरधारकों को आम सभा की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 स्वीकृत माध्यम से भेज दी गई है और सूचना भेजने का यह कार्य 15 जुलाई, 2019 को पूरा हो गया था।

वार्षिक आम सभा की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 कम्पनी की वेबसाइट www.lalpathlabs.com पर उपलब्ध हैं और निवेशक इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कारपोरेट कार्यालय पर भी वार्षिक आम सभा की तिथि तक समस्त कार्य दिवसों के सामान्य कार्य घंटों के दौरान देख सकते हैं। वार्षिक आम सभा की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी को सदस्यों को वार्षिक आम सभा में पारित किये जाने वाले प्रस्तावों के प्रस्ताव पर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए ई-वोटिंग द्वारा सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कम्पनी ने सीडीएसएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सीडीएसएल से अनुबन्ध किया है। ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण, वार्षिक आम सभा की सूचना में उपलब्ध है। मतदान की अवधि शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 को प्रातः 10:00 बजे आरम्भ होकर रविवार, 11 अगस्त, 2019 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। ई-वोटिंग का मॉड्यूल इसके पश्चात मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जायेगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के पश्चात सदस्य को इसमें बदलाव की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सदस्यों को मतदान का अधिकार सोमवार, 5 अगस्त, 2019 को कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी की इक्विटी पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से व्यवहार करना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात शेयर अर्जित कर कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 5 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करता है, वह delhi@linkintime.co.in तथा cs@lalpathlabs.com पर एक निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिये पंजीकृत हैं तो आप अपनी मौजूदा आईडी एवं पासवर्ड वोट डालने हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने वार्षिक आम सभा से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे वार्षिक आम सभा में शामिल हो सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे।

बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा वार्षिक आम सभा में उपलब्ध कराई जायेगी और वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है वे बैलट पेपर के माध्यम से वार्षिक आम सभा में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

ई-मतदान के सम्बन्ध में किसी पूछताछ अथवा समस्या के लिए आप www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अधीन प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न तथा ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं अथवा निःशुल्क दूरभाष: 1800-22-55-33 पर फोन कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी, मैनेजर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि., ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से सम्पर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अंतर्गत वे सदस्य जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर लाभांश को प्राप्त करने के हकदार होंगे, उनके नामों के निर्धारण हेतु तथा वार्षिक आम सभा हेतु सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तिका मंगलवार, 6 अगस्त, 2019 से सोमवार, 12 अगस्त, 2019 (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) तक बन्द रहेंगी।

कृते डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड
ह./-
रजत कालरा
कम्पनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 15 जुलाई, 2019

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के विषय में तथा बेस्ट इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच-54, द्वितीय तल, डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052, भारत में स्थित है, के विषय में
......आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10 जुलाई, 2019 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-2 विंग, द्वितीय तल, दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे दिए पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय: एच-54, द्वितीय तल, डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052
कृते एवं हिते बेस्ट इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-
राकेश कुमार
निदेशक
डीआईएन - 08222053
69-ए, सीपीडब्ल्यूडी कालोनी,
वसंत विहार-1, दिल्ली-110057

तिथि : 00-00-2019
स्थान : दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के विषय में तथा बेस्ट होमकोन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच-54, द्वितीय तल, डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052, भारत में स्थित है, के विषय में
......आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10 जुलाई, 2019 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-2 विंग, द्वितीय तल, दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे दिए पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय: एच-54, द्वितीय तल, डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052
कृते एवं हिते बेस्ट होमकोन प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-
राकेश कुमार
निदेशक
डीआईएन - 08222053
69-ए, सीपीडब्ल्यूडी कालोनी,
वसंत विहार-1, दिल्ली-110057

तिथि : 00-00-2019
स्थान : दिल्ली

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

(पूर्व में चिरायु ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड विदित)
पंजी. कार्यालय: 37वाँ दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
ईमेल: cbnl.delhi@gmail.com,
वेबसाइट: www.sadhnabroadcast.com
CIN: L92100DL1994PLC059093, फोन: (011) 23552627

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में 37वाँ दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055 में आयोजित की जायेगी जिसमें

1. एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 15 जुलाई, 2019 को सदस्यगणों को भेज दी गई है तथा उसे evoting@nsdl.co.in तथा www.sadhnabroadcast.com पर अपलोड किया गया है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 2 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 को (09.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा रविवार, 11 अगस्त, 2019 (5.00 बजे सायं) तक जारी रहेगी।
4. उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ सभा में मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी के शेयरधारक बने हो तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे अपने फोलिओं नं./डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी सं. का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in या www.sadhnabroadcast.com पर ई-मेल भेजकर लागिन-आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत हों तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
7. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच-पड़ताल करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, वी कुमार एंड एसोसिएट्स के कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
8. यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल/Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री विरेन्दर राणा, निदेशक स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, अंतरण एजेन्ट के रजिस्ट्रार, 9डी-153ए, 1ला तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से टेलीफोन नं. 011-64732681 से 88 पर सम्पर्क करें तथा ईमेल आईडी: virenr@skylinerta.com पर ई-मेल करें। सदस्यगण उपरोक्त पते पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं अथवा cbnl.delhi@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
9. एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (नियमावली सहित) के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 3 अगस्त, 2019 से 11 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक उपरोक्त एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तेजिन्दर कौर
निदेशक
DIN:06799570

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 16.7.2019

शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

(पूर्व में अर्चित होल्डिंग्स एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड)
पंजी. कार्यालय: 37वाँ दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
ईमेल: sharplinebroadcastlimited@gmail.com,
वेबसाइट: www.sharplinebroadcast.in
CIN: L22100DL1990PLC039464, फोन: (011) 23552627

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 29वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे अप. में 37वाँ दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055 में आयोजित की जायेगी जिसमें

1. एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 15 जुलाई, 2019 को सदस्यगणों को भेज दी गई है तथा उसे evoting@nsdl.co.in तथा www.sharplinebroadcast.in पर अपलोड किया गया है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 2 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 7 अगस्त, 2019 को (09.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 (5.00 बजे सायं) तक जारी रहेगी।
4. उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ सभा में मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी के शेयरधारक बने हो तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे अपने फोलिओं नं./डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी सं. का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in या www.sharplinebroadcast.in पर ई-मेल भेजकर लागिन-आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत हों तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
7. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच-पड़ताल करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, वी कुमार एंड एसोसिएट्स के कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
8. यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल/Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री विरेन्दर राणा, निदेशक स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, अंतरण एजेन्ट के रजिस्ट्रार, डी-153ए, 1ला तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से टेलीफोन नं. 011-64732681 पर सम्पर्क करें तथा ईमेल आईडी: virenr@skylinerta.com पर ई-मेल करें। सदस्यगण उपरोक्त पते पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं अथवा sharplinebroadcastlimited@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
9. एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (नियमावली सहित) के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 3 अगस्त, 2019 से 9 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक उपरोक्त एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
पारस साह
निदेशक
DIN:07070206

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 16.7.2019

बैंक ऑफ इंडिया BOI

शाखा : प्रशान्त विहार, ई-4, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110085
फोन : 011-47056876, 27550006
ईमेल: prashantvihar.newdelhi@bankofindia.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्रीमती अनीशा को मांग सूचना दिनांकित 01.05.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 16,31,074.68 (रुपये सोलह लाख इकतीस हजार चौहत्तर और पैसे अड़सठ मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, प्रशान्त विहार, नई दिल्ली-110085) के प्रभार वास्ते रु. 17,66,124.68 और ब्याज, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 77, पॉकेट 4, सैक्टर-22, प्रथम तल, रोहिणी, नई दिल्ली-110086 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - प्लॉट नं. 78, पश्चिम में - प्लॉट नं. 76, दक्षिण में - प्रवेश, उत्तर में - सर्विस लेन

दिनांक : 10.07.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया BOI

शाखा : प्रशान्त विहार, ई-4, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110085
फोन : 011-47056876, 27550006
ईमेल: prashantvihar.newdelhi@bankofindia.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री राम कुमार को मांग सूचना दिनांकित 01.05.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 17,79,664.12 (रुपये सत्रह लाख उनासी हजार छः सौ चौसठ और पैसे बारह मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, प्रशान्त विहार, नई दिल्ली-110085) के प्रभार वास्ते रु. 18,29,453.24 और ब्याज, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति दुकान नं. सीएससी-5, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - एस-1/3, सीएससी-04, पश्चिम में - खुला स्पेस, दक्षिण में - एस-1/3, सीएससी-04, उत्तर में - खुला स्पेस

दिनांक : 10.07.2019, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के विषय में तथा बेस्ट इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच-54, द्वितीय तल, डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052, भारत में स्थित है, के विषय में
......आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10 जुलाई, 2019 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-2 विंग, द्वितीय तल, दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे दिए पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय: एच-54, द्वितीय तल, डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052
कृते एवं हिते बेस्ट इन्फ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/-
राकेश कुमार
निदेशक
डीआईएन - 08222053
69-ए, सीपीडब्ल्यूडी कालोनी,
वसंत विहार-1, दिल्ली-110057

तिथि : 00-00-2019
स्थान : दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
पेमारी टैक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U72300DL2013PTC256910)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए-224, पहली मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करने हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव तथा आयोजित आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 09 अप्रैल, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

कोई किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसकी आपत्ति के कारण देते हुए अपने शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध है आपत्ति हो, एमसीए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करके या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामले मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके पंजीकृत कार्यालय के ए-224, पहली मंजिल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते पेमारी टैक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
गार्गी गर्ग (निदेशक)
डीआईएन: 06609321

दिनांक: 15 जुलाई, 2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
मामले में: यूआरएस कंसल्टिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, CIN: U74210HR2005PTC064036, कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 19वां तल, टावर सी, बिल्डिंग नं. 5, सायबर टेरेसेस, डीएलएफ सायबर सिटी, फेज- III, गुड़गांव, हरियाणा- 122002, भारत में है।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 28 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार (शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते- बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में क्षेत्रीय निदेशक के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: पंजीकृत कार्यालय का पता: 19वां तल, टावर सी, बिल्डिंग नं. 5, सायबर टेरेसेस, डीएलएफ सायबर सिटी, फेज- III, गुड़गांव, हरियाणा- 122002, भारत

कृते एवं के लिये
यूआरएस कंसल्टिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
प्रवीण गुप्ता
निदेशक
DIN: 05149106

तिथि: 15 July 2019
स्थान: गुड़गांव

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, प्रथम तल राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
(फोन नं.: 011-25854313), ईमेल: b04168@pnb.co.in,

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/ गारन्टरों ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनकी खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा इन ऋणधारकों/ गारन्टरों को "जान-बूझकर चूककर्ता" घोषित कर दिया गया है। इन ऋणधारकों/ गारन्टरों को उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/धनों के साथ नीचे वर्णित राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिये बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की है। जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिये जाने के बाद ऋणधारक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

रणजत सिंह राठौर

नागेन्द्र सिंह

खाता का नाम: **मै. राठौर सेटल्स एंड टूर्स प्रा. लि.**
एनपीए की तिथि: 31.03.2003
बकाया राशि: 31.3.2003 को रु. 563.07 लाख तथा वसूली यदि कोई हो, के समायोजन के बाद एनपीए की तिथि से ब्याज एवं चार्जेज
कुल स्वीकृत एक्स्पोजर- रु. 521.00 लाख

रणजत सिंह राठौर

नागेन्द्र सिंह

गौरव सिंह राठौर

खाता का नाम: मै. शीबा व्हील्स (पी) लि.
एनपीए की तिथि: 31.3.2003
बकाया राशि: 31.3.2003 को रु. 973.74 लाख तथा वसूली यदि कोई हो, के समायोजन के बाद एनपीए की तिथि से ब्याज एवं चार्जेज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 940.00 लाख

तिथि: 15.7.2019, स्थान: दिल्ली
शाखा प्रमुख

SOUTH INDIAN Bank

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1/18-20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055
फोन : 011-23610400, Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना

जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी (इसमें आगे एओ कहा गया है) द्वारा कर्जदार मैसर्स दीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कार्यालय पता डी-161, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092, अन्य पता : ग्राम सतीवाला, तहसील पाओन्टा साहिब, हिमाचल प्रदेश-173025 तथा गारंटर (1) श्री संजय गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता (मैसर्स संजय गुप्ता एचयूएफ के कर्ता और निदेशक की हैसियत में), (2) श्रीमती रीता गुप्ता पत्नी श्री संजय गुप्ता (मैसर्स संजय गुप्ता एचयूएफ की कोपार्सनर और निदेशक की हैसियत में), (3) श्री सिद्धान्त गुप्ता पुत्र श्री संजय गुप्ता (मैसर्स संजय गुप्ता एचयूएफ के कोपार्सनर और निदेशक की हैसियत में), (4) श्रीमती मानसी गुप्ता पुत्री श्री संजय गुप्ता (मैसर्स संजय गुप्ता एचयूएफ के कोपार्सनर और व्यक्तिगत हैसियत में), (5) श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र बाबू राम, (6) श्रीमती शकुन्तला गुप्ता पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता सभी निवासी डी-56, सूरजमल विहार, नई दिल्ली-110092 तथा (7) श्रीमती शशि गर्ग पत्नी पवन कुमार गर्ग निवासी सी-256, सूरजमल विहार, नई दिल्ली-110092 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना आरओ/डीईएल/एसईवी/एसएआर/26/2018-19 दिनांकित 19-07-2018 जारी की गई थी तथा अचल सम्पत्ति, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे अनुसूची में दिया गया है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक 27-11-2018 को प्राप्त कर लिया है।

और जबकि कर्जदार/गारंटर बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अचल सम्पत्ति, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे अनुसूची में दिया गया है, की बिक्री निविदा सह नीलामी द्वारा "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जो भी है" शर्त पर, यहां नीचे दी गई तिथि व समय पर, दिनांक 19-07-2018 तक बकाया रु. 13,33,84,382.34 (रुपए तेरह करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार तीन सौ बयासी तथा पैसे चौंतीस मात्र) + आगे ब्याज तथा लागतों की वसूली के लिए, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों पर की जाएगी :-

सम्पत्ति स्वामी का नाम	श्रीमती शशि गर्ग
सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. डी-819, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली में सम्पूर्ण ग्राउण्ड द्वितीय तल सम्पत्ति परिमाप 2208 वर्ग फीट (पूर्ण टेरेस अधिकारों तथा आगे आखिरी मंजिल तक कॉमन एंट्रेन्स, पैसेज तथा स्टेयरकेस सहित निर्माण के अधिकारों के साथ) नीचे भूमि परिमाप 402 वर्ग गज में 40 प्रतिशत अविभाजित, अविभाज्य तथा अविभाजनीय स्वामित्व अधिकारों सह सभी फिटिंग, फिक्सचर्स, कनेक्शन्स, उसके ऊपर खड़े स्ट्रक्चर सहित, उसमें उपलब्ध कराई गई अन्य कॉमन सुविधाओं तथा सुख-साधनों में अधिकार सहित। सम्पत्ति श्रीमती शशि गर्ग के नाम है जिसका अधिक विस्तृत वर्णन सब-रजिस्ट्रार-5, नई दिल्ली की सेल डीड नम्बर 7762 दिनांकित 04-09-2003 में दिया गया है तथा जो निम्नानुसार परिबद्ध है : उत्तर : प्लॉट नम्बर 818, दक्षिण : प्लॉट नंबर 820, पूरब : 60 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम : 15 फीट चौड़ी सर्विस लेन।
सुरक्षित मूल्य	रु. 9,00,00,000/-(रु. नौ करोड़ मात्र)
धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	रु. 90,00,000/-(रु. नब्बे लाख मात्र) 19-08-2019
बिक्री की तिथि और स्थान	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 18, पूसा रोड, जीएफ, करोल बाग, नई दिल्ली-05

निबंधन और शर्तें

1. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है" आधार तथा "जो है जैसा है" शर्त पर की जाएगी तथा बैंक सम्पत्ति के स्वामित्व, दशा अथवा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य तथ्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रत्याभूत आस्ति के संबंध में प्रस्तुत विवरण बैंक की सर्वोत्कृष्ट जानकारी के अनुसार वर्णित हैं और बैंक किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. प्रस्तावित निविदादाता निविदा बिक्री सूचना, जो बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट (www.southindianbank.com) पर प्रकाशित की गई है/करोल बाग शाखा, प्लॉट नंबर 18, पूसा रोड, जीएफ, करोल बाग, नई दिल्ली-05 तथा नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 1/18-20, द्वितीय तल, व्हाइट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 में उपलब्ध है, में वर्णित निबंधन और शर्तों को पढ़ेंगे और सम्पत्ति और सूचीबद्ध सम्पत्ति को देखकर इसके क्षेत्रफल, सीमाओं इत्यादि, स्वामित्व, शीर्षक, ऋणभार, सांविधिक अनुमोदनों, माप इत्यादि के बारे में अपनी संतुष्टि करेंगे। बैंक बिक्री में भाग लेने के बाद सूचीबद्ध सम्पत्ति अथवा निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार के विवाद को स्वीकार नहीं करेगा।
3. इच्छुक निविदादाताओं को किसी वैध फोटो पहचान/पता प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि निविदादाता प्राधिकार पर भाग ले रहा है, उसको अपना स्वयं का तथा निविदादाता का आईडी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
4. ईएमडी सहित बिक्री के संबंध में देय सभी राशियां "प्राधिकृत अधिकारी, दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरित तथा नई दिल्ली में देय डीडी/आरटीजीएस द्वारा अदा की जाएंगी।
5. इच्छुक निविदादाता ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस की रसीद, जैसी भी स्थिति है, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 18, पूसा रोड, जीएफ, करोल बाग, नई दिल्ली-05 में मोहरबंद लिफाफे में लिखित सहित 19-08-2019 को पूर्वा. 11.30 बजे से पूर्व जमा करेंगे।
6. बिक्री के स्थान पर प्रवेश की अनुमति उन निविदादाताओं तक सीमित होगी जो निविदा प्रपत्र तथा ईएमडी एक मोहरबंद लिफाफे में निर्धारित समय सीमा के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकमात्र अपने विवेकानुसार निर्णय की गई समय सीमा के भीतर जमा कर चुके हैं।
7. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी निरस्त/स्थगित करने का अधिकार है। आगे, प्राधिकृत अधिकारी स्वविवेकानुसार पहले प्रस्तुत की जा चुकी किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं तथा बैंक निविदादाताओं से इस संबंध में कोई बाधा या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं करेगा।
8. मोहरबंद निविदाएं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 19-08-2019 को दोपहर 12.00 बजे खोली जाएंगी। कोई भी निविदा जिसमें सुरक्षित मूल्य से कम ऑफर होगी तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी।
9. निविदाओं के खोले जाने के बाद प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार उपस्थित निविदादाताओं को परस्पर बोलीदान द्वारा अपनी ऑफर का मूल्य बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
10. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी घटाकर) उसके पक्ष में बोली स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अथवा निविदा सह नीलामी की तिथि से अगले कार्य दिवस अधिकतम तक जमा करनी होगी और शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी, जिसमें विफल होने पर निविदादाता द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि बिना कोई सूचना दिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा बिक्री रद्द कर दी जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। तथापि, वास्तविक मामलों में प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार समय सीमा आगे बढ़ाई जा सकती है।
11. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है, जिसको सफल निविदादाता द्वारा बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा कर चुके होने के बावजूद बिक्री रद्द करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, बिक्री प्रत्याभूत क्रेडिटर द्वारा भी पुष्टि के अधीन है।
12. बिक्री की पुष्टि किए जाने पर तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूरी बिक्री राशि प्राप्त कर लिए जाने पर, सफल निविदादाता को बैंक और सरफासी अधिनियम के निबंधन और शर्तों के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। सफल निविदादाता द्वारा सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों को सभी मौजूदा देयताओं का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण हेतु प्रभार/शुल्क जैसेकि विधिसम्मत लागू अनुसार पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि वहन करना चाहिए।
13. प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक बिक्री की जा रही सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर अथवा सरकार या किसी निकाय को देय किसी देयता हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
14. सफल निविदादाता को बोली स्वीकार किए जाने के बाद सभी कर/बिजली/जल/सीवरेज प्रभार या किसी प्राधिकरण द्वारा मांगे गए किसी अन्य प्रभार का भुगतान करना चाहिए, भले ही यह पूर्व अवधि से संबंधित हो।
15. सफल निविदादाता बिजली/पानी/सीवरेज कनेक्शन इत्यादि और अन्य सामान्य सेवाएं अपने नाम में अपनी लागत पर अंतरित कराएगा।
16. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के संबंध में 23-09-2016 से 20-06-2019 तक की अवधि के लिए खोज रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है तथा इसमें कोई ऋणभार नहीं है। कृपया सूचित हो कि एडीजे, साकेत कोर्ट्स, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत यौगिका मितल बनाम शशि गर्ग (गारंटर) के बीच वाद संख्या सीएस-डीजे/353/17 में बैंक को इसमें प्रतिवादी बनाया गया है और तदनुसार सम्पत्ति की बिक्री वाद के परिणाम के अधीन होगी।
17. किसी अतिरिक्त जानकारी तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए, इच्छुक निविदादाता प्राधिकृत अधिकारी अथवा दि साउथ इंडियन बैंक लि., करोल बाग शाखा से कार्य समय में सम्पर्क कर सकते हैं।
18. यह कर्जदार/सह-आवेदक/गारंटर को यह सूचित करने हेतु सूचना मानी जाए कि यदि बैंक की बकाया रु. 13,33,84,382.34 (रुपए तेरह करोड़ तैंतीस लाख चौरासी हजार तीन सौ बयासी तथा पैसे चौंतीस मात्र) की पूर्ण राशि दिनांक 01-07-2018 से ब्याज और अन्य लागतों तथा प्रभारों सहित, बिक्री हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व प्रेषित नहीं की जाती है तो तदनुसार सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी।

तिथि : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
(मुख्य प्रबंधक)

इन्टरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: "ट्रेवल हाउस", टी-2, कम्युनिटी सेन्टर, शेख सराय, फेज-I, नई दिल्ली-110017
सीआईएन: L63040DL1981PLC011941
टेल.: 91-11-26017808, ई-मेल: investor_TH@ith.co.in, वेबसाइट : www.internationaltravelhouse.in

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	30.06.2019 को समाप्त 3 महीने	31.03.2019 को समाप्त 12 महीने	30.06.2018 को समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने
1.	प्रचालनों से कुल आय	5,254.09	21,063.99	5,216.15
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	(31.92)	424.90	236.35
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(31.92)	424.90	236.35
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(12.11)	287.97	167.64
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि से शामिल) (कर के बाद तथा अन्य व्यापक आय के बाद) (कर के बाद)	(47.69)	197.64	155.73
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	799.45	799.45	799.45
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)		15,382.54	
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति) :			
	1. मूल (रु):	(0.15)	3.35	2.10
	2. तरल (रु):	(0.15)	3.35	2.10

टिप्पणी:

क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का सार है। विस्तृत वित्तीय परिणाम तथा इस सारांश की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 15 जुलाई, 2019 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक में उसे अनुमोदित किया गया। अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारुप कम्पनी की वेबसाइट (www.internationaltravelhouse.in) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

ख) सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित सीमित समीक्षा पूरी कर ली गई है तथा संबंधित रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के अग्रसारित कर दिए हैं। इस रिपोर्ट का 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के 'परिणामों तथा टिप्पणियों' पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जिसकी व्याख्या की जाए।

International Travel House
Keep Going

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से

हस्ता/-
नकुल आनंद
अध्यक्ष

हस्ता/-
सौविक सेनगुप्ता
मुख्य वित्त अधिकारी

तिथि : 15 जुलाई, 2019
स्थान : नई दिल्ली

इन्फोसिस की अगुआई में शेयर सूचकांक 160 अंक मजबूत

मुंबई, 15 जुलाई (भाषा)।

शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी रही। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस में अच्छी तेजी तथा वृहत आर्थिक परिदृश्य को लेकर अच्छे संकेतों से स्थानीय बाजारों में सोमवार को तेजी रही और बीएसई सूचकांक 160 अंक लाभ के साथ बंद हुआ।

उतार–चढ़ाव वाले कारोबार में तीस शेयरों वाला सूचकांक 160.48 अंक की तेजी के साथ 38,896.71 पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 35.85 अंक की बढ़त के साथ 11,588.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक 11,618.40 – 11,532.30 अंक के दायरे में रहा। सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में इन्फोसिस का शेयर रहा। शुक्रवार शाम को घोषित कंपनी का वित्तीय परिणाम बेहतर रहने से यह शेयर 7.20 फीसद बढ़त के साथ बंद हुआ।

इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 17,636.08 करोड़ रुपए बढ़कर 3,34,777.08 करोड़ रुपए रुपए पर पहुंच गया। कंपनी का लाभ जून तिमाही में 5.3 फीसद बढ़ा जो उम्मीद से बेहतर है। साथ ही उसने चालू वित्त वर्ष के लिए आय की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है। प्रतिद्वंद्वी कंपनी टीसीएस का शेयर भी 1.77 फीसद जबकि टेक महिंद्रा 1.73 मजबूत हुए। वहीं एचसीएल टेक में 0.24 फीसद की तेजी आयी। इन्फोसिस और टीसीएस में लाभ की अगुवाई में बीएसई आइटी सूचकांक 3.53 फीसद मजबूत होकर 15,634.83 अंक पर पहुंच गया।

कारोबारियों के अनुसार इन्फोसिस में तेजी के अलावा थोक मुद्रास्फीति में गिरावट का भी बाजार पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जून में थोक महंगाई दर घटकर 2.02 फीसद पर आ गई जो 23 महीने का न्यूनतम स्तर है। सकारात्मक वैश्विक सकंतकों के साथ बाजार को कुछ स्थिरता मिली। सैंकटम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य वित्त अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा– इन्फोसिस के वित्तीय परिणाम अच्छा रहने तथा कुछ औषधि और धातु कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों की अगुवाई में निफ्टी में तेजी आई।

लाभ में रहने वाले अन्य प्रमुख शेयरों में सन फार्मा, टेक महिंद्रा, मारुति, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक तथा एचडीएफसी रहे। इनमें 3.61 फीसद तक की तेजी आई। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, एलएंडटी, आइटीसी, भारती एअरटेल, आइसीआइसीआइ बैंक, यस बैंक, एसबीआइ और हीरो मोटो कार्प में 2.28 फीसद तक की गिरावट आयी। संकट में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन का शेयर 29.15 फीसद नीचे आ गया। कंपनी को 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में 2,224 करोड़ रुपए के नुकसान की खबर से शेयर टूटा। इसके अलावा इलाहबाद बैंक में 7.74 फीसद की गिरावट आयी। बैंक के साथ दिवालिया भूषण पावर एंड स्टील लि. 1,775 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट के बाद शेयर नीचे आया।

जून में थोक मुद्रास्फीति घटकर 2.02 फीसद पर

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जून में घटकर पिछले 23 महीनों के निम्न स्तर 2.02 फीसद पर आ गई। सब्जियों, ईंधन और बिजली से जुड़े सामानों की कीमतों में कमी के कारण थोक महंगाई दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई। थोक मूल–य सूचकांक (डब–ल–यूपीआइ) आधारित मुद्रास–फीति मई में 2.45 फीसद रही थी। वहीं, जून 2018 में यह आंकड़ा 5.68 फीसद पर रहा था।

खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर मामूली कमी के साथ जून महीने में 6.98 फीसद के स्तर पर रही, जो मई में 6.99 फीसद पर थी। सब्जियों की महंगाई दर पिछले महीने घटकर 24.76 फीसद पर रही, जो मई में 33.15 फीसद पर थी। आलू के थोक मूल्य जून में 24.27 फीसद घटे, जबकि मई में आलू की महंगाई दर शून्य से 23.36 फीसद नीचे रही थी। हालांकि, प्याज की कीमतों में इजाफा जारी है और जून में इसकी महंगाई दर 16.63 फीसद के स्तर पर रही। मई में प्याज की मुद्रास्फीति 15.89 फीसद पर रही थी।

इस साल जून में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति पिछले 23 साल के सबसे निम्न स्तर पर रही। इससे पहले जुलाई, 2017 में यह 1.88 फीसदी पर थी। दूसरी ओर, अप्रैल की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति को संशोधित कर 3.24 फीसद कर दिया गया है जो अस्थायी तौर पर 3.07 फीसद पर थी।

पर्यावरण नियमों का अनुपालन करने में बार-बार नाकाम रहने पर

एनजीटी ने गैमन इंडिया और एचसीसी पर लगाया दो-दो करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जम्मू–कश्मीर में चेनाब और तवी नदी को दूषित करने के लिए गैमन इंडिया और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) पर जुर्माने की रकम को बढ़ाकर दो–दो करोड़ रुपए कर दिया है।

कंपनियां पर यह जुर्माना निर्माण कार्य के दौरान निकले मलबे को नदियों में डालकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर लगाया गया है। इससे पहले, एनजीटी ने 12 फरवरी को दोनों कंपनियों पर की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में एक – एक करोड़ का जुर्माना लगाया था। लेकिन जब न्यायाधिकरण ने देखा कि कंपनियों ने नदियों में मलबा नहीं डालने के उसके आदेश में का अनुपालन नहीं किया तो एनजीटी ने जुर्माना बढ़ाकर दो–दो करोड़ रुपए कर दिया।

याचिकाकर्ता अमरेश सिंह ने याचिका में एनजीटी से मलबे की डंपिंग को रोकने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया है कि जम्मू – कश्मीर में ऊधमपुर से बनिहाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में निकले मलबे को सीधे नदियों में ठिकाने लगाया जा रहा है।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कंपनियों को दो सप्ताह के अंदर दो–दो करोड़ रुपए की कार्य निष्पादन गारंटी जमा करने के भी आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा– गैमन इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक महीने के भीतर दो–दो करोड़ रुपए का भुगतान करना होगाा। यह राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा की जाएगी, जो पर्यावरण को व्यवस्थित रखने का काम करती है। पर्यावरण नियमों का अनुपालन करने में बार–बार नाकाम रहने के लिए यह जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी दो सप्ताह के भीतर कार्य निष्पादन गारंटी स्वरूप एक करोड़ जमा कराने का आदेश दिया है। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर पर्यावरण नियमों को बनाए रखने में कोई और चूक हुई तो गारंटी राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

एनजीटी ने कंपनियों को चेतानवी दी है कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं किया गया तो हमारे पास उक्त कंपनियों के निदेशकों को जेल भेजने के निर्देश देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। कंपनियों ने एनजीटी के फरवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था।

सभी किसानों के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक करने की तैयारी

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में कुछ प्रमुख बदलाव करने की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसके तहत सरकार का इरादा सभी किसानों के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाने, ऊंचे प्रीमियम वाली फसलों को हटाने, राज्यों को विशिष्ट ग्राहक की जरूरत के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए लचीलापन देने का है।

अधिकारी ने कहा कि लोगों के बीच से यह धारणा दूर करने को कि बीमा कंपनियां इस योजना से मुनाफा कमा रही हैं, कृषि मंत्रालय ने राज्य के स्तर के निवेश कोष का गठन करने और बचत को राष्ट्रीय स्तर के बीमा जोखिम में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया है।

अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि योजना के तहत किसी फसल के लिए सिंचित क्षेत्र 50 फीसद से अधिक होने पर कवरेज के लिए प्रीमियम की अधिकतम सीमा 25 फीसद और फसल में सिंचित क्षेत्र 50 फीसद से कम है तो प्रीमियम की सीमा 30 फीसद रखने का सुझाव दिया गया है। इसमें हर साल संशोधन की सिफारिश है।

पीएमएफबीवाई अप्रैल, 2016 में शुरू की गई थी। इसमें ऐसे प्राकृतिक जोखिम जिन्हें रोका नहीं जा सकता है, से बचाव को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए वृहद फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें खरीफ फसल के लिए निचली दो फीसद की प्रीमियम दर लगती है। वहीं रबी फसल के लिए यह दर 1.5 और बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए यह पांच फीसद है।

अधिकारी ने कहा– पीएमएफबीवाई क्रियान्वयन के सातवें सत्र में है। इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मंत्रालय ने इस खामियों की पहचान की है और कई बदलावों का प्रस्ताव किया है। इस पर राज्य सरकारों से विचार मांगे गए हैं। मंत्रालय ने कई बदलावों का सुझाव दिया है इसमें कर्ज लेने वाले कृषक सहित सभी किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बनाना भी शामिल है।

अधिकारी ने कहा कि यह इसलिए किया जा रहा है कि कर्ज लेने वाले किसान के अनिवार्य नामांकन से असंतोष पैदा हो रहा है। इसके अलावा मंत्रालय ने फसल नुकसान के आकलन को दो स्तरीय प्रक्रिया का प्रस्ताव किया है।

FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	Alpine Realtech Private Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	April 1, 2010
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC-Delhi
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate Debtor	U70200DL2010PTC201076
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: B-1/46, Lane No.3, New Ashok Nagar, Delhi East Delhi DL 110096
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	March 12, 2019
7	Date of invitation of expression of interest	July 16, 2019
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Available at the website: Alpinecrp.in
9	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	https://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php More details can be sought by emailing at alpine@asgroup.in and anju@insolvencyservices.in
10	Last date for receipt of expression of interest	July 31, 2019
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	August 03, 2019
12	Last date for submission of objections to provisional list	August 08, 2019
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	August 13, 2019
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	August 08, 2019
15	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Only such applicants that meet the eligibility criteria (as per pt. 8 above) and have signed NDA, will be provided access to the request for Resolution Plan, evaluation matrix and Information Memorandum and Data Room through electronic form. The applicant can raise specific request at email at alpine@asgroup.in. Further prospective resolution applicants should regularly visit the website of Corporate Debtor at Alpinecrp.in to keep themselves updated regarding clarifications amendments or extensions of time, if any.
16	Last date for submission of resolution plans	September 07, 2019
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	A prospective resolution applicant in the final list may submit resolution plan or plans prepared in accordance with the Code and these regulations to the resolution professional electronically and in the sealed envelope at the address mentioned in pt. 21. Further details will be provided in the Request for Resolution Plan.
18	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	To be finalised in consultation and approval of COC and will be put up on website (As mentioned in Point No. 8) after such decision.
19	Name and registration number of the resolution professional	Anju Agarwal | Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00106/2017-18/10213
20	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Anju Agarwal | Address: 73, National Park-IV, Lajpat Nagar, New Delhi e-mail: anju@insolvencyservices.in
21	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Address: C-100, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh, 201301 Email: alpine@asgroup.in
22	Further Details are available at or with	From the website at alpinecrp.in
23	Date of publication of Form G	July 16, 2019

Anju Agarwal
For M/s Alpine Realtech Private Limited (under CIRP)
IBBI/IPA-001/IP-P00106/2017-18/10213
73, National Park-IV, Lajpat Nagar, New Delhi

Date: July 16, 2019
Place: New Delhi

प्रपत्र – 'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड के सम्भावित समाधान आवेदकों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	16.04.2004
3.	[illegible]	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	[illegible]	U74900DL2004PLC125846
5.	[illegible]	पंजीकृत कार्यालय: [illegible] नई दिल्ली – 110065 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी: [illegible] वेबसाइट: www.efpl.co.in
6.	[illegible]	28.03.2019
7.	[illegible]	15.07.2019
8.	[illegible]	www.efpl.co.in; अथवा सूचना exclusivefibers.crp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	[illegible]	सूचना exclusivefibers.crp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	[illegible]	29.07.2019
11.	[illegible]	01.08.2019
12.	[illegible]	05.08.2019
13.	[illegible]	15.08.2019
14.	[illegible]	05.08.2019
15.	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	03.09.2019
17.	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	09.09.2019
19.	[illegible]	अंकुर सिंघल [illegible]
20.	[illegible]	अंकुर सिंघल [illegible] ई-मेल: ankur@[illegible]
21.	[illegible]	[illegible] exclusivefibers.crp@gmail.com
22.	[illegible]	[illegible] exclusivefibers.crp@gmail.com [illegible]
23.	[illegible]	16.07.2019

हस्ता./–
अंकुर सिंघल
समाधान पेशेवर, एक्सक्लूसिव फाइबर्स लिमिटेड
पंजीकृत संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/10079
कार्यालय पता: [illegible] नई दिल्ली – 110062
फोन नं.: 011-23370001, ई–मेल: [illegible]

तिथि: 16/07/2019
स्थान: नई दिल्ली

SOUTH INDIAN Bank

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1/18–20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 फोन : 011-23610400, Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के अधीन सूचना

सेवा में

1. मैसर्स जेनिका कारस इंडिया प्रा. लि., [illegible] गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में स्थित है
2. श्री रणपाल सिंह टोंक पुत्र [illegible] सिंह, निवासी ई–26, साउथ सिटी 1, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
3. श्री मनबीर सिंह टोंक पुत्र रणपाल सिंह टोंक, निवासी ई–26, साउथ सिटी 1, गुरुग्राम, हरियाणा–122001

[illegible] साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड [illegible] एससीओ–22, पालम विहार, हुडा मार्केट, सेक्टर–23, गुरुग्राम, हरियाणा–122017 [illegible] 07–07–2017 तथा 22–11–2017 [illegible] मैसर्स जेनिका कारस इंडिया प्रा. लि. [illegible] रु. 1,75,00,000.00 (रु. एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) [illegible]

[illegible] 20–10–2018 [illegible] 21–06–2019 [illegible] धारा 13(2) [illegible] 20–06–2019 तक बकाया रु. 1,47,30,179.27 [illegible]

प्रत्याभूत आस्तियों की अनुसूची

अनुसूची "क"

आइटम नंबर 1 : सम्पूर्ण दृष्टिबंधित वाहन, मेक – Audi AG, माडल – AUDI Q5 45 TDI Quattro, चेसिस नंबर WAUZMH4N1GY108404 इंजन नंबर CBM012608 रजिस्ट्रेशन नंबर HR-26-DG-5122 रजिस्ट्रेशन तिथि : 22–08–2017 आरटीओ गुरुग्राम, मैसर्स जेनिका कारस इंडिया प्रा. लि. के नाम में रजिस्टर्ड

आइटम नंबर 2 : सम्पूर्ण दृष्टिबंधित वाहन, मेक – Audi AG, माडल – AUDI A8 L50 TDI Quattro, चेसिस नंबर WAUZDH4H7AY015266 इंजन नंबर CDT258903 रजिस्ट्रेशन नंबर HR-26-DL-3381 रजिस्ट्रेशन तिथि : 05–02–2018 आरटीओ गुरुग्राम, मैसर्स जेनिका कारस इंडिया प्रा. लि. के नाम में रजिस्टर्ड

आइटम नंबर 3 : सम्पूर्ण दृष्टिबंधित वाहन, मेक – Audi AG, माडल – AUDI A5 L50 Sportsback 35, चेसिस नंबर WAUZGHF59AJ152223 इंजन नंबर DES206941 रजिस्ट्रेशन नंबर HR-26-DL-2816 रजिस्ट्रेशन तिथि : 05–02–2018 आरटीओ गुरुग्राम, मैसर्स जेनिका कारस इंडिया प्रा. लि. के नाम में रजिस्टर्ड

तिथि : 16.07.2019
स्थान : नोएडा

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
(मुख्य प्रबंधक)

प्रपत्र सं. 5
ऋण वसूली अधिकरण

600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ
(अधिकार क्षेत्र: उत्तर प्रदेश का भाग)
प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने तथा उपस्थिति के लिये समन्स

ओ.ए. तिथि: 14.3.2019

(ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत प्रतिवादियों के लिए समन्स)

ओ.ए. नं. 2017 का 1028

भारतीय स्टेट बैंक ---आवेदक

बनाम

श्री जीतेन्दर सिंह गहलोत एवं अन्य -----गैर-आवेदक

सेवा में,

1. श्री जीतेन्दर सिंह गहलोत पुत्र चमन सिंह गहलोत, निवासीः मकान सं. 919, न्यू कॉलोनी, केरहेरा, गायिजाबाद–201007
साथ हीः फ्लैट नं. 4031, 4था तल, लेवल–5, टावर–14, प्रेस्टाई बेल्ला बिस्ता अप्ती/8, माउन्ट पूनामल्ले, मैन रोड, अइयाप्पथगल, चेन्नई–600056
2. मै. वोकेशनल एजुकेशन फाउण्डेशन
प्लॉट नं. 4, नॉलेज पार्क–1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.

ऊपर वर्णित आवेदन में आपको इस अधिकरण में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेंट अथवा विधिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से दो सेट में पेपर बुक पद्धत्ति में अपना जवाब तथा शपथ–पत्र (यदि कोई हो) दाखिल करना होगा तथा समन के प्रकाशन के बाद आवेदक अथवा उसके सलाहकार/विधिवत अधिकृत एजेन्ट को उसकी प्रति सर्व करने के बाद 17.9.2019 को 10.30 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

VLS FINANCE LTD.

Regd. off.: 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065
CIN: L65910DL1986PLC023129
Ph. No. 011-46656666, Fax: 011-46656699
Email: [illegible], website: www.vlsfinance.com

NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 2nd August, 2019, inter-alia to consider the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019.

for VLS Finance Ltd.
H. Consul
Company Secretary
M.No. - A11183

Place: New Delhi
Date: 15.07.2019

LUMAX DK JAIN GROUP
ल्यूमैक्स मैननोह एलाइड टेक्नॉलाजिज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : दूसरा तल, हरबंस भवन–II, कमर्शियल काम्प्लेक्स, नांगल राय, नई दिल्ली–110 046, Website : www.lumaxworld.in, Tel. : 011-49857832
Email : lmat@lumaxmail.com, CIN : U35912DL2013PLC255694

सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 201 के तहत, एतद् द्वारा कंपनी के सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि कंपनी केंद्रीय सरकार को धारा 196, 197, 198 के तहत अनुसूची V के साथ पठित एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, श्री टोमोकि मोरि (डीआइएन – 08418609), जो कि एक अनिवासी है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V की धारा (e) पार्ट I के निर्धारित मापदंडों को पूरा नही करते हैं को कंपनी के निदेशक, आरएनडी कार्यकारी निदेशक के रूप में 18.05.2019 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति करने के अनुमोदन हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा 18.05.2019 को आयोजित बैठक में अनुमोदित पारिश्रमिक तथा नियम/शर्तें पर मंजूर की गई है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो, वह अपनी आपत्ति लिखित में इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, पांचवां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110 001 में भेज सकते हैं। **कृते ल्यूमैक्स मैननोह एलाइड टेक्नॉलाजिज लिमिटेड**

स्थान : नई दिल्ली (हस्ता./–) विवेक कुमार जखमोला
दिनांक : 15 जुलाई, 2019 निदेशक, डीआइएन – 06803312

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 352/2017 इलाहाबाद बैंक बनाम श्री उमेश कुमार गर्ग तिथि: 3.7.2019

''आदेश''

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 3.7.2019 के अनुसार 21.8.2019 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः
यह नीलामी बिक्री वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई–नीलामी'' होगी।
नीलामी की तिथि एवं समयः 21.8.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर (12 बजे दोपहर के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

संपत्ति का विवरण

गिरवी संपत्ति अर्थात (i) मकान सं. 505, 2रा तल, शक्तिखंड–III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र., माप 71.53 वर्ग मीटर (ii) आरक्षित मूल्यः गिरवी सम्पत्ति के संदर्भ में रु. 26,00,000/– (रुपए छब्बीस लाख मात्र) (iii) धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)ः गिरवी सम्पत्ति के संदर्भ में रु. 2,60,000/– (रुपए दो लाख साठ हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टलः https://drt.auctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई–नीलामी'' होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 352/ 2017 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा अथवा अधोलिखित खाता नामः उमेश कुमार गर्ग, खाता नं. 50138565554, आईएफएससी कोड ALLA0210163, इलाहाबाद बैंक, परिसंपत्ति वसूली शाखा, इलाहाबाद बैंक भवन, भूतल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आरजीटीएस/ एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। उक्त डिमाड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा एनईएफटी/ आरटीजीएस के द्वारा ईएमडी के भुगतान के मूल प्रमाण पत्र, ईएमडी सहित पहचान के स्व– सत्यापित प्रमाण (वोटर आई–कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा कंपनी के मामले बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/एटॉर्नी की पुष्ट करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रति अधिकतम 19.8.2019 के 4.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई–मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 352/2017' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री **''जैसा है जहां है आधार''** पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauction-tiger.net देखें एवं/ अथवा श्री मनीष गोयल, मुख्य प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंध शाखा, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, भूतल, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, मोबा. नं. 8449516468, कार्यालय नं. 011–23364381 से संपर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई–प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए–801, वाल स्ट्रीट–II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006, संपर्क सं. +91 079–40230816–820, 079–40230831–833, ई–मेलः support@auctiontiger.com, संपर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी, संपर्क नं. 08980690773, ई–मेलः kushal@auctiontiger.net, तथा श्री राम शर्मा, संपर्क नं. 8000023297 से प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता ईएमडी के भुगतान के बाद मै. ई–प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए–801, वाल स्ट्रीट–II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006, संपर्क सं. +91 079–40230816–820, 079–402830831–833, ई–मेलः support@auctiontiger.com, संपर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी, संपर्क नं. 08980690773, ई–मेलः kushal@auctiontiger.net, तथा श्री राम शर्मा, संपर्क नं. 8000023297 से ई–नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई–नीलामी में भागलेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैद्य यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. संभावित बोलीदाता 13.8.2019 तथा 14.8.2019 को 11 बजे से 16.00 बजे तक साईट पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. जो इच्छुक बोलीदाता 19.8.2019 के 4.00 बजे अप. तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई–नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 21.8.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
11. बोलीदाता रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
12. असफल बोलीदाता ई–नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली, सीएच, बैंक अर्थात् इलाहाबाद बैंक से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
13. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के तत्काल बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद अगले कार्य दिवस तक रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली खाता आरसी नं. 352/2017 के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी– II, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह इस अधिकरण में अगले बैंक कार्य दिवस के 4 बजे अप. तक पहुंच जाए।
14. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II दिल्ली, खाता आर.सी. नं. 352/2017 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा तथा संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस तक शेष 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा जिसके साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में 1000/– तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
15. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

संपत्ति की अनुसूची

बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें उसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
मकान सं. 505, 2रा तल, शक्तिखंड–III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र. (माप 71.53 वर्ग मीटर)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(अविनाश चन्द्रा),
रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली

प्रारूप सं. आइएनसी-26

[illegible] कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन [illegible]

शिवम अगरवाली [illegible] प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 27, कर्ज़न [illegible], बंगाली रोड, कमला नगर, नई दिल्ली – 110007 में स्थित है [illegible]

[illegible]

27, कर्ज़न [illegible], बंगाली रोड, कमला नगर, नई दिल्ली – 110007

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
शिवम अगरवाली [illegible] प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
[illegible]
निदेशक
डीआईएन : 02637188
पता : 27, कर्ज़न [illegible], बंगाली रोड, कमला नगर, नई दिल्ली – 110007

तिथि : 16.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, 1ला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–110125
फोन नं. 25854327, 25853243, ईमेलः bo4168@pnb.co.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारकों/गारन्टरों ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण इन खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए के रूप में घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा ऋणधारकों/गारन्टरों को ''विलफुल डिफॉल्टर'' घोषित किया गया है। विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से ऋणधारकों/गारंटरों से इस चूक में सुधार करने का अनुरोध किया गया है। एक बार पुनः उनसे आग्रह किया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर नीचे वर्णित खाताओं को विनियमित/समायोजित करें जिसमें विफल रहने पर बैंक जनता को यह सूचित करने के लिये कि वे बैंक के विलफुल डिफॉल्टर हैं, समाचार पत्र में उनका फोटोग्राफ प्रकाशित करेगा।

श्री रवि कुमार गोयकना, पुत्र श्री जय नारायण गोयनका, निवासी पीटीएस 63 का चलता नं. 23, मुंडवेल वड्डेम, वास्को द गामा, गोआ 403802
प्रिय महोदय/महोदया,
संदर्भः मै. प्रेसस हॉस्पिटैलिटी एंड लीजर प्रा. लि. के नाम में एनपीए खाता सं. 4196008700002087
आप ने बैंक से अधोलिखित साख सुविधाएं प्राप्त की हैंः

क्रम सं.	साख सुविधा का प्रकार एवं खाता सं.	स्वीकृत सीमा (लाख)	31.3.2015 को एनपीए की तिथि को शेष बकाया (रु.)	एनपीए की तिथि
1.	CC-4196008700002087	रु. 600.00 लाख	रु. 5,35,51,068/– (+1.4.2015 से आगे का ब्याज एवं खर्चे	31.3.2015

श्री सचिन यादव, 163, प्रकाश इंडस्ट्रियल इस्टेट, गियानी बोर्डर, 7वाँ माईल, पी.ओ. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.
साथ हीः X –9402, सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट्स, एमपी एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, साथ हीः 40, डीएलएफ, इंडस्ट्रियल एरिया, आलीशान बिल्डिंग, कीर्ति नगर, नई दिल्ली
प्रिय महोदय/महोदया,
संदर्भः एनपीए खाता सं. 4184008700001456 एवं अन्य जो (मै. जी.सी. ट्यूब्स प्रा. लि.) के नाम में है।
आप ने बैंक से अधोलिखित साख सुविधाएं प्राप्त की हैंः

क्रम सं.	साख सुविधा का प्रकार एवं खाता सं.	स्वीकृत सीमा (लाख)	31.3.2015 को एनपीए की तिथि को शेष बकाया (रु.)	एनपीए की तिथि
2.	सीसी लिमिट एवं अन्य	रु. 3500.00 लाख	रु. 2235.28 लाख + ब्याज एवं अन्य चार्जेज	31.3.2013

श्री संजीव जैन तथा श्रीमती ममता जैन, पंजी–कार्यालयः 2862, बाजार सिकड़ीवालान हौज खास, दिल्ली–110006, साथ हीः 14वाँ कि.मी. स्टोन, जिन्दल नगर, दिल्ली हापुर रोड, ग्राम पार्सन, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., साथ हीः ए–13, शॉप 110, जगदम्बा टावर्स आदित्य कॉम्प्लैक्स, प्रीत विहार, दिल्ली–110092, साथ हीः एक्स–402, सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट्स, एम.पी. एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
प्रिय महोदय/महोदया,
संदर्भः एनपीए खाता सं. 1710008700000398, 171000UR00000051, 171000UD00000017 एवं अन्य जो (मै. बांके बिहारी पाइप्स प्रा. लि.) के नाम में है।
आप ने बैंक से अधोलिखित साख सुविधाएं प्राप्त की हैंः

क्रम सं.	साख सुविधा का प्रकार एवं खाता सं.	स्वीकृत सीमा (लाख)	31.3.2015 को एनपीए की तिथि को शेष बकाया (रु.)	एनपीए की तिथि
3.	सीसी लिमिट एवं अन्य	रु. 2900.00 लाख	रु. 1192.09 लाख + ब्याज एवं अन्य चार्जेज	31.3.2013

एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि के 7 दिनों के भीतर उपरोक्त खाता(ओं) को विनियमित/समायोजित करें, अन्यथा यह बैंक जनता को यह सूचित करने के लिये कि आप बैंक के विलफुल डिफॉल्टर हैं, समाचार पत्र में आपका फोटोग्राफ प्रकाशित करेंगे।
हमें पूरी आशा कि कि इस प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिये आप जरूरी कदम उठाएंगे।

तिथिः 15.7.2019, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

चैंपियन बनने पर जश्न में डूबा इंग्लैंड

लंदन, 15 जुलाई (एएफपी)।

इंग्लैंड सोमवार को पहली बार विश्व कप विजेता बनने के जश्न में डूबा रहा। मेजबान देश 44 साल से विश्व चैंपियन बनने के ख्वाब देख रहा था लेकिन आखिर में उसे सफलता रविवार को यहां न्यूजीलैंड पर अप्रत्याशित जीत से मिली।

इस मैच को सबसे अधिक दर्शकों ने देखा। लगभग 30 हजार दर्शक लाइर्स पर उपस्थित थे तो हजारों मध्य लंदन स्थित ट्रैफलगर स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर मैच का प्रसारण देख रहे थे। इंग्लैंड की टीम ने जीत का जश्न ओवल पर मनाया जहां उसने 30 मई को दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत की थी। इयोन मोर्गन की अगुआई वाली टीम के साथ ओवल में जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में बच्चे भी मौजूद थे। ओवल में मौजूद कई बच्चों ने आल स्टार्स की पोशाक पहन रखी है। यह जूनियर खिलाड़ियों के लिए इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। बाकी बच्चे अपनी स्कूलों की पोशाक में थे।

44 साल बाद पहली बार खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य

महारानी ने टीम को दी बधाई

इंग्लैंड की महारानी ने न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीतने वाली टीम को बधाई दी है। महारानी ने लिखा, प्रिंस फिलीप और मैं इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम को विश्व कप फाइनल में इतनी रोमांचक जीत दर्ज करने पर बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, मैं उपविजेता न्यूजीलैंड टीम को भी बधाई देना चाहती हूं जिसने पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में इतना शानदार प्रदर्शन किया। ब्रिटेन की रायल मेल डाकसेवा ने ऐलान किया कि विश्व कप जीत और 2017 महिला विश्व कप में इंग्लैंड की जीत पर विशेष डाक टिकटों की शृंखला जारी की जाएगी।

'बाउंड्री नियम' पर भड़के दिग्गज

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

भारत के रोहित शर्मा और गौतम गंभीर समेत मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने चौके-छक्के गिनकर विश्व कप विजेता का निर्धारण करने वाले आइसीसी के 'हास्यास्पद' नियम की जमकर आलोचना की जिस नियम की वजह से लार्ड्स पर फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया। इंग्लैंड ने मैच में 22 चौके और दो छक्के लगाए जबकि न्यूजीलैंड ने 16 चौके लगाए।

भारत के रोहित शर्मा ने ट्वीट किया, क्रिकेट के कुछ नियमों पर गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, समझ में नहीं आता कि विश्व कप फाइनल जैसे मैच के विजेता का निर्धारण चौकों-छक्कों के आधार पर कैसे हो सकता है। हास्यास्पद नियम। यह टाई होना चाहिए था। युवराज सिंह ने लिखा, मैं नियम से सहमत नहीं हूं लेकिन नियम तो नियम है। न्यूजीलैंड के स्काट स्टायरिस ने लिखा, शानदार काम आइसीसी। आप एक लतीफा हो। डीन जोंस ने लिखा, डकवर्थ लुईस प्रणाली रन और विकेट पर निर्भर है। इसके बावजूद फाइनल में सिर्फ चौकों-छक्कों को आधार माना गया। मेरी राय में यह गलत है।

वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम का चयन 19 जुलाई को

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 जुलाई को होगी लेकिन तीन अगस्त से शुरू होने वाली सीमित ओवरों की शृंखला के लिए महेन्द्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने प्रशासकों की समिति (सीओए) से मुलाकात के बाद एजंसी से कहा, चयनकर्ता 19 जुलाई को मुंबई में बैठक करेंगे। हमने अभी धोनी से कुछ नहीं सुना है, लेकिन खिलाड़ी और चयनकर्ता के बीच क्या बातचीत होगी यह मायने रखता है। अगर आप मुझे से पूछेंगे तो धोनी ने विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। सिर्फ वही फैसला कर सकते हैं कि वह आगे खेलना चाहते हैं या नहीं। कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीन-तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय और शृंखला से विश्राम दिए जाने की संभावना है जबकि दोनों 22 अगस्त से शुरू हो रही दो मैचों की टैस्ट शृंखला की टीम में वापसी कर सकते हैं। ये पांच दिवसीय मैच विश्व टैस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे।

शास्त्री को फिर से करना होगा आवेदन

नई दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा)।

बीसीसीआइ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच सहित सहयोगी स्टाफ के लिए जल्द ही नए आवेदन मंगवाएगा और इस तरह से रवि शास्त्री को फिर से आवेदन करना होगा क्योंकि उनका अनुबंध अगले महीने के वेस्ट इंडीज दौरे के बाद समाप्त हो जाएगा।

बीसीसीआइ अधिकारी ने एजंसी से कहा, हमारी वेबसाइट पर एक या दो दिन में इन पदों के लिए आवेदन दिया जाएगा। सहयोगी स्टाफ के अलावा टीम मैनेजर पद के लिए भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे। सहयोगी स्टाफ में शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर हैं।

कोहली, बुमराह रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

लंदन, 15 जुलाई (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सोमवार को जारी आइसीसी की नवीनतम बल्लेबाजी और गेंदबाजी के रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। उधर टीम रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड ने विश्व कप में जीत के बाद भारत पर अपनी बढ़त तीन अंक की कर ली है। विश्व चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नवीनतम रैंकिंग में फायदा हुआ है।

इस रैंकिंग में सेमी फाइनल और फाइनल के प्रदर्शन को शामिल किया गया है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष दो स्थान पर कोहली और रोहित शर्मा हैं। जबकि गेंदबाजों में शीर्ष 10 में बुमराह इकलौते भारतीय हैं। केन विलियमसन ने सेमी फाइनल के बाद करिअर का सर्वश्रेष्ठ 799 रेटिंग अंक हासिल किए। फाइनल के बाद हालांकि उनके नाम 796 अंक रहे। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स करिअर के सर्वश्रेष्ठ 694 अंक के साथ बल्लेबाजों की सूची में 20वें स्थान पर पहुंच गए।

रोहित और बुमराह आइसीसी विश्व कप एकादश में : टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा ओर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आइसीसी विश्व कप एकादश में शामिल किया गया है जिसकी कप्तानी न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को दी गई है। इंग्लैंड का इस टीम में दबदबा है। नए विश्व चैंपियन इंग्लैंड के चार और न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ी एकादश में शामिल हैं। इस टीम का चयन एक पैनल ने किया। टीम के अन्य खिलाड़ियों में भारत और आस्ट्रेलिया के दो-दो तथा बांग्लादेश के शाकिब अल हसन हैं।

महानायक बने स्टोक्स

लंदन, 15 जुलाई (भाषा)।

दो बरस पहले एक नाइटक्लब के बाहर झगड़े के कारण क्रिकेट के बाहर होने की कगार पर खड़े बेन स्टोक्स को विश्व कप में उनके प्रदर्शन ने इंग्लैंड का नूरे नजर बना दिया और फाइनल में जीत के सूत्रधार रहे इस हरफनमौला का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।

एक शानदार कैच लपककर विश्व कप में आगाज करने वाले स्टोक्स टूर्नामेंट के आखिर में खुशी के आंसू पोछते नजर आए। यह अतीत की नाकामियों और विवादों को पीछे छोड़ने की खुशी थी, टीम के लिए भी और स्टोक्स के लिए भी। फाइनल में नाबाद 84 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे स्टोक्स ने सुपर ओवर में जोस बटलर के साथ 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने भी सुपर ओवर में 15 रन बनाए लेकिन ज्यादा चौकों-छक्कों के कारण इंग्लैंड विजेता रहा। स्टोक्स ने जीतने के बाद कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की और अब दुनिया के सामने हम चैंपियन बनकर खड़े हैं। यह अद्भुत है। इस तरह के लम्हों के लिए ही आप क्रिकेटर बनते हैं। आस्ट्रेलिया में ब्रिस्टल में नाइटक्लब के बाहर झगड़े के कारण स्टोक्स 2017-18 की एशेज शृंखला नहीं खेल सके थे। न्यूजीलैंड में जन्में स्टोक्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में एंडिले फेलुक्वायो का शानदार कैच लपका था। उसके बाद नाबाद 82 और 89 रन बनाए। भारत के खिलाफ उन्होंने 79 रन जोड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में चार विकेट जल्दी निकलने के बाद वह इंग्लैंड के 'संकटमोचक' बने। उनके बल्ले से टकराकर 'ओवरथ्रो ' पर गेंद जिस तरह से चार रन के लिए गई। इससे बानगी मिल गई कि यह दिन उनका था, उनकी टीम का था। दुनिया को क्रिकेट सिखाकर कभी खुद खिताब नहीं जीत पाने का मलाल इंग्लैंड ने दूर किया, वहीं खलनायक से महानायक बने स्टोक्स ने जिजीविषा, जुझारूपन और हार न मानने के जज्बे की नई मिसाल पेश की।

सियेह और स्ट्रायकोवा ने विंबलडन महिला युगल खिताब जीता

लंदन, 15 जुलाई (एएफपी)।

चेक गणराज्य की बारबरा स्ट्रायकोवा और ताइवान की सियेह सू वेइ ने विंबलडन महिला युगल खिताब जीत लिया। तैंतीस बरस की स्ट्रायकोवा एकल सेमी फाइनल में सेरेना विलियम्स से हार गईं थीं।

उसने अपने करिअर का पहला ग्रैंडस्लैम जीता जब सियेह के साथ चीन की शू यिफान और कनाडा की गैब्रियेला डाबरोवस्की को 6-2, 6-4 से हराया। इससे पहले सियेह की हमवतन लतिशा चान ने क्रोएशिया के इवान डोडिज के साथ मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया।

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)

विशिष्ट संपत्ति रिकवरी प्रबंधक शाखा (एस ए आर एम), प्रथम तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23418746, 23418750, ई-मेल: bm3102@andhrabank.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो आंध्रा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा आंध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसा है, जहां है", जैसा है जो है" और जो कुछ भी वहीं है" के आधार पर आंध्रा बैंक की बकाया राशि रु. 61,18,39,955/-(रुपए इकसठ करोड़ अठारह लाख उनतालीस हजार नौ सौ पच्चपन मात्र) दिनांक 31.01.2017 तक व आगे का ब्याज, लागत और शुल्क एवं अन्य प्रभार की वसूली हेतु दिनांक 02.08.2019 को बिक्री की जाएगी।

1. ऋणधारकर्ता: मैसर्स मंगल पल्लोस प्राईवेट लिमिटेड, सी 42, लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110035
2. निदेशक/गारंटर: (1) श्री राम लाल गुप्ता, पीयू-105, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088 (2) श्री राजकुमार गुप्ता, पीयू-105, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088
3. गारंटर/बंधककर्ता: (1) श्री अमर चंद गुप्ता, पीयू-105, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088 (2) मैसर्स वीएमी ट्यूब बैन्डस प्राईवेट लिमिटेड, सी-42, लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110035 (3) मैसर्स वैलूराम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, 2647, नया बाजार, दिल्ली-110006 (4) मैसर्स जेटी एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, सी-42/3, लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110035 (5) मैसर्स सक्षम फ्रिन्यल प्राईवेट लिमिटेड, सी-42, लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110035

आरक्षित मूल्य और धरोहर जमा राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा: न्यूनतम बोली गुणांक 1% की अपसेट मूल्य/ईएमडी पर होगा।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%)
1.	भूमि एवं अधिरचना जो की मैसर्स जेटी एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम में है जिसका परिमापन लगभग 1800.00 वर्ग मीटर, जो की प्लॉट सं. 500, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राई एचएसआईआईडीसी फूड पार्क तहसील एवं जिला सोनीपत, हरियाणा में स्थित है। चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट नं. 501, पश्चिम: 24 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट सं. 499, दक्षिण: 15 मीटर चौड़ी सड़क, यहां प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है।	रु. 6,25,00,000/- (रु. छः करोड़ पच्चीस लाख केवल) (भूमि व भवन) रु. 75,00,000/- (पच्चहत्तर लाख केवल) (कारखाना एवं यंत्र) कुल रु. 7,00,00,000/- (सात करोड़ केवल)	रु. 62,50,000/- (रु. बासठ लाख एवं पचास हजार केवल) रु. 7,50,000/- (सात लाख एवं पचास हजार केवल) कुल रु. 70,00,000/- (सत्तर लाख केवल)

संपत्ति पर किसी भी अतिक्रमण के बारे में बैंक को कोई जानकारी नहीं है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.andhrabank.co.on, www.tenders.gov.in और ई-नीलामी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट यानी www.antaressystems.com, www.tenderwizard.com/ANB में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक: 15.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

दीपक सिंह, प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक, आंध्रा बैंक, एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)

विशिष्ट संपत्ति रिकवरी प्रबंधक शाखा (एस ए आर एम), प्रथम तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23418746, 23418750, ई-मेल: bm3102@andhrabank.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो आंध्रा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का रचनात्मक कब्जा आंध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसा है, जहां है", जैसा है जो है" और जो कुछ भी वहीं है" के आधार पर आंध्रा बैंक की बकाया राशि रु. 51,89,59,486.83/-(रुपए इक्यावन करोड़ नवासी लाख उनसठ हजार चार सौ छियासी एवं तिरासी पैसे मात्र) दिनांक 01.06.2018 तक व आगे का ब्याज, लागत और शुल्क एवं अन्य प्रभार की वसूली हेतु दिनांक 17.08.2019 को बिक्री की जाएगी।

1. ऋणधारकर्ता-सह-बंधककर्ता: मैसर्स अंकुर रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: जी-5, लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110035
2. निदेशक-सह-गारंटर: (1) श्री विपुल मित्तल पुत्र नरेश कुमार मित्तल, मकान नं. 97, चंद्रलोक एन्कलेव, पीतमपुरा, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली (2) श्री कपिल मित्तल पुत्र नरेश कुमार मित्तल, मकान नं. 97, चंद्रलोक एन्कलेव, पीतमपुरा, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली।

आरक्षित मूल्य और धरोहर जमा राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा: न्यूनतम बोली गुणांक 1% की अपसेट मूल्य/ईएमडी पर होगा।

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%)
1.	भूमि एवं भवन- फैक्टरी परिमापन लगभग 4050 वर्ग मी. जो की मैसर्स अंकुर रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम में है, इसके निदेशक श्री विपुल मित्तल पुत्र श्री नरेश कुमार मित्तल (संपत्ति के मालिक) के माध्यम से, जो की प्लॉट नं. 573, एचएसआईआईडीसी फूड पार्क इंडस्ट्रीयल एस्टेट, राई, सोनीपत, हरियाणा में स्थित है, एवं चौहद्दी: पूर्व: 24 मीटर रोड, पश्चिम: 30 मीटर रोड, उत्तर: प्लॉट सं. 574, दक्षिण: प्लॉट सं. 572	रु. 13,35,00,000/- (रु. तेरह करोड़ पैंतीस लाख केवल) (भूमि व भवन) रु. 2,38,00,000/- (दो करोड़ अड़तीस लाख केवल) (प्लांट एवं मशीनरी) कुल रु. 15,73,00,000/- (पंद्रह करोड़ तिहत्तर लाख केवल)	रु. 1,33,50,000/- (रु. एक करोड़ तैंतीस लाख एवं पचास हजार केवल) रु. 23,80,000/- (तेईस लाख एवं अस्सी हजार केवल) कुल रु. 1,57,30,000/- (एक करोड़ सत्तावन लाख एवं तीस हजार केवल)

संपत्ति पर किसी भी अतिक्रमण के बारे में बैंक को कोई जानकारी नहीं है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.andhrabank.co.on, www.tenders.gov.in और ई-नीलामी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट यानी www.antaressystems.com, www.tenderwizard.com/ANB में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक: 15.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

दीपक सिंह, प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक, आंध्रा बैंक, एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेंट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए) [(परिशिष्ट-IV) देखें नियम 8(1)]

शाखा कार्यालय: खेड़ी रोड, नहर पार, कच्चा डागरा, भारत कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	ऋणधारकों एवं गारन्टरों के नाम	गिरवी रखी गई/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	**ऋणधारक:** श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री ब्रिज मोहन शर्मा एवं श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री विनोद शर्मा	नीचे वर्णित साम्यिक बंधक सम्पत्तियों के सभी भाग एवं हिस्से: **सम्पत्ति का विवरण:** श्रीमती मीना शर्मा पत्नी श्री विनोद शर्मा के नाम पर वार्ड नं. 8, सराय इुसैनी, ओल्ड फरीदाबाद, जिला-फरीदाबाद में स्थित साम्यिक बंधक मकान नं. 222/8 (परिमाप 63 वर्ग यार्ड) - बिक्री विलेख सं. 7126 दिनांक 16.08.2010 जो घिरी है: उत्तर: मकान नं. 221/8 दक्षिण: मकान नं. 223/8 पूर्व: रोड पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति	02.05.2019	09.07.2019	01.05.2019 को रु.5,30,386/- (अर्थात एनपीए की तारीख) और उस पर ब्याज
2.	**ऋणधारक:** श्री तिलक राज बत्रा एवं श्रीमती सरिता बत्रा, पत्नी श्री तिलक राज बत्रा	नीचे वर्णित साम्यिक बंधक सम्पत्तियों के सभी भाग एवं हिस्से: **सम्पत्ति का विवरण:** श्रीमती सरिता बत्रा पत्नी श्री तिलक राज बत्रा के नाम पर लेखावरा मोहल्ला, ओल्ड फरीदाबाद, जिला-फरीदाबाद में स्थित साम्यिक बंधक मकान नं. 79/7 (परिमाप 60 वर्ग यार्ड) - बिक्री विलेख सं. 14518 दिनांक 12.12.2011 जो घिरी है: उत्तर: रास्ता दक्षिण: श्री जुगल का मकान पूर्व: रोड पश्चिम: उप प्रभाग-4 का शेष भाग	02.05.2019	09.07.2019	01.05.2019 को रु.9,47,889/- (अर्थात एनपीए की तारीख) और उस पर ब्याज
3.	**ऋणधारक:** श्री राम प्रताप भारद्वाज, पुत्र श्री राज धारी एवं श्रीमती ईशरावती पत्नी श्री राम प्रताप	नीचे वर्णित साम्यिक बंधक सम्पत्तियों के सभी भाग एवं हिस्से: **सम्पत्ति का विवरण:** श्री राम प्रताप भारद्वाज पुत्र राज धारी भारद्वाज के नाम पर बिक्री विलेख सं. 6851 दिनांक 21.01.1999 के माध्यम से गली नं. 4, वार्ड नं. 16, मवाई रोड, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, नजदीक एलिजाबेथ एंगल मिशन स्कूल, न्यू जीवन नगर, नेहरपुर, फरीदाबाद, जिला-फरीदाबाद में स्थित साम्यिक बंधक मकान नं. 3 (परिमाप 100 वर्ग यार्ड) जो घिरा है: उत्तर: अन्य की सम्पत्ति दक्षिण: रोड 15 फीट पूर्व: रोड 16 फीट पश्चिम: खाली भूमि	02.05.2019	09.07.2019	01.05.2019 को रु. 14,37,724/- (अर्थात एनपीए की तारीख) और उस पर ब्याज

कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 09.07.2019 स्थान: फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

Gujchem Distillers India Limited

(Corporate Identification Number: L24230GJ1939PLC002480)
Registered Office: Office No. 6, 2nd Floor, National Chambers, Nr. City Gold, Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India.
Tel. No. +91-79- 26580893, **Email:** gujchemdistillers@gmail.com; **Web:** www.gujchemdistillers.com

This advertisement ("**Corrigendum**") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("**Manager to the Offer**") on behalf of Mr. Sagar Samir Shah ("**Acquirer 1**") and Mrs. Rajasvee Sagar Shah ("**Acquirer 2**") (Acquirer 1 and Acquirer 2 are jointly referred to as the "**Acquirers**") pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended (the "**SEBI (SAST) Regulations**") in respect of the Open Offer (the "**Offer**") to acquire upto 42,091 fully paid-up equity shares of Rs.10/- each (the "**Equity Shares**") at a price of Rs. 120/- per Equity Share.

The terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meanings assigned to them in the DPS. The Manager to the Offer has received SEBI Observations Letter dated July 12, 2019 ("**SEBI Observations Letter**") on the DLOF and pursuant to that the Shareholders are requested to note the following in relation to the Open Offer made by the Acquirers vide the PA dated June 04, 2019:

1. The original and the revised schedule of activities are as follows:

ACTIVITY	Original Schedule of Activities (as disclosed in the Draft Letter of Offer)	Revised Schedule of Activities
	Day and Date	Revised Day and Date
Date of the Public Announcement (PA)	Tuesday, June 04, 2019	Tuesday, June 04, 2019
Date of the Detailed Public Statement (DPS)	Wednesday, June 12, 2019	Wednesday, June 12, 2019
Last date of filing Draft Letter of Offer (DLOF) with SEBI	Wednesday, June 19, 2019	Wednesday, June 19, 2019
Last date for a Competitive Bid / Offer*	Wednesday, July 03, 2019	Wednesday, July 03, 2019
Identified Date**	Friday, July 12, 2019	Wednesday, July 17, 2019
Date by which LOF to be posted to the equity shareholders of the Target Company	Friday, July 19, 2019	Wednesday, July 24, 2019
Last date for public announcement by the Independent Directors committee of the Target Company on the Offer	Wednesday, July 24, 2019	Monday, July 29, 2019
Last date for upward revision of the Offer Price or any increase in the Offer Size	Thursday, July 25, 2019	Tuesday, July 30, 2019
Offer Opening Public Announcement (Pre-Offer PA)	Thursday, July 25, 2019	Tuesday, July 30, 2019
Date of Opening of the Tendering Period (TP) / Offer	Friday, July 26, 2019	Wednesday, July 31, 2019
Date of Closure of the Tendering Period (TP)/ Offer	Thursday, August 08, 2019	Wednesday, August 14, 2019
Last date for communicating the rejection /acceptance; Completion of payment of consideration or refund to the shareholders	Friday, August 16, 2019	Thursday, August 29, 2019
Date of releasing Post-Offer Public Announcement (Post-Offer PA)	Friday, August 23, 2019	Friday, September 06, 2019
Submission of Final Report by the Manager to the Offer with SEBI	Friday, August 30, 2019	Friday, September 06, 2019

* There was no competing offer to the Offer.

** The Identified Date is only for the purpose of determining the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the Offer Closing Date

2. As on date of this Corrigendum, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no other pending approvals which are required to implement this Offer. Further, in case of any regulatory or statutory or other approvals being required at a later date, the Offer shall be subject to all such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such approvals.
3. As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations (notified by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated December 3, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Since the Tendering Period for the Offer opens only after April 1, 2019, the Public Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.
4. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum and also for the obligations of the Acquirers laid down in the SEBI (SAST) Regulations.
5. A copy of this Corrigendum is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS

SYSTEMATIX GROUP Investments Re-defined

Systematix Corporate Services Limited
SEBI Registration No. INM 000004224
The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606,
Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC),
Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India.
Telephone: +91-22-6704 8000; **Facsimile:** +91-22-6704 8022
Email: ecm@systematixgroup.in; **Website:** www.systematixgroup.in
Contact Person: Mr. Amit Kumar

Sd/-
Mr. Sagar Samir Shah
(Acquirer 1)

Sd/-
Mrs. Rajasvee Sagar Shah
(Acquirer 2)

Date: July 15, 2019.
Place: Ahmedabad.

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 240, ***हवाई शुल्क:*** इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।